महानगर नई दिल्ली सोमवार 12 अगस्त, 2024, रु. 6.00 (18 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

हिंडनबर्ग रपट पर सेबी, बुच, अडाणी समूह और भाजपा का चौतरफा हमला

विधिवत जांच : सेबी | निवेश पुराना : बुच | दुर्भावनापूर्ण : अडाणी | राजनीति से प्रेरित : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

अमेरिकी शोध व निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की ताजा रपट में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष व उनके पति पर आरोप लगाए जाने के बाद रविवार को सेबी, माधवी बुच, अडाणी समूह व भाजपा ने चौतरफा हमला बोला और आरोपों को सिरे से निराधार व राजनीति से प्रेरित बताया। नियामक संस्था सेबी ने कहा कि उनसने अडाणी समूह के खिलाफ विधिवत जांच की है। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच ने कहा कि सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल होने से दो साल पहले यह निवेश किया गया था। अडाणी समूह ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हिंडनबर्ग के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रपटआने के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अपनी पहली टिप्पणी में रविवार को कहा कि उसने अडाणी समूह के खिलाफ सभी आरोपों की विधिवत जांच की है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बयान में कहा कि उसकी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने समय-समय पर संबंधित जानकारी दी और संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग रखा। नियामक ने कहा कि उसने अडाणी के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की विधिवत जांच की है। उसकी 26 जांचों में से अंतिम जांच अब पूरी होने वाली है।

बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच व उनके पति ने रविवार को कहा कि अमेरिकी शोध व निवेश फर्म 'हिंडनबर्ग रिसर्च' सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और अध्यक्ष का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रही है। हिंडनबर्ग ने शनिवार रात को जारी एक रिपोर्ट में संदेह जताया कि अडाणी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में पूंजी बाजार नियामक सेबी की अनिच्छा का कारण सेबी प्रमुख और उनके पति धवल बुच की अडाणी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी हो सकती है।

हिंडनबर्ग के इन आरोपों के जवाब में बुच दंपति ने रविवार शाम को जारी बयान में कहा कि आइआइएफएल वेल्थ मैनेजमेंट के एक फंड में उनका निवेश सिंगापुर स्थित निजी नागरिक के रूप में किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि माधवी के सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल होने से दो साल पहले यह निवेश किया गया था। दंपति ने कहा कि 2019 से ब्लैकस्टोन में वरिष्ठ सलाहकार धवल निजी इक्विटी फर्म के रियल एस्टेट पक्ष से नहीं जुड़े हैं। बयान के मुताबिक, वर्ष 2017 में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में माधवी की नियुक्ति के बाद उनकी दो परामर्श कंपनियां निष्क्रिय हो गईं थीं। बयान में कहा गया, 'भारत में कई तरह के नियामकीय बाकी पेज 8 पर

-हिंडनबर्ग संबंधित खबरें पेज 8

माधवी बुच

बुच को हिंडनबर्ग का जवाब

हिंडनबर्ग ने देर रात जारी जवाब में कहा कि बुच की प्रतिक्रिया से साफ हो गया है कि उन्होंने बरमुडा/मारीशस के फंड के साथ ही विनोद अडाणी द्वारा संचालित फंड में निवेश किया था। उन्होंने यह भी मान लिया है कि उनके पति के बचपन के एक मित्र विदेशी फंड को संचालित कर रहे थे जो एक समय में अडाणी समूह के निदेशक रह चुके हैं।

विपक्षी दलों व अन्नामलाई ने जांच की मांग की

सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रधानमंत्री के करीबी मित्र अडाणी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासों में 'क्लीन चिट' दी थी। हालांकि, सेबी प्रमुख के संबंध में 'परस्पर फायदा पहुंचाने' के नए आरोप सामने आए हैं। मध्यम वर्ग के छोटे और मध्यम निवेशकों को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है क्योंकि वे अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में लगाते हैं और उनका सेबी पर भरोसा है। जब तक इस महा-घोटाले में जेपीसी जांच नहीं होगी, तब तक प्रधानमंत्री अपने मित्र की मदद करते रहेंगे और देश की संवैधानिक संस्थाएं तार-तार होती रहेंगी।

-मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष

भाजपा की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई ने रविवार को हिंडनबर्ग के नवीनतम आरोपों की जांच की मांग की। हालांकि, यह भी कहा कि हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्टों में किए गए दावे निराधार पाए गए हैं। अन्नामलाई ने हिंडनबर्ग पर लाभ के लिए निवेशकों में 'घबराहट पैदा करने' का आरोप लगाया, लेकिन यह भी कहा कि सरकार को उसके दावों की गहन जांच करनी चाहिए। अन्नामलाई ने कहा, 'हिंडनबर्ग कोई पत्रकार या एनजीओ नहीं है, बल्कि शेयरों की शार्ट सेलिंग करने वाला एजंट है। वे लोग ऐसी रपट जारी करते हैं, निवेशकों में दहशत फैलाते हैं, उस संकट का लाभ उठाने की तैयारी करते हैं और हजारों करोड़ का मुनाफा कमाते हैं।

ओलंपिक में छह पदक के साथ भारत का अभियान समाप्त

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का अभियान छह पदक (एक चांदी और पांच कांस्य) के साथ समाप्त हुआ। भारत ने तोक्यो ओलंपिक 2020 में एक सोना, दो चांदी और चार कांस्य समेत सात पदक जीते थे। तब भारत पदक तालिका में 48वें पायदान पर था।

लेकिन इस बार भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक में 71वें पायदान पर खिसक गई है।

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हाकी, जूडो, तैराकी, सेलिंग, निशानेबाजी, कुश्ती, टेबल टेनिस और टेनिस में भारत ने भाग लिया।

नीरज चोपड़ा को लगातार दूसरा ओलंपिक पदक : नीरज चोपड़ा ने पेरिस में 89.45 मीटर भाला फेंका, जहां वे दूसरे पायदान पर रहे और भारत को चांदी के रूप में पांचवां पदक दिलाया। चोपड़ा ने तोक्यो 2020 में स्वर्ण जीत कर इतिहास रचा था।

-पूरी खबर पेज 18

मणिपुर में गोलीबारी में चार की मौत

मरने वालों में तीन ग्रामीण स्वयंसेवक, एक उग्रवादी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के तेंगनौपाल जिले में उग्रवादियों और एक ही समुदाय के ग्रामीण स्वयंसेवकों के बीच गोलीबारी में चार हथियारबंद लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को मोलनोम इलाके में मुठभेड़ में यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट (यूकेएलएफ) के एक उग्रवादी और एक ही समुदाय के तीन ग्रामीण स्वयंसेवकों की मौत हो गई। इसके जवाब में ग्रामीण स्वयंसेवकों ने यूकेएलएफ के स्वयंभू प्रमुख एसएस हाओकिप के आवास को फूंक दिया। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के पीछे पलेल इलाके में उगाही पर नियंत्रण की वजह हो सकती है।

सुरक्षा बलों ने खोजबीन अभियान चलाया लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। मणिपुर में पिछले साल मई से इंफल घाटी में रहने वाले मैतेई और पड़ोसी पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए।

पिछले साल मई के महीने से मणिपुर की राजधानी इंफल में दो जातियों के बीच मतभेद के चलते हिंसक वारदातें बढ़ गई हैं। दोनों जाति एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई थी।

इंफल घाटी में स्थित मैतेई और मणिपुर की पहाड़ियों पर स्थित कुकियों के बीच छिड़ी इस जातीय हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं।

बम धमाके में पूर्व विधायक की पत्नी की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

मणिपुर के कांगपोकपी जिले में एक बम धमाके में एक पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सैकुल के पूर्व विधायक यमथोंग हाओकिप के घर के पास स्थित एक मकान में शनिवार शाम को बम धमाका हुआ।

चारुबाला

अधिकारियों के मुताबिक, धमाके में हाओकिप की दूसरी पत्नी सपम चारुबाला घायल हो गईं। चारुबाला को सैकुल के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, धमाके के समय हाओकिप भी घर में मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि घर में कचरे के सामान में स्थानीय स्तर पर बना विस्फोटक रखा गया था, जब चारुबाला हाओकिप ने कचरे को जलाया, तो उसमें विस्फोट हो गया, और इस हादसे में उनकी मौत हो बाकी पेज 8 पर

कोकेरनाग मुठभेड़

एक नागरिक की मौत के बाद तेज हुई आतंक निरोधक मुहिम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके के वन क्षेत्र में छिपे आतंकियों के सफाए के लिए सुरक्षा बलों ने रविवार को हुए मुठभेड़ के दूसरे दिन अभियान और तेज कर दिया। इस मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए थे जबकि एक नागरिक की जान चली गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों के खात्मे के लिए अहलान गगरमांडू वन क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को भेजा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि तीन से चार आतंकी यहां छिपे हुए हैं। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने कोकरनाग में मुठभेड़ स्थल के पास कहा कि गागरमांडू के ऊपरी इलाकों में अभियान जारी है। गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को शुरुआती मुठभेड़ में तीन जवान और दो नागरिक घायल हुए थे। दो सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, जबकि तीसरे का इलाज किया जा रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

घायल हुए दो नागरिकों में से एक की मौत हो गई। बिरदी ने घायल दोनों नागरिकों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ स्थल के करीब दोनों व्यक्तियों की मौजूदगी जांच का विषय है और इसकी जांच की जा रही है। हालांकि मुठभेड़ स्थल जिले की सीमा के करीब है लेकिन स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

शनिवार को कोकेरनाग क्षेत्र के सुदूरवर्ती अहलान गगरमांडू जंगल में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया गया था। यह मुठभेड़ तब शुरू हुई, जब आतंकियों के एक समूह ने संयुक्त तलाश दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। दल में पैरा कमांडो सहित सेना के जवान व स्थानीय पुलिसकर्मी शामिल थे। मुठभेड़ में छह सैन्यकर्मी और दो नागरिक घायल हो गए। घायल सैनिकों को तुरंत निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया, जहां दो सैनिकों को मृत घोषित कर दिया गया। शहीद हुए सैन्य कर्मियों की पहचान बाकी पेज 8 पर

अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों के खात्मे के लिए अहलान गगरमांडू वन क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को भेजा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि तीन से चार आतंकी यहां छिपे हुए हैं।

घायल दोनों नागरिकों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बारे में पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुठभेड़ स्थल के करीब दोनों व्यक्तियों की मौजूदगी जांच का विषय है और इसकी जांच की जा रही है।

डाक्टर से बलात्कार-हत्या मामले में अस्पताल अधीक्षक हटाए गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कालेज में एक स्नातकोत्तर की प्रशिक्षु डाक्टर से बलात्कार कर हत्या के मामले में बंगाल सरकार ने अस्पताल के अधीक्षक संजय वशिष्ठ को हटा दिया है। मेडिकल कालेज के डीन प्रोफेसर बुलबुल मुखोपाध्याय को अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

इस बीच, बलात्कार और हत्या के दोषी को शीघ्र सजा देने की मांग को लेकर रविवार को तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहने से पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हुईं। विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जूनियर डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और 'पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी' (पीजीटी) चिकित्सक भी चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

आरजी कर मेडिकल कालेज और अस्पताल के अंदर बलात्कार और हत्या की शिकार हुई महिला चिकित्सक का शव शुक्रवार सुबह सेमिनार रूम में मिला। उसी दिन शाम से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई। शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो अस्पताल परिसर में अक्सर आने वाला एक बाहरी व्यक्ति था।

हत्याकांड के विरोध में दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में भी सोमवार से सभी गैर आपात सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का एलान लिया गया है। चिकित्सकों ने इस मामले में तत्काल बाकी पेज 8 पर

उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश, 28 की मौत

दिल्ली-एनसीआर में कई जगह तेज बरसात, गुरुग्राम में 70 मिलीमीटर वर्षा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में रविवार को भारी बारिश होने से जगह-जगह भूस्खलन हुआ, यातायात अव्यवस्थित हो गया, मकान ढह गए तथा वर्षाजनित घटनाओं में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई। वहीं, हरियाणा में एक बांध टूटने से कई गांव जलमग्न हो गए। जम्मू-कश्मीर के श्री अमरनाथ यात्रा क्षेत्र में भारी वर्षा के बाद वार्षिक अमरनाथ यात्रा रोक दी गई।

उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में लगातार दूसरे दिन भारी वर्षा हुई तथा राजस्थान में पिछले दो दिनों में सबसे अधिक 16 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब के होशियारपुर में एक ही परिवार के आठ सदस्यों सहित नौ लोगों की मौत हो गई, जब उनका वाहन एक बरसाती नाले में बह गया। मध्य, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और पूर्व दिल्ली में भी भारी वर्षा हुई जिससे बाकी पेज 8 पर

हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिन से भारी बारिश के कारण भूस्खलनों और अचानक आई बाढ़ के कारण 280 से अधिक सड़कें बंद रहीं।

उत्तराखंड में मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ने से धुर्मा और ग्वाड़ गांव को जोड़ने वाले दो पैदल पुल बह गए, जिससे इन गांवों के 44 परिवारों का अन्य क्षेत्र से संपर्क टूट गया है।

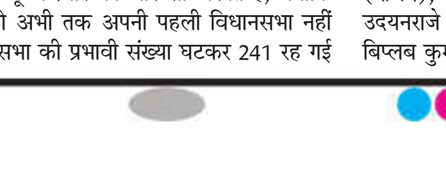

-बारिश संबंधित खबरें पेज 3

पंजाब में वाहन के बहने से नौ की मौत

नई दिल्ली, 11 अगस्त (ब्यूरो)।

होशियारपुर में जैजों में रविवार को पानी से लबालब छोटी बरसाती नदी में एक वाहन के बह जाने से एक परिवार के आठ सदस्यों समेत नौ लोगों की मौत हो गई। *पूरी खबर पेज 17*

पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

लंबे समय से बीमार पूर्व विदेश मंत्री के. नटवर सिंह का शनिवार देर रात निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे। एक पारिवारिक सूत्र ने बताया कि नटवर सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां वह पिछले कुछ हफ्तों से भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नटवर सिंह के निधन पर शोक जताया और कूटनीति व विदेश नीति में उनके योगदान की सराहना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारत की कूटनीति और विदेश मामलों में नटवर सिंह के योगदान की सराहना की।

-पूरी खबर पेज 13

अगले महीने 12 सीट के लिए होने हैं उपचुनाव | **रणभेरी** | **भाजपा और सहयोगी दलों को मिल सकती हैं 12 में से 11 सीट**

राज्यसभा में जल्द ही बहुमत हासिल कर सकता है राजग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

भाजपा की अगुआई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को अगले महीने 12 सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों के बाद राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल करने की उम्मीद है, जिससे पार्टी को वक्फ (संशोधन) विधेयक जैसे प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दिलाने में मदद मिलेगी। समीकरण इसी दिशा में संकेत कर रहे हैं।

वर्तमान में 229 सांसदों वाले उच्च सदन में भाजपा के 87 सांसद हैं, तथा इसके सहयोगी दलों के साथ यह संख्या 105 है। छह मनोनीत सदस्यों, जो आमतौर पर सरकार के साथ मिलकर वोट करते हैं, के शामिल होने से राजग के सांसदों की संख्या 111 हो जाती है, जो 115 के बहुमत के आंकड़े से चार कम है।उच्च सदन में कांग्रेस के 26 सदस्य हैं और इसके सहयोगी दलों के 58 सदस्य और जुड़ गए हैं, जिससे विपक्षी गठबंधन के सदस्यों की संख्या 84 हो गई है। प्रमुख तटस्थ दलों में 11 सदस्यों के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और आठ सदस्यों के साथ बीजद शामिल हैं।

नौ राज्यों की 12 रिक्त राज्यसभा सीटों के लिए तीन सितंबर को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को चुनाव में 12 में से 11 सीटें जीतने की उम्मीद है, जिससे 245 सदस्यीय सदन में एनडीए को 122 सीटों का आंकड़ा मिल सकता है।

उच्च सदन में जम्मू-कश्मीर की चार सीटें रिक्त हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश को अभी तक अपनी पहली विधानसभा नहीं मिली है। इससे राज्यसभा की प्रभावी संख्या घटकर 241 रह गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित सात अन्य नेताओं के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण राज्यसभा की दस सीटें रिक्त हो गईं।

तेलंगाना और ओड़ीशा में दो और सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। तेलंगाना के केशव राव ने हाल ही में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद सदन से इस्तीफा दे दिया, जबकि बीजू जनता दल (बीजद) की सांसद ममता मोहंता ने अपनी राज्यसभा सीट और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वह भाजपा में शामिल हो गई हैं।

गोयल, सोनोवाल और सिंधिया के अलावा, अन्य राज्यसभा सदस्य जो संसदीय चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य बने हैं, वे हैं कामाख्या प्रसाद तासा (भाजपा), मीसा भारती (राजद), विवेक ठाकुर (भाजपा), दीपेंद्र सिंह हुड्डा (कांग्रेस), उदयनराजे भोसले (भाजपा), केसी वेणुगोपाल (कांग्रेस) और बिप्लब कुमार देब (भाजपा)।

नौ राज्यों की 12 रिक्त राज्यसभा सीटों के लिए तीन सितंबर को चुनाव होंगे। चुनाव के बाद राजग को 122 सीटों का आंकड़ा मिल सकता है।

वर्तमान में उच्च सदन में भाजपा के 87 सांसद हैं, तथा इसके सहयोगी दलों के साथ यह संख्या 105 है। छह मनोनीत सदस्यों को मिलाकर राजग के सांसदों की संख्या 111 हो जाती है, जो 115 के बहुमत के आंकड़े से चार कम है।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,SUHAIL ALAM,S/O NOOR ALAM ANSARI,R/o-B-274A,Old.No-B-274,Makki Masjid Colony,Madanpur Khadar Part-3,Sarita Vihar,South-Delhi,Delhi-110076,declare that Name of my-mother has been wrongly-written as SONI in my 10th-Class Educational-Documents.The actual name of my mother is SONY KHATOON. 0040743312-5

I,Naurang Solanki S/o Hoshiyar Singh R/o H.No.228,Pooth Kalan Village, Delhi-110086,have changed the name of my minor Son Asad aged 13 years to Asad Solanki. 0040743312-3

I,Naresh Kumar,s/o Ajit Kumar,R/o 457-A, Regent Shipra Sun City, Indrapuram, I.E Sahibabad,Ghaziabad-201010,U.P,have changed my name to Naresh Chauhan Permanently. 0040743312-1

I, Jarnail Singh Ahluwalia S/o Teja Singh Ahluwalia R/o PD 10-A,2nd Floor,Malibu town,Sector 47,Gurgaon, declare that my name has been wrongly mentioned as Jarnail Singh in my Pension Payment Order & as J.S. Ahluwalia in my son's birth certificate,my correct name is Jarnail Singh Ahluwalia. 0130044167-1

I, Kushal s/o Ratan Jyoti r/o P-147, Krishan Vihar, Delhi-110085 have changed my name as KUSHAL MEHTA. Correct name of my father is RATANJYOT MEHTA. 0040743181-2

I, Arun Lata W/o Sh. Naresh Kumar Verma R/o B-113, Rail Kunj, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad, U.P.-201012 do hereby solemnly inform that in my aadhar card, pan card & voter card my name is written as Arun Lata, in my passport my name is written as Arun Lata Verma, both are one and same person. I will be known as Arun Lata in future. 0040743313-1

I Valmik S/O, Shankarrao Bangar R/o Plot No 56 Karuna Bhavan Besa Road Padmavati Nagar Nagpur have changed my name to Walmik S/o Shankarrao Bangar . 0040743300-1

I,Amir Shafi,S/O,SHRI SHAFI ULLAH,R/O,A2-1406,JKG-PALM COURT,GAUR CITY-2, GAUTAM BUDDHA-NAGAR UTTAR PRADESH-201009,have changed my name to AAMIR SHAFI.Henceforth I would be Known by the name of AAMIR SHAFI,For all,future purposes 0040743312-2

I,Naurang Solanki,S/o Hoshiyar Singh,R/o H.No.228,Pooth Kalan Village,Delhi-110086,have changed the name of my minor Son Arshad aged 09 years to Arshad Solanki. 0040743312-4

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
(M): 9212665841, 9212008155

भौतिक अधिग्रहण सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051
निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई–400059
शाखा कार्यालय : तृतीय तल, 302–303, पर्ल बर्ट हाइट्स–एल, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

जबकि,
अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न संवर्णित ऋणकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें सूचनाओं में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नांकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता के नाम / ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण / अधिग्रहण की तिथि	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	प्रदीप शर्मा (ऋणकर्ता), अमित कुमार (सह–ऋणकर्ता), सरोज शर्मा (सह–ऋणकर्ता), LHPTU00001521764	ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "मिगसन रूफ" में आवासीय अपार्टमेंट जो यूनिट नं. एसयूएन 3–1407, 14वें तल पर, कॉर्पेट क्षेत्रफल 46.75 वर्ग मीटर, खसरा सं. 4, 5 व 51 पर निर्मित, राज नगर एक्स., ग्राम मकरामतपुर सिकरोड परगना जलालाबाद तहसील जनपद गाजियाबाद 1 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010 में स्थित है (संदर्भ लैन सं. LHPTU00001521764)। अधिग्रहण की तिथि : 06–08–2024	12–01–2024 रु. 89,751.3/–	उत्तरी दिल्ली–पीतम पुरा–बी
2.	प्रदीप शर्मा (ऋणकर्ता), अमित कुमार (सह–ऋणकर्ता), सरोज शर्मा (सह–ऋणकर्ता), LHPTU00001521768	ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "मिगसन रूफ" में आवासीय अपार्टमेंट जो यूनिट नं. एसयूएन 3–1407, 14वें तल पर, कॉर्पेट क्षेत्रफल 46.75 वर्ग मीटर, खसरा सं. 4, 5 व 51 पर निर्मित, राज नगर एक्स., ग्राम मकरामतपुर सिकरोड परगना जलालाबाद तहसील जनपद गाजियाबाद 1 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010 में स्थित है (संदर्भ लैन सं. LHPTU00001521768)। अधिग्रहण की तिथि : 06–08–2024	12–01–2024 रु. 19,21,438/–	उत्तरी दिल्ली–पीतम पुरा–बी

ऊपर–वर्णित ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को एतद्द्वारा निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए एक 30 दिवसीय सूचना दी जाती है, अन्यथा बंधककृत संपत्तियों का, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समापन पर, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, विक्रय कर दिया जायेगा।

दिनांक : 12 अगस्त 2024 **स्थान :** गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031,
दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह निमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से उनके द्वारा प्राप्त किये गये स्वर्णाभूषण के बदले में क्रेडिट सुविधा की बकाया राशि का भुगतान करने की सूचनायें निर्गत की गयी हैं। चूंकि उधारकर्ता सुविधा के अंतर्गत बकाया चुकाने में विफल रहा है अतः हम 20/08/2024 को गिरवी रखे गए स्वर्णाभूषणों की नीलामी करने के लिए बाध्य हैं। यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कमी होती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाहियों के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास निम्नलिखित खाते को बिना पूर्व सूचना के नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी तिथि बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शाखा का नाम
116909464	सौरभ राज किशोर	विवेक विहार शाखा
140519736	सोनिया सोनी	यमुना विहार शाखा
141003933	आबिद खान	बहादुरगढ़ एमबीएल
141798360	रवि कुमार गिरि	करोल बाग शाखा
144855792	सोनिया कुमार	वसुंधरा गाजियाबाद शाखा
108004398	प्रशांत भार्गव	मथुरा शाखा
109094707	नदीम अहमद	मेरठ बागपत गेट एमबीएल
111789392	भारत शिवरतन	नारनौल ग्रामीण

नीलामी 20/08/2024 को दोपहर 12:00 से अप. 3:00 बजे तक https://egold.auctiontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इस प्रकाशन के माध्यम से संबंधित उधारकर्ता को एतद्द्वारा निर्धारित नीलामी तिथि से पहले सभी ब्याज और शुल्कों के साथ वापस ली गई सुविधा की राशि का भुगतान करने के लिए अंतिम सूचना और अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा आभूषण की नीलामी की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि, यदि समय सीमा के कारण नीलामी उसी दिन पूरी नहीं होती है, तो बैंक अगले 7 दिनों के भीतर समान नियमों और शर्तों पर गिरवी रखे गए स्वर्णाभूषणों की फिर से नीलामी करेगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो गई है तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उसके विधिक उत्तराधिकारियों पर लागू होंगी।

दिनांक : 12/08/2024, स्थान : दिल्ली/राराक्षे

The Indian EXPRESS Classifieds

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)

Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST
PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, **PREET VIHAR :** AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR :** PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST
JANAKPURI : TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, **KAROL BAGH (REGHARPURA) :** K R ADVERTISERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, **KARAMPURA :** GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI NAGAR :** MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, **MOTI NAGAR :** UMA ADVERTISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, **RAMESH NAGAR :** POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, **TILAK NAGAR :** SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI :** AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL
CHANDNI CHOWK : RAMNIWAS ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, **CONNAUGHT PLACE :** HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH
TIS HAZARI COURT : SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748 **KINGWAY CAMP :** SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, **PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION) :** MAHAN ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, **PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) :** PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH
CHATTARPUR : A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI :** ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, **MALVIYA NAGAR :** POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, **YUSUF SARAI :** TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR
FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, **FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) :** PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, **FARIDABAD :** SURAJ ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810680954, 9953526681, **GURGAON :** SAMBODHI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399, **GURGAON :** AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, **NOIDA (SEC. 29) :** RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, **NOIDA (SEC. 65) :** SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, **NOIDA (SEC. 58) :** JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 **GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA) :** TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES)
FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

For CAD enquiries please contact :
ROHIT JOSHI 9818505947, **ABHINAV GUPTA** 9910035901
For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215, E-mail : delhi.classifieds@expressindia.com

MODERN INSULATORS LIMITED

CIN: L31300RJ1982PLC002460
Regd. Office: Talheti, Village Karoli, Tehsil Abu Road, Dist. Sirohi– 307510. Tel.: 02974-228044
Email Id: compliance@moderninsulators.com, Website: www.moderninsulators.com

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024 (₹ In Lacs except EPS)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 (Reviewed)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
Total Income from Operations	10382.45	14021.91	8975.13	44329.33
Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	789.94	1543.71	348.51	3508.42
Net Profit/ (Loss) for the period after Tax	779.73	1622.61	395.51	3649.13
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	778.77	1617.95	396.00	3644.89
Equity Share Capital	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-	-
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)				
(a) Basic	1.65	3.44	0.84	7.74
(b) Diluted	1.65	3.44	0.84	7.74

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024 (₹ In Lacs except EPS)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 (Reviewed)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
Total Income from Operations	10380.88	14021.91	8975.13	44330.04
Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	693.45	1527.42	334.35	3465.62
Net Profit/ (Loss) for the period after Tax	755.42	1604.19	381.35	3604.20
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	754.46	1599.53	381.84	3599.96
Equity Share Capital	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-	-
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)				
(a) Basic	1.6	3.4	0.81	7.65
(b) Diluted	1.6	3.4	0.81	7.65

Notes: 1. The above Unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 10, 2024
2. The above results is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.moderninsulators.com.

Place: Abu Road
Date: 10th August, 2024

For Modern Insulators Limited
Shreyans Ranka
Director
DIN: 06470710

EPACK Durable Limited

(*Formerly Known as EPACK Durable Private Limited*)
Regd. Off.: 61-B, Udyog Vihar, Surajpur, Kasna Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar U.P. 201306
Corporate Off.: TR-901, AltF 142 Noida, 9th Floor, Plot Number 21 and 21A, Sector 142, Noida-201304, U.P.
Ph. No.: 0120-4522467, **Email ID:** info_ed@epack.in,
Website: www.epackdurable.com, **CIN:** L74999UP2019PLC116048

NOTICE OF THE 05TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 5th Annual General Meeting ("AGM") of EPACK Durable Limited ("**the Company**") will be held on Friday, September 06, 2024 at 11:00 A.M. Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("The Act") and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/ 2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, followed by General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable circulars issued by the MCA (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI LODR Regulations") the AGM of the Company will be held through VC/OAVM Facility, without the physical presence of the Members of the Company at a common venue.

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and the provisions of SEBI LODR Regulations, the Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") along with the Notice of AGM will be sent only through electronic mode to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The Annual Report along with the Notice of AGM will also be made available on the Company's website at www.epackdurable.com, websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and also on the website of KFin Technologies Limited ("KFintech") at https://evoting.kfintech.com/. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM and the detailed procedures for e-voting will be provided in the Notice of the AGM.

The Company will be providing to its Members the remote e-voting facility ("remote e-voting") to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting /e-voting will be provided in the Notice of the AGM. Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their email addresses are requested to refer to the Notice of the AGM for the process to be followed for obtaining the User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

In order to receive the Notice of AGM and the Annual Report, Members are requested to register/update their email addresses with the Company by following below instructions:

Instructions:
(a) Members holding shares in physical mode may register/ update their email address in prescribed form ISR-1 with the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company i.e. KFintech. Norms for updation are also available at the website of RTA of the Company at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx#.
(b) Members holding shares in Demat mode may register their email address/update Bank account mandate by contacting their respective Depository Participant (DP).

By order of the Board of Directors
For **EPACK Durable Limited**
Sd/-
Esha Gupta
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Noida
Date: August 10, 2024

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 (1) और (2) के तहत, 2016)

श्री राकेश अग्रवाल, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की देनदार/व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री राकेश अग्रवाल
2.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का पता	10–डी, अंडर हिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054
3.	कॉर्पोरेट देनदार के देनदारों/व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में आदेश का विवरण और दिवालियापन प्रारंभ तिथि	सी.पी. संख्या (आई.बी.)–918(पी.बी.)/2022, आदेश दिनांक 06.08.2024 (प्रतिलिपि 09.08.2024 को प्राप्त हुई)
4.	समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	मनोहर लाल विज पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269 एएफए वैध 30.10.2024 तक
5.	समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	8/28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. ईमेल : mlvij1956@gmail.com
6.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार में उपयोग के लिए पता और ई–मेल	एवीएम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी 8/28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. ईमेल : pg.sunstar@gmail.com
7.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	02 सितंबर 2024
8.	प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दायर किया जाना है	"प्ररूप–बी" वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रधान पीठ ने सीपी संख्या (आईबी)–918(पीबी)/2022 (आदेश की प्रति 09 अगस्त 2024 को प्राप्त) में अपने आदेश दिनांक 06 अगस्त 2024 के माध्यम से, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की **देनदार/व्यक्तिगत गारंटर श्री राकेश अग्रवाल** की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

श्री राकेश अग्रवाल के लेनदारों को इसके द्वारा **02 सितंबर 2024** को या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे प्रविष्टि संख्या 6 में उल्लेखित पते पर समाधान प्रोफेशनल को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

लेनदार इलेक्ट्रॉनिक साधनों से या व्यक्तिगत तरीके से प्रमाण के साथ, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

हस्ता/–
मनोहर लाल विज
पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269
श्री राकेश अग्रवाल, पीजी टू सीडी, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल

दिनांक : 12.08.2024
स्थान : नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 (1) और (2) के तहत, 2016)

श्री कपिल अग्रवाल, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की देनदार/व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री कपिल अग्रवाल
2.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का पता	6–बी, जमुना रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054 यहां भी : 6–बी, राजनारायण मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली –110054
3.	कॉर्पोरेट देनदार के देनदारों/व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में आदेश का विवरण और दिवालियापन प्रारंभ तिथि	सी.पी. संख्या (आई.बी.)–916 (पी.बी.)/2022, आदेश दिनांक 06.08.2024 (प्रतिलिपि 09.08.2024 को प्राप्त हुई)
4.	समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	मनोहर लाल विज पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269 एएफए वैध 30.10.2024 तक
5.	समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	8/28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. ईमेल : mlvij1956@gmail.com
6.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार में उपयोग के लिए पता और ई–मेल	एवीएम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी 8/28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. ईमेल : pg.sunstar@gmail.com
7.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	02 सितंबर 2024
8.	प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दायर किया जाना है	"प्ररूप–बी" वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रधान पीठ ने सीपी संख्या (आईबी)–916(पीबी)/2022 (आदेश की प्रति 09 अगस्त 2024 को प्राप्त) में अपने आदेश दिनांक **06 अगस्त 2024** के माध्यम से, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की **देनदार/व्यक्तिगत गारंटर, श्री कपिल अग्रवाल** की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

श्री कपिल अग्रवाल के लेनदारों को इसके द्वारा **02 सितंबर 2024** को या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे प्रविष्टि संख्या 6 में उल्लेखित पते पर समाधान प्रोफेशनल को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

लेनदार इलेक्ट्रॉनिक साधनों से या व्यक्तिगत तरीके से प्रमाण के साथ, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

हस्ता/–
मनोहर लाल विज
पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269
श्री कपिल अग्रवाल, पीजी टू सीडी, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल

दिनांक : 12.08.2024
स्थान : नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 (1) और (2) के तहत, 2016)

श्रीमती कविता अग्रवाल, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की देनदार/व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्रीमती कविता अग्रवाल
2.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का पता	24–बी, अलीपुर रोड, सिविल लाइंस, पुराने सचिवालय के सामने, दिल्ली –110054 यहां भी : 6–बी, राजनारायण मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली –110054 यहां भी : 6–बी, जमुना रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054
3.	कॉर्पोरेट देनदार के देनदारों/व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में आदेश का विवरण और दिवालियापन प्रारंभ तिथि	सी.पी. संख्या (आई.बी.)–921(पी.बी.)/2022, आदेश दिनांक 08.08.2024 (प्रतिलिपि 09.08.2024 को प्राप्त हुई)
4.	समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	मनोहर लाल विज पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269 एएफए वैध 30.10.2024 तक
5.	समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	8/28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. ईमेल : mlvij1956@gmail.com
6.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार में उपयोग के लिए पता और ई–मेल	एवीएम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी 8/28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. ईमेल : pg.sunstar@gmail.com
7.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	02 सितंबर 2024
8.	प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दायर किया जाना है	"प्ररूप–बी" वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रधान पीठ ने सीपी संख्या (आईबी)–921(पीबी)/2022 (आदेश की प्रति 09 अगस्त 2024 को प्राप्त) में अपने आदेश दिनांक **06 अगस्त 2024** के माध्यम से, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की **देनदार/व्यक्तिगत गारंटर, श्रीमती कविता अग्रवाल** की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

श्रीमती कविता अग्रवाल के लेनदारों को इसके द्वारा **02 सितंबर 2024** को या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे प्रविष्टि संख्या 6 में उल्लेखित पते पर समाधान प्रोफेशनल को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

लेनदार इलेक्ट्रॉनिक साधनों से या व्यक्तिगत तरीके से प्रमाण के साथ, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

हस्ता/–
मनोहर लाल विज
पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269
श्रीमती कविता अग्रवाल, पीजी टू सीडी, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल

दिनांक : 12.08.2024
स्थान : नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 (1) और (2) के तहत, 2016)

श्री नरेश कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की देनदार/व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री नरेश कुमार अग्रवाल
2.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का पता	24–बी, अलीपुर रोड, सिविल लाइंस, पुराने सचिवालय के सामने, दिल्ली–110054 यहां भी: 10–डी, अंडर हिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054
3.	कॉर्पोरेट देनदार के देनदारों/व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में आदेश का विवरण और दिवालियापन प्रारंभ तिथि	सी.पी. संख्या (आई.बी.)–920(पी.बी.)/2022, आदेश दिनांक 06.08.2024 (प्रतिलिपि 09.08.2024 को प्राप्त हुई)
4.	समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	मनोहर लाल विज पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269 एएफए वैध 30.10.2024 तक
5.	समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	8/28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. ईमेल : mlvij1956@gmail.com
6.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार में उपयोग के लिए पता और ई–मेल	एवीएम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी 8/28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. ईमेल : pg.sunstar@gmail.com
7.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	02 सितंबर 2024
8.	प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दायर किया जाना है	"प्ररूप–बी" वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रधान पीठ ने सीपी संख्या (आईबी)–920(पीबी)/2022 (आदेश की प्रति 09 अगस्त 2024 को प्राप्त) में अपने आदेश दिनांक 06 अगस्त 2024 के माध्यम से, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की **देनदार/व्यक्तिगत गारंटर श्री नरेश कुमार अग्रवाल** की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

श्री नरेश कुमार अग्रवाल के लेनदारों को इसके द्वारा **02 सितंबर 2024** को या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे प्रविष्टि संख्या 6 में उल्लेखित पते पर समाधान प्रोफेशनल को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

लेनदार इलेक्ट्रॉनिक साधनों से या व्यक्तिगत तरीके से प्रमाण के साथ, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

हस्ता/–
मनोहर लाल विज
पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269
श्री नरेश कुमार अग्रवाल, पीजी टू सीडी, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल

दिनांक : 12.08.2024
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]

पेसेन्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	**पेसेन्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	25.07.2022
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी)–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2022FTC402274
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	लेवल 15, आईडब्ल्यूजी रेगस एरोस कॉर्पोरेट टावर्स, नेहरू प्लेस, दिल्ली–110019, भारत
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	8 अगस्त, 2024
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई–मेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	**नाम:** अरुण गुप्ता, **पंजी. पता:** एस–34, एलजीएफ, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048 **पंजी. ईमेल आईडी:** arungupta2211@gmail.com **पत्राचार का ईमेल आईडी:** paysend.vol.liq@gmail.com **टेलीफोन नं.:** 011–41066313 **आईबीबीआई पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-002/IP-N00051/2016-17/10095 **एएफए नं.** AA2/10095/02/221124/203023
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	7 सितम्बर, 2024

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है "पैसेन्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड" ने गुरुवार, 8 अगस्त, 2024 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है जो क्रेडीटरों की स्वीकृति के अधीन है।
एतद्द्वारा "पैसेन्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड" के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 7 सितम्बर, 2024 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावे का प्रमाण दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट दावे के समर्थन में दस्तावेजीय प्रमाण के साथ विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में जमा किया जायेगा। संबंधित प्रपत्र तथा उद्घोषणा वेबसाईट अर्थात् www.ibbi.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

तिथि: 12 अगस्त, 2024
स्थान: नई दिल्ली

अरुण गुप्ता
परिसमापक

PICCADILY AGRO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L01115HR1994PLC032244
Registered Office: - Village Bhadson Umri- Indri Road, Tehsil Indri, District Karnal, Haryana – 132117
Email ID: piccadilygroup34@rediffmail.com

NOTICE is hereby given that following share certificates issued by the Company are stated to be lost / misplaced and the registered holders thereof have applied to the Company for issue of duplicate share certificates.

Folio No.	Name of the Shareholder	Share Certificate No.	Distinctive No. From	Distinctive No. To	No. of Shares
0017113	NARESH CHAND	00162784	052316141	052316940	800
0017113	NARESH CHAND	00156123	026572271	026572670	400
0017113	NARESH CHAND	00120403	021933521	021933620	100
0017113	NARESH CHAND	00120404	021933621	021933720	100
0017113	NARESH CHAND	00120405	021933721	021933820	100
0017113	NARESH CHAND	00120406	021933821	021933920	100

The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has/have any claim(s) with the Company in respect of the said share certificates should lodge such claims at its registered office at the address given above within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company will proceed with issuance of duplicate share certificates

फॉर्म संख्या एनसीएलटी 3ए
याचिका का विस्तृत विवरण
माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
नई दिल्ली की पीठ के समक्ष, पीठ–III
सीपी संख्या 118 (एनडी)/2024
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131: के मामले में
और
कुंदन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ....**याचिकाकर्ता/आवेदक**
के मामले में
बनाम
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़, रा.रा.क्षे. दिल्ली एवं अन्य ....**प्रतिवादी**

याचिका की सूचना

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संशोधन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के तहत एक याचिका उपर्युक्त याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा 24 मई 2024 को प्रस्तुत की गई थी, और उक्त याचिका माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच- III के समक्ष 30.09.2024 को सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक है याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अपने नाम और पते के साथ अपने या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने इरादे की सूचना भेजनी होगी, ताकि याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तक पहुंच जाए। जिस भी वजह से वह याचिका का विरोध करना चाहता है, उस विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाएगी। याचिका की एक प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी जो इसकी मांग करता है।

(हस्ता/-)
अवनीश कुमार
(याचिकाकर्ता के वकील)
207, हंस भवन, विंग-1,
बी.जेड मार्ग, नई दिल्ली-110002

दिनांक:- 10/08/2024
स्थान:- दिल्ली

खबर कोना

दो मंजिला इमारत गिरी, एक युवक घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

अमन विहार के हरी एन्क्लेव इलाके में रविवार सुबह दो मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया, वहीं इमारत का कुछ हिस्सा दूसरे मकान पर गिरने से पांच लोग बाल बाल बच गए। जांच में पता चला कि जर्जर मकान को मालिक कुछ दिन से मरम्मत करवा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रामलीला महासंघ ने की 40 दिन के लिए मैदान मुहैया करवाने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

श्री रामलीला महासंघ का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली की रामलीलाओं को आ रही परेशानी को लेकर एमसीडी के आयुक्त अश्विनी कुमार से मिला। महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने उन्हें बताया कि एमसीडी के अलग-अलग जोन में रामलीला मंचन के लिए मैदान की अनुमति 15 दिन की दे रहे हैं। पिछले वर्ष एमसीडी द्वारा 40 दिन के लिए निगम मैदान निशुल्क मुहैया करवाया जाता रहा है।

आइपीयू में दो पाठ्यक्रमों की आफलाइन काउंसलिंग 14 को

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आइपीयू) के पीजीडी-अग्नि एवं जीवन सुरक्षा लेखा परीक्षा व एमबीए-अग्नि एवं औद्योगिक सुरक्षा साप्ताहिक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आफलाइन काउंसिलिंग 14 अगस्त को द्वारका परिसर में आयोजित की जाएगी। इन दोनों प्रोग्रामों के लिए चयनित आवेदकों की सूची आइपीयू की दोनों वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयनित आवेदकों को आइपीयू के कुलसचिव के पक्ष में निर्गत 75,500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट, प्रवेश सत्यापन प्रपत्र, डिग्री या अंकतालिका सहित अन्य प्रमाणपत्र काउंसिलिंग के लिए लाना है। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत काउंसिलिंग में सीट आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पीजीडी में 50 सीटें और एमबीए में 30 सीटें उपलब्ध हैं।

185 झुग्गी बस्तियों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

भाजपा दिल्ली प्रदेश ने रविवार को दिल्ली की करीब 185 झुग्गी बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर का आयोजन भाजपा ने अपने झुग्गी विस्तार अभियान के अंतर्गत किया। दिल्ली भाजपा के संगठन महामंत्री पवन राणा ने आनंद विहार जेजे कैंप व झिलमिल बाल्मीकि बस्ती में शिविर का उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने न्यू संजय अमर कालोनी, विश्वास नगर में, मनोज तिवारी ने तिमारपुर में, रामवीर सिंह बिधूडी ने बिलासपुर प्रसाद नगर, मोडलबंद में, कमलजीत सहरावत ने मंगलापुरी के द्वारका वार्ड में, प्रवीण खंडेलवाल ने वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में, बांसुरी स्वराज ने सिंधिया कैंप में, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सूरजमल पार्क व एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने ओटरम लेन झुग्गी बस्ती के शिविरों का उद्घाटन किया।

दिल्ली में 47 जगह जलभराव, आज और कल फिर होगी भारी बारिश

बारिश ने फिर खोली पोल, रिहायशी इलाके भी हुए पानी-पानी; कई जगह फंसे वाहन

चाणक्यपुरी में रविवार को बारिश के बाद जलभराव से जूझते वाहन सवार।

गुरुग्राम में बारिश के बाद जलमग्न दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर फंसे वाहन।

मनमाना किराया वसूल रहे हैं आटो व रिक्शा वाले

बारिश के चलते सड़कों पर जलजमाव होने पर आटो व रिक्शाचालक मनमाना किराया वसूलने में लगे हुए हैं। हाल यह है कि उत्तम नगर से कनाट प्लेस तक का जहां 250-280 रुपए तक अमूमन किराया रहता है, उसके लिए आटो वाले 450 रुपए वसूलते दिखे। इसी तरह दस रुपए प्रति सवारी बैठाने वाले ई-रिक्शा चालकों ने भी अपने किराए को दोगुना कर दिया।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में रविवार दोपहर भारी बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव हो गया और यातायात जाम हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है और नारंगी चेतावनी जारी की है।

55.5 *मिमी मयूर विहार में, पालम में 20.4 मिमी, सफदरजंग में 26.3 मिमी हुई बारिश।*

दिल्ली के लोगों ने शहरभर में जलभराव की 47 शिकायतें कीं। आइएमडी के आंकड़े के अनुसार, अपराह्न 2:30 से शाम 5:30 बजे के बीच शहर के मौसम केंद्र सफदरजंग में 26.3 मिलीमीटर (मिमी), लोधी रोड में 30.4 मिमी, पालम में 20.4 मिमी और मयूर विहार में 55.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। मध्य, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और पूर्वी दिल्ली में भारी बारिश हुई।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें जलभराव की 40 और पेड़ों के गिरने की तीन सूचनाएं प्राप्त हुईं। अधिकारी ने यह भी बताया कि 40 शिकायतों में से 35 से 38 जलभराव की समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। इस बीच, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को सुबह छह बजे से अपराह्न दो बजे के बीच 12 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से सात जलभराव से संबंधित और पांच पेड़ों के गिरने से जुड़ी हुईं थीं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कई इलाकों में जलभराव के कारण यातायात बाधित होने की जानकारी दी।

वहीं बारिश के चलते राजधानी की कई अनधिकृत कालोनियों में बिजली आपूर्ति भी असामान्य रही। आइएमडी ने कहा कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार व मंगलवार को भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। आइएमडी ने दिल्ली के लिए नारंगी चेतावनी जारी की है, जो बेहद खराब मौसम और आवागमन में संभावित व्यवधान के लिए तैयार रहने का संकेत देता है।

दिल्ली-एनसीआर के 86 फीसद लोगों ने कहा, जलभराव से हुईं दिक्कतें

लोकल सर्किल द्वारा करवाए गए सर्वे में दिल्ली-एनसीआर के 86 फीसदी निवासियों ने माना की उन्हें जलभराव के चलते समय की बर्बादी, उत्पादकता व कमाई के साथ वाहनों का रखरखाव की लागत बढ़ी है। जिससे कार्य घंटों की हानि हुई है। सर्वे में 71 फीसद लोगों ने जलभराव के चलते अपनी उड़ाने व ट्रेनों छूटने का भी हवाला दिया है। दिल्ली में नजफगढ़ में दुकानदारों ने बारिश के पानी से भीगने व सामान खराब होने की शिकायत की। जिसकी वजह इस वर्ष हुई खराब तैयारी, नगर निकायों के अधिकारियों की खराब योजना और कई परियोजनाओं के खराब कार्यान्वयन के कारण रहा है। बता दें कि यह सर्वेक्षण दिल्ली, गुरुग्राम व नोएडा के 19 हजार से अधिक लोगों की प्रतिक्रियाओं पर तैयार किया गया है।

पार्क में भरे पानी में डूबने से सात वर्ष के बच्चे की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 20 स्थित अमन विहार के एक पार्क में बारिश के भरे पानी में डूब जाने से सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह घटना शनिवार देर शाम को उस समय हुई जब बच्चा पार्क में खेल रहा था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चे के डूब जाने की सूचना पीसीआर को मिली। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और उसे बताया गया कि बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पार्क में बने छठ घाट में करीब पांच से छह फुट पानी भरा हुआ है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की गई है। पुलिस घटना का वास्तविक कारण पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है।

किशोर की करंट लगने से मौत

शनिवार को ही बाहरी दिल्ली के रणहोला इलाके में क्रिकेट खेलते समय बिजली के खंभे के संपर्क में आने से 13 वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी। मामले में परिवार के सदस्य और स्थानीय लोगों ने किशोर के शव को सड़क पर रखकर नांगलोई-नजफगढ़ सड़क को बंद कर दिया और परिवार के लिए मुआवजे और न्याय की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और डिस्काम (वितरण कंपनी) के खिलाफ नारेबाजी की।परिजनों ने जाम भी लगा दिया बाद में पुलिस के समझाने मामला शांत हुआ। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (1) (लापरवाही से मौत) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। इस बीच, मृतक की मां अनीता देवी ने गौशाला और बिजली विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

विपक्ष का दिल्ली सरकार पर निशाना

आप नेता महिमामंडन में व्यस्त : भाजपा

नई दिल्ली, 11 अगस्त (संवाददाता)।

भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि आज जब दिल्ली जलजमाव व उससे हुई डूबने व करंट लगने से मौतों से जूझ रही है तो ऐसे समय में दिल्ली में सत्ताधारी दल आप पार्टी केवल जेल व बेल से जुड़े अपने नेताओं के महिमामंडन में लगा है। शनिवार को किराड़ी में दो युवकों के बाद आज अमन विहार में एक लड़के के जलजाव में डूबने से हुई मौत से दिल्ली स्तब्ध है।

दिल्लीवासियों की जान खतरे में : कांग्रेस

नई दिल्ली, 11 अगस्त (संवाददाता)।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र व दिल्ली सरकार की विफलताओं का खामियाजा लोग अपनी जान देकर भुगत रहे हैं। भारी बारिश से हुए जलभराव के कारण दिल्लीवासियों की जान खतरे में है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष दिल्ली में भारी बारिश होने से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए भाजपा और आप ने कुछ नहीं किया।

मानहानि मामला

समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो 'एक्स' पर साझा करने से संबंधित मानहानि मामले में जारी कई समन को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन की तीन न्यायाधीशों की पीठ याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जिसमें केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि कथित मानहानिकारक वीडियो साझा करके उनसे गलती हुई है। शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं। केजरीवाल ने इससे पहले 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आइटी प्रकोष्ठ से संबंधित कथित मानहानिकारक वीडियो साझा करके उनसे गलती हुई है।

शिकायतकर्ता विकास संकृत्यायन की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत से कहा था कि केजरीवाल 'एक्स' या 'इंस्टाग्राम' जैसे सोशल मीडिया मंच पर माफीनामा जारी कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना शिकायतकर्ता से पूछा था कि अब जबकि याचिकाकर्ता यह स्वीकार कर चुका है कि उससे गलती हुई है तो क्या वह मामले को बंद करना चाहते हैं।

डीएमआरसी का दिशानिर्देश, मेट्रो लाइनों के पास न उड़ाएं पतंग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर पतंग उड़ाने के प्रचलन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने रविवार को दिशानिर्देश जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाएं। दिल्ली मेट्रो का दिशानिर्देश ऐसे समय में आया है, जब बीते कुछ दिनों में करंट से कई मौत हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि उसका नेटवर्क लगभग 400 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि मुख्यतः एलिवेटेड है, जहां पटरियों के समानांतर 25,000 वोल्टेज की तारें हैं, जिससे ट्रेनों को बिजली आपूर्ति होती हैं। लिहाजा इससे आम जनों को जोखिम तो है ही, साथ बिजली ट्रिप होकर मेट्रो सेवाएं बाधित होने की आशंका भी है। एलिवेटेड मेट्रो लाइनों की ऐसी घटनाओं से न केवल ओएचई या पेंटोग्राफ को नुकसान पहुंच सकता है बल्कि इससे बिजली ट्रिप होकर मेट्रो सेवाएं बाधित होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही यह घातक साबित हो सकता है।

ईडब्लूएस की अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की मांग

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन फोरम आफ एकेडेमिक्स फार सोशल जस्टिस के अध्यक्ष हंसराज सुमन ने डीयू के कालेजों में 1891 ईडब्लूएस की अतिरिक्त सीटों को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि ईडब्लूएस कोटे की बढ़ी सीटों के अनुपात में आरक्षित श्रेणी की सीटें नहीं मिली हैं। *(जसं)*

वायुसेना नर्सरी विद्यालय
वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली
(अंग्रेजी माध्यम सह-शिक्षा विद्यालय)

1. वायुसेना नर्सरी विद्यालय द्वारा प्रधानाध्यापक के पद हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. पद हेतु पात्रता एवं अन्य संबंधित विवरण वायुसेना विद्यालय की वेबसाइट www.racecourseschools.in पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार अपना आवेदन 82afns@gmail.com पर ई-मेल या वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली-03 के मुख्य गारद कक्ष पर लगे ड्रॉप बॉक्स में दिनांक-27 अगस्त 2024 तक या इससे पहले भेज सकते हैं।
3. विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का भर्ती संबंधी निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

विद्यालय प्रबंधन

Unlocking Possibilities.
Moving Forward.

KAMDHENU PAINTS

As we surge ahead with strong momentum, we anticipate a significant boost in revenues. Our finely tuned strategic approaches, tailored to the dynamic industrial landscape, position us well for enhanced financial prospects. Built on a solid foundation, we excel in the current environment and seize emerging opportunities for a robust future. With great vigor, we solidify our position as a key market player, driving sustainable revenue growth and unlocking new possibilities.

KAMDHENU VENTURES LIMITED

CIN: L51909HR2019PLC089207

Regd.Office: 2nd Floor, Tower-A, Building No.9, DLF Cyber City Phase-III, Gurugram - 122 002
Phone no.: 0124-4604500, Fax: 0124-4218524, Email: cs@kamdhenupaints.com, Website: www.kamdhenupaints.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

(₹ in Lakhs except Earnings per Share)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year ended
		30th June, 2024	31st March, 2024	30th June, 2023	31st March, 2024	30th June, 2024	31st June, 2024	30th June, 2023	31st March, 2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	-	-	-	-	5,445.69	8,514.66	6,167.69	29,170.90
2	Net profit/(loss) for the period before tax and exceptional items	(22.77)	(5.24)	8.22	(31.67)	222.03	581.03	219.43	1,592.71
3	Net profit/(loss) for the period after tax and exceptional items	(22.77)	(5.24)	8.22	(31.67)	159.42	419.53	215.53	1,385.49
4	Total comprehensive income/(loss) for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(22.77)	(5.24)	8.22	(31.67)	153.49	395.92	215.49	1,361.74
5	Paid-up equity share capital (face value of ₹ 1 each)	3,143.55	3,143.55	1,571.78	3,143.55	3,143.55	3,143.55	1,571.78	3,143.55
6	Earnings per share in rupees: (Quarterly not annualised)								
	Weighted average number of equity shares of ₹ 1 each	31,43,55,000	31,28,79,590	30,84,20,934	31,28,79,590	31,43,55,000	31,28,79,590	30,84,20,934	31,28,79,590
	- Basic (in ₹)	(0.01)	(0.00)	0.00	(0.01)	0.05	0.13	0.07	0.44
	- Diluted (in ₹)	(0.01)	(0.00)	0.00	(0.01)	0.05	0.13	0.07	0.44

1 The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors of Kamdhenu Ventures Limited at their respective meetings held on 10th August, 2024. The unaudited Standalone and Consolidated financial results for the quarter ended 30th June, 2024 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the company, and they have issued unmodified report on the above results.

2 The above is an extract of the detailed format of unaudited results for the quarter ended 30th June, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company website, www.kamdhenupaints.com

For and on behalf of the Board of Directors of
Kamdhenu Ventures Limited

Sd/-
Saurabh Agarwal
Managing Director
DIN: 00005970

Place: Gurugram
Date: 10th August, 2024

KAMDHENU GROUP

खबर कोना

गुरुग्राम में दो कारों से करतबबाजी का वीडियो प्रसारित, एक गिरफ्तार

गुरुग्राम, 11 अगस्त (भाषा)।

गुरुग्राम में सड़क पर दो कारों से खतरनाक करतबबाजी वाले वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने एक कार के चालक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान बादशाहपुर निवासी हरीश कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि उसकी कार को जब्त कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए 27 सेकंड के वीडियो में दोनों चालक गुरुग्राम-सोहना रोड पर अपने-अपने वाहनों को खतरनाक तरीके से घुमाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दूसरी कार के चालक को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

दिल्ली : असोला गांव में इमारत के पार्किंग क्षेत्र में लगी आग, दो झुलसे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

दक्षिणी दिल्ली के असोला गांव में रविवार को एक इमारत के पार्किंग क्षेत्र में आग लगने से दो लोग झुलस गए जबकि 12 अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इमारत में आग लगने की सूचना सुबह करीब 5.01 बजे मिली। दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। सुबह करीब 6.50 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग ने सबसे पहले पार्किंग में कुछ वाहनों और एक बिजली के मीटर बोर्ड को चपेट में लिया। इसके बाद आग पूरी इमारत में फैल गई। आग में दो स्कूटी पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। इस मामले में पुलिस ने कहा कि आग लगने के संबंध में मैदान गढ़ी पुलिस थाने में सूचना मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि जगबीर कालोनी में चार मंजिला इमारत में आग लगी हुई थी। फ्लैटों में रहने वाले लोगों को बचाया गया और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की मदद से आग बुझाई गई।

नोएडा : सरकारी कार्यालय में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 11 अगस्त।

जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में 25 से अधिक सरकारी कार्यालयों में मीटर लगा दिए गए हैं। शेष में लगाने का काम जोरों पर चल रहा है। दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं के मीटर लगाए जाएंगे। विद्युत निगम के अनुसार, जिले में 596 सरकारी दफ्तर हैं। एक माह के अंदर सभी दफ्तरों में मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन लोस अधिक होने के कारण प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगाए जाएंगे। विद्युत निगम के अभियंताओं के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र के कई कस्बों में 20 से 30 प्रतिशत तक लाइन लोस है। ऐसे में आशंका है कि बिजली चोरी भी हो रही है। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली चोरी भी काफी हद तक रोकी जा सकेगी। मीटर को रिचार्ज कराने के बाद ही उपभोक्ता बिजली का उपयोग कर सकेंगे।

छावला इलाके से एक बदमाश को किया गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

दिल्ली पुलिस ने छावला इलाके से हरियाणा के 24 वर्षीय एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। रोहतक का आरोपी अंकित (24) सात आपराधिक मामलों में कथित तौर पर संलिप्त है और उसकी गिरफ्तारी से सोनीपत में एक हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने उसके पास से तीन पिस्तौल, एक 'सिंगल-शॉट' पिस्तौल और 13 कारतूस बरामद किए हैं। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने रविवार को बताया कि जुलाई में अंकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर सोनीपत में जयपाल पर 10 गोलियां चलाईं थीं। गोयल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अंकित छावला इलाके में आएगा। इसके बाद एक दल गठित कर गिरफ्तार कर लिया।

चार सौ साल पुराने बारापुला पुल की मरम्मत करेगा एएसआइ

आधुनिक मशीनों से युक्त सौ से अधिक कर्मचारी गाद निकालने में जुटे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को कहा कि निजामुद्दीन में ऐतिहासिक 400 साल पुराने बारापुला पुल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को सौंप दिया गया है। यह तीन महीने में इसकी संरचना को बहाल कर देगा। सक्सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की एक और विरासत- 400 साल पुराना बारापुला पुल (12 खंभों वाला) जल्द ही अपनी खोई हुई महिमा को पुनः प्राप्त करेगा।

पुरातात्विक महत्त्व की संरचना है पुल।

पिछले रविवार (चार अगस्त) को उपराज्यपाल ने बारापुला पुल का दौरा किया था, तब यहां जबरदस्त अतिक्रमण देखने को मिला था। रविवार को उपराज्यपाल दोबारा यहां दौरा करने गए। बता दें कि एएसआइ द्वारा ऐतिहासिक बारापुला पुल का संरक्षण करने के साथ ही यहां रोशनी की व्यवस्था की जाएगी।

अतिक्रमण की वजह से यह पुरानी और ऐतिहासिक संरचना जीर्ण-शीर्ण हालत में पड़ी थी। इतना ही नहीं आस-पास के इलाकों के कचरे और मलबे की वजह से यह कूड़ा घर में तब्दील हो गई थी।

बारापुला पुल का निरीक्षण करते उपराज्यपाल वीके सक्सेना।

उपराज्यपाल ने पुल के नीचे बहने वाले नाले से गाद निकालने और अतिक्रमण हटाने के लिए किए गए संयुक्त प्रयास के लिए एमसीडी, पीडब्लूडी व सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, रेलवे और एएसआई के प्रयासों की सराहना भी की। इन सभी ड्रेनों के अवरूद्ध मार्ग को साफ करने और गाद निकालने के कार्य में आधुनिक मशीनों से युक्त 100 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस काम में सभी एजंसियां पूरे तालमेल के साथ सामूहिक प्रयासों में जुटी है।

मोटरसाइकिल सवार दो दोस्तों की ट्रक की टक्कर से मौत

गुरुग्राम, 11 अगस्त (भाषा)।

गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाइवे पर बिलासपुर इलाके में एक ट्रक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद करीब 50 मीटर तक उसे घसीटता रहा। घटना में मोटरसाइकिल सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर हादसा।

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान विपुल और अभयजीत चौहान के रूप में हुई है। विपुल के भाई अमित पाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार रात विपुल और उसका दोस्त अभय जीत चौहान किसी काम से बाहर गए थे। जब वे वापस लौट रहे थे, तब बिलासपुर चौक से आगे स्थित सीएनजी पंप के पास दिल्ली की ओर से आ रहे एक ट्रक के उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि टक्कर के बाद मोटरसाइकिल ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई और चालक उसे करीब 50 मीटर तक घसीटता रहा। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घायलों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

महिला से 36.27 लाख की धोखाधड़ी, मुंबई से तीन जालसाज गिरफ्तार

नई दिल्ली, 11 अगस्त (संवाददाता)।

दिल्ली पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर एक महिला से 36.27 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तीन साइबर जालसाजों को महाराष्ट्र के जलगांव से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान जयेश भोले (29), राकेश जाधव (33) और हर्षवर्धन भोसले (25) के रूप में हुई है।

दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने रविवार को बताया कि एक महिला की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक जुलाई को वह 'शेयर इंडिया' नाम के समूह के संपर्क में आई और समूह ने उन्हें बैंक खाते के जरिए 36.27 लाख रुपए का निवेश करने पर राजी कर लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उनकी राशि जल्द बढ़कर साढ़े तीन करोड़ रुपये हो गई लेकिन वह निवेश की गई राशि निकालने में असमर्थ थी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने लेन-देन की जांच की और तीन लोगों की पहचान दबोच लिया।

मामूली विवाद में युवक के सिर पर ईंट से वार कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 11 अगस्त।

एच्छर बस स्टैंड के पास शराब के नशे में धुत दो युवकों में मामूली विवाद हो गया। एक युवक ने दूसरे के सिर पर ईंट से वार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

ग्रेटर नोएडा का मामला, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार।

मूलरूप से सुल्तानपुर निवासी गोविंद उर्फ विकास कुमार (28) कासना में निर्माण स्थलों पर मजदूरी करता था। शनिवार शाम उसने अपने साथी सूरजपुर निवासी कुलदीप के साथ शराब पी। इस दौरान जब वे नशे में धुत हो गए तो किसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि वे गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। इस दौरान कुलदीप ने ईंट से गोविंद के सिर पर वार कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद कुलदीप फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर कुलदीप को सेक्टर सिग्मा-2 से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और गोविंद दोनों साथ में काम करते थे। शहर में जहां भी उन्हें काम मिलता, वे वहां चले जाते थे। शनिवार शाम दोनों ने साथ में शराब पी। इसी बीच उनके बीच विवाद हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सेक्टर बीटा टू प्रभारी का कहना है कि हत्या आरोपी से पूछताछ जारी है। उसने मामूली विवाद पर ईंट से हमला करने की बात स्वीकार की है। हत्या के पीछे असली कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

सिसोदिया 14 से दिल्ली में करेंगे पदयात्रा, विधायकों के साथ बैठक आज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

आप के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। रविवार को उन्होंने अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि सिसोदिया 14 अगस्त से दिल्ली में पदयात्रा निकलकर जन-जन से मिलेंगे। यह जानकारी आप सांसद संदीप पाठक ने दी।

पाठक ने कहा कि बैठक में कई और निर्णय भी लिए गए हैं। इसी कड़ी में सिसोदिया सोमवार को विधायकों और मंगलवार को पार्षदों के साथ बैठक कर पार्टी की विस्तृत योजना पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव हैं। वहां 40-50 सभाएं हो चुकी हैं। सुनीता केजरीवाल और वरिष्ठ नेता वहां बैठकें और सभाएं कर जनता को आप की नीतियां में बता रहे हैं।

तैयारी नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लालकिले पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। रविवार को लाल किले के पास सेल्फी लेते पर्यटक।

दिल्ली मेरी दिल्ली

झीलों का शहर

दिल्लीवालों को नदी और झीलें देखने का काफी शौक है, छुट्टी होते ही लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन उनका यह शौक अब दिल्ली में नगर निकायों द्वारा पूरा कर दिया गया है। सवाल, सिर्फ एक बारिश का है। बारिश होते ही दिल्ली के लगभग सभी इलाके झीलों में तब्दील हो गए हैं। दिल्ली झीलों का शहर बन गई है, यदि यही हाल रहा और नालियों से गाद नहीं निकाली गई तो बीते साल की तरह इस बार भी कई इलाकों में नौकाविहार भी शुरू हो जाएगा।

खतरनाक इमारतें

हाल ही में दिल्ली नगर निगम ने खतरनाक इमारतों का आंकड़ा जारी किया था। इसमें पूरी दिल्ली में करीब एक दर्जन से अधिक इमारतों को खतरनाक बताया गया था। जिसपर एमसीडी नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल ने एमसीडी के सर्वे को सिर्फ कागजी बताया था। लेकिन अब देखने को मिल रहा है जो इमारतें बारिश के चलते जर्जर होकर गिर रही हैं, वह एमसीडी के आंकड़ों में जर्जर नहीं दिखाई गई हैं। तो आखिर इतनी सारी खतरनाक इमारतें आईं कहा से। दिल्लीवालों का कहना है कि एमसीडी के अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर सर्वे तैयार कर रहे हैं, वास्तविक स्थिति का आंकलन करने का उनके पास समय तब होगा जब वसूली से समय मिलेगा।

अलग प्रदर्शन

राजधानी दिल्ली में धरना-प्रदर्शन आम बात है। छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन बीते दिनों ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर की इमारत के 'बेसमेंट' में बारिश का पानी भरने के कारण तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत पर हुआ प्रदर्शन आम प्रदर्शनों से अलग दिखाई दिया। दरअसल, यहां कोई छात्र नेता नहीं था। न तो वे खुद राजनीतिक थे और न ही उन्होंने इस मामले को राजनीतिक होने दिया। छात्रों ने उपराज्यपाल और पूर्व सांसद अभिनेत्री तक को भी बैरंग लौटाया। ऐसा शायद ही किसी प्रदर्शन में होता है। इतना ही नहीं, यह प्रदर्शन आम प्रदर्शनों से इसलिए भी अलग रहा कि इसमें निगम के आयुक्त स्तर के एक अधिकारी ने प्रदर्शन स्थल पहुंचकर अपनी गलती स्वीकार ली। उन्होंने हादसे के लिए अपने विभाग की जिम्मेदारी तक स्वीकार की। किसी ने ठीक ही कहा, ऐसी गतिविधियां जंतर-मंतर के प्रदर्शनों में कहां। कई बार हफ्तों तक बैठे लोगों की सुध लेने कोई नहीं आता। निश्चित तौर पर यह अलग प्रदर्शन था।

पार्टी में मंथन

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की सरगर्मी के बीच जेल से जमानत पर छूटे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका पार्टी और सरकार में क्या होगी पर मंथन का दौर चल रहा है। ऐसे में पार्टी के कई शीर्ष नेताओं में अपने कद को बनाए रखने की भी कोशिशें हो रही हैं। शराब घोटाले की जांच में घिरे मनीष सिसोदिया की पार्टी में अहमियत नंबर दो पर है। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सिसोदिया को फिर से उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री जेल से उपराज्यपाल को पत्र लिख सकते है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि अब सिसोदिया के पद संभालने में कानूनी अड़चन नहीं है।

ऊर्जा का संचार

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जमानत पर बाहर आने के दो दिन में ही आम आदमी पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर निगम पार्षद, विधायक और आप के सांसदों के बयान आने शुरू हो गए हैं। वे सीधे तौर पर भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। दिल्ली में आप के एक नेता ने बेदिल को बताया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद जो मायूसी कार्यकर्ताओं में आई थी वह अब ऊर्जा के संचार के रुप में सामने रही है। यह ऊर्जा विधानसभा चुनाव में मील का पत्थर साबित होगी। कारण दूसरी पार्टियों को लगता था कि जब संस्थापक ही जेल में है तब विधानसभा किसके नाम पर लड़ा जाएगा। ***बेदिल***

गुस्सा कोलकाता में महिला चिकित्सक की हत्या के बाद दिल्ली में अस्पतालों में हड़ताल आज से

गैर आपातकालीन सेवाएं रहेंगी ठप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

कोलकाता में महिला डाक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना पर आक्रोश और एकजुटता जताते हुए करते हुए दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पताल के डाक्टरों ने सोमवार से सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला किया हैं। उन्होंने सोमवार सुबह से बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और वार्ड ड्यूटी बंद करने की घोषणा की।

डाक्टरों ने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की मांग सुनिश्चित कराने के लिए हड़ताल की जा रही है। उन्होंने मामले के जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने और पारदर्शी जांच की अपील की है। फेडरेशन आफ रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) के आह्वान पर यह फैसला हुआ है। फोर्डा के अध्यक्ष डाक्टर अविरल माथुर के मुताबिक मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, आरएमएल अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज,वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल और जीटीबी अस्पताल के रेजिडेंट डाक्टर एसोसिएशन (आरडीए) ने अपनी वैकल्पिक सेवाओं को निलंबित करने का फैसला किया है। इन अस्पतालों के 'रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन' (आरडीए) ने अपनी 'गैर आपात सेवाएं' निलंबित करने की घोषणा की है। डाक्टर अविरल माथुर ने इस बात पर जोर दिया कि डाक्टरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वे बिना किसी डर के अपना महत्वपूर्ण काम जारी रख सकें।

'जिम्मेदार लोगों को मिले कड़ी सजा'

दिल्ली के वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में आरडीए के अध्यक्ष डाक्टर भरणी कुमार ने कोलकाता की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम इस जघन्य अपराध से बहुत दुखी हैं और जिम्मेदार लोगों के लिए कड़ी सजा के साथ तत्काल, पारदर्शी जांच की मांग करते हैं।

आपकी शिकायतें

बिजली का खंभा गिरने की हालत में, लोग परेशान

असोला गांव की जगवीर कालोनी में बिजली के खंभा गिरने की हालत में है। यहां की गली नंबर-एक में एक मकान के कोने में यह खंभा है और इससे घर वाले परेशान हैं।

गांव वालों की शिकायत पर स्थानीय विधायक ने भी पत्र लिखकर बिजली कंपनी बीएसईएस को इसे हटाकर वैकल्पिक स्थान पर लगाने कहा है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों में इस बात का भी भय है कि बिजली बारिश के कारण कहीं इस खंभे में करंट न आ जाए। स्थानीय लोगों ने बिजली कंपनी के अधिकारियों से आग्रह किया कि इसे तुरंत हटाया जाए।

-सतपाल तंवर, जगवीर कालोनी, असोला गांव

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATION 3(1), REGULATION 4 READ WITH REGULATION 15(2) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

M/S. NAGARJUNA AGRI-TECH LIMITED

Registered Office: 56, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500082, CIN: L01119TG1987PLC007981, Tel.No.: (+91) 8977398159, Email: natl@rediffmail.com, Website: www.nagarjunaagritechlimited.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UPTO 2435966 (TWENTY-FOUR LAKHS THIRTY-FIVE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-SIX) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 26.00% OF THE TOTAL PAID- UP EQUITY AND VOTING SHARE CAPITAL OF M/S. NAGARJUNA AGRI-TECH LIMITED ("NATL" / "TARGET COMPANY"), ON A FULLY DILUTED BASIS, FROM THE EQUITY SHAREHOLDERS OF NATL BY MRS. RACHNA SUMAN SHAW RESIDENT OF INDRALOK APARTMENT, 7TH FLOOR, FLAT- 701, 187, N.S.C BOSE ROAD, REGENT PARK, KOLKATA- 700040 (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "ACQUIRER") ("OPEN OFFER" / "OFFER").

This Detailed Public Statement (**"DPS"**) is being issued by M/s. VC Corporate Advisors Private Limited, the Manager to the Offer (**"Manager"**), for and on behalf of the Acquirer to the equity shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulation 3(1), Regulation 4 read with Regulation 15 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto [**"SEBI (SAST) Regulations"**], pursuant to the Public Announcement (**"PA"**) filed on August 05, 2024 with the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), BSE Limited (**"BSE" / "Stock Exchange"**) and the Target Company in terms of Regulations 3(1) & 4 of the SEBI (SAST) Regulations.

For the purpose of this Detailed Public Statement, the following terms shall have the meanings assigned to them below:

"Control" shall have the meaning ascribed to it under SEBI (SAST) Regulations.

"Equity Shares" shall mean fully paid-up equity shares of the Target Company of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each.

"Identified Date" means the date falling on the 10th (Tenth) Working Day prior to the commencement of the Tendering Period, for the purpose of determining the Equity Shareholders to whom the Letter of Offer in relation to this Offer shall be sent.

"MPSR" means minimum public shareholding requirement of 25% in the Target Company.

"PAC" means person(s) acting in concert as defined under Regulation 2(1)(q)(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

"Public Shareholders" shall mean all the equity shareholders of the Target Company except the existing members of the Promoters and Promoter Group of the Target Company, parties to the Share Purchase Agreements and the Acquirer.

"SCRR" means Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended.

"SEBI (LODR) Regulations" shall mean Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

"Tendering Period" shall have the meaning ascribed to it under SEBI (SAST) Regulations.

"Working Day" means a working day of SEBI.

I. ACQUIRER, PAC, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER:

A. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRER:

A.1. Mrs. Rachna Suman Shaw ("Acquirer")

a. Mrs. Rachna Suman Shaw, w/o. Mr. Ritesh Shaw, aged about 40 years, is a resident of India, residing at Indralok Apartment, 7th Floor, Flat- 701, 187, N.S.C. Bose Road, Regent Park, Kolkata- 700040, with contact number being 9830010576 and email id: pritrach.jaiswal@gmail.com. She has completed Master's of Science in Bio-Technology from I E T Bio Technology Alwar, University of Rajasthan. She has over 9 years of experience in areas like product development, product quality control, etc. in the FMCG sector.

b. She is not holding any equity shares in the Target Company prior to the date of the PA except for the execution of the Share Purchase Agreements (**"SPA's" / "Agreements"**), all dated August 05, 2024 pursuant to which she has agreed to acquire 5658369 (Fifty-Six Lakhs Fifty-Eight Thousand Three Hundred and Sixty-Nine) equity shares (**"Sale Shares"**), constituting 60.39% of the total paid-up equity and voting share capital of the Target Company at a negotiated price of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) per equity share subject to the conditions specified in the Agreements.

c. The net worth of Acquirer is Rs. 28,65,72,271/- (Rupees Twenty-Eight Crores Sixty-Five Lakhs Seventy-Two Thousand Two Hundred and Seventy-One Only) as on July 31, 2024 as certified by Mr. Ayush Agrawal (Membership No.:311804), Proprietor of M/s. Ayush N Agrawal & Co., Chartered Accountants, (FRN No.: 023627C), having office at Town City- Silchar, P/o. Silchar Dist.- Cachar, Area- Shillongpatty, Ambikapatty, Silchar- 788001, Assam Mobile No.:(+91) 9340402927, Email : ca.ayush2016@gmail.com, vide their certificate dated August 05, 2024, bearing Unique Document Identification Number (**"UDIN"**) 24311804BKAEJP6340.

A.2. There are no Person Acting in Concert (**"PAC"**) with the Acquirer for the purpose of this Open Offer in accordance with provisions of Regulation 2(1)(q)(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

A.3. As on the date of this DPS, the Acquirer has not been prohibited by SEBI from dealing in the securities, in terms of direction issued under Section 11B of SEBI Act, 1992 as amended or under any other Regulations made under the SEBI Act.

A.4. As stated above, the Acquirer does not have any other relationship &/or interest in the Target Company including with its Directors, Promoters & key employees. There are no persons on the Board of the Target Company, representing the Acquirer. The Acquirer does not belong to any Group.

A.5. The Acquirer undertakes that she will not sell the equity shares of the Target Company, held and acquired by her, if any, during the Offer Period in terms of Regulation 25(4) of the SEBI (SAST) Regulations.

A.6. The Acquirer is in compliance with the applicable provisions of Chapter V of SEBI (SAST) Regulations in respect to acquisition of equity shares in the Target Company.

A.7. The Acquirer has not been categorised as a wilful defaulter or a fugitive economic offender.

B. INFORMATION ABOUT THE SELLERS:

B.1. The details of the Sellers are outlined herein as below:

Sr. No.	Name and Address of the Sellers	No. & % of Shares/ Voting Rights held before entering into the SPA's dated 05.08.2024	No. & % of Shares/ Voting Rights proposed to be sold through the SPA's dated 05.08.2024
1.	Mr. Venkatalakshmi Narasimha Raju Kosuri, an Individual, presently residing at HNO: 8-2-293/82/4/933, Road No. 47, Jubilee Hills, Hyderabad- 500096.	481263 (5.14%)	481263 (5.14%)
2.	Mrs. Kosuri Lakshmi Raju, an Individual, presently residing at Plot No 933, Road No. 47, Near Hanuman Temple, Jubilee Hills, Hyderabad- 500033.	4501 (0.05%)	4501 (0.05%)
3.	M/s. Jinnur Investments Private Limited **('JIPL')**, a Private Limited Company incorporated on February 08, 1991 under the provisions of the Companies Act 1956, having CIN U65910TG1991PTC012307 and its registered office being situated at Plot No. 56, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad- 500082. The equity shares of JIPL are not listed on any stock exchange. There has been no change in the name of JIPL since its incorporation.	2133405 (22.77%)	2133405 (22.77%)
4.	M/s. Krishna Holdings Private Limited **('KHPL')** a Private Limited Company incorporated on March 21, 1990 under the provisions of the Companies Act 1956, having CIN U65993TG1990PTC011136 and its registered office being situated at Plot No. 56, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad-500082. The equity shares of KHPL are not listed on any stock exchange. There has been no change in the name of KHPL since its incorporation.	325000 (3.47%)	325000 (3.47%)
5.	Mrs. Suji Katari, an individual, presently residing at Flat No.: 403, Plot No:680&681, Rani Residency, Road No -18, Gopal Nagar, Hyderabad - 500085, P.O. JNTU, Kukatpally, Mandal Malkajigiri Dist. Telengana.	614200 (6.56%)	614200 (6.56%)
6.	M/s. Dhanavantari Agro Farms Private Limited **('DAFPL')** a Private Limited Company incorporated on December 01, 2004 under the provisions of the Companies Act 1956, having CIN U01210TG2004PTC044743 and its registered office being situated at Flat No 1003, Block No 13, Hill Ridge Springs, Gachibowli, Hyderabad- 500032. The equity shares of DAFPL are not listed on any stock exchange. There has been no change in the name of DAFPL since its incorporation.	2100000 (22.41%)	2100000 (22.41%)
	TOTAL	**5658369 (60.39%)**	**5658369 (60.39%)**

B.2. The Sellers namely Mr. Venkatalakshmi Narasimha Raju Kosuri, Mrs. Kosuri Lakshmi Raju, M/s. Jinnur Investments Private Limited and M/s. Krishna Holdings Private Limited form part of the Promoters/ Promoter Group (hereinafter collectively referred to as the **"Promoter Sellers"**) and the other selling shareholders namely Mrs. Suji Katari and M/s. Dhanavantari Agro Farms Private Limited (hereinafter collectively referred to as the **"Public Sellers"**) are declared as the Promoters and Public Shareholders respectively, in the declarations filed with the Stock Exchange under the SEBI (SAST) Regulations read with SEBI (LODR) Regulations, as amended from time to time wherever applicable. The Promoter Sellers and Public Sellers (hereinafter collectively referred to as the **"Sellers"**) do not belong to any group.

B.3. Pursuant to the completion of the sale and purchase of the Sale Shares, the Promoter Sellers will cease to be the Promoters of the Target Company and relinquish the management and control of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A of the SEBI (LODR) Regulations, and as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

B.4. None of the Sellers (including their Directors) are wilful defaulters or fugitive economic offenders and neither of them have been prohibited by the SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of SEBI Act as amended or under any other Regulations made under the SEBI Act.

B.5. As on the date of this DPS, none of the Equity Shares forming part of the Sale Shares are under lien, encumbrance or lock-in by the Sellers of the Target Company.

C. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY:

C. 1. Nagarjuna Agri-Tech Limited (**'NATL'**) was incorporated on November 24, 1987 under the Companies Act, 1956 as a Private Limited Company in the name and style of "Nagarjuna Health Products Private Limited" with the Registrar of Companies (**'ROC'**), Andhra Pradesh. Subsequently, the name of the Target Company was changed to "Nagarjuna Agri-Tech Private Limited" and a fresh certificate of Incorporation consequent on change of name was issued on April 05, 1994. The name of the Target Company was subsequently rechristened to its present name pursuant to the receipt of the shareholders' approval on September 03, 1994 by way of a Special Resolution and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued on January 19, 1995 by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh. Pursuant to such conversion of the Target Company into a Public Limited Company the equity shares of the Company were listed on BSE w.e.f. July 08, 1996. The Registered Office of the NATL is presently situated at 56 Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad- 500082. The CIN of NATL is L01119TG1987PLC007981. Tel No. (+91) 8977398159, email: natl@rediffmail.com. There has been no change in the registered office of NATL during the last three years.

C.2. The Authorised Share Capital of the NATL is Rs. 10,00,00,000/- divided into 10000000 equity shares of face value of Rs.10/- each. The Issued, Subscribed and Paid-up equity share capital of NATL is Rs. 9,36,91,000/- divided into 9369100 equity shares of face value of Rs.10/- each. NATL has established its connectivity with both Central Depositories Services (India) Limited and National Securities Depository Limited. The ISIN of NATL is INE793H01017 and the marketable lot for equity share is 1 (One).The Target Company is engaged in the business of floriculture i.e., cultivating and selling of Roses, (both local sales and exports).

C.3. As on the date of this DPS, the Target Company does not have any partly paid- up equity shares. There are no outstanding warrants or options or similar instruments, convertible into equity shares at a later stage. No equity shares are subject to any lock-in obligations.

C.4. The entire equity shares of NATL are presently listed at BSE only. The equity shares of NATL are frequently traded on BSE within the meaning of definition "frequently traded shares" under Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

C.5. Brief audited standalone financial Information of the Target Company for the Financial Years ended 31.03.2022, 31.03.2023 and 31.03.2024 are as follows:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Financial Year ended 31.03.2022	Financial Year ended 31.03.2023	Financial Year ended 31.03.2024
	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Revenue	263.66	264.50	273.92
Net Income/ (Loss)	(45.93)	(16.88)	358.35*
EPS	(0.35)	(0.18)	3.82
Net worth /Shareholder Funds	268.01	288.31	666.36

*Includes income from Exceptional Items, i.e., income from profit on sale of unlisted equity, profit/loss on Sale of Assets and Assets written off by the Target Company.

Source: Annual Reports/ Audited Financial Statements certified by the Statutory Auditor of NATL.

C.6. The present Board of Directors of NATL comprises of Mr. Venkatalakshmi Narasimha Raju Kosuri, Mr. Viswanadha Raju Namburi, Mr. Rama Devi Numburi, Mr. Soma Raju Kallepalli and Mr. Mahender Reddy Nalavola. Mr. Sitapathi Raju Kosuri is the Chief Financial Officer and Ms. Chandni Vardani is the Company Secretary and Compliance Officer of NATL.

D. DETAILS OF THE OPEN OFFER:

D.1. The Acquirer is making this mandatory Open Offer under the provisions of Regulation 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations to acquire upto 2435966 (Twenty-Four Lakhs Thirty-Five Thousand Nine Hundred and Sixty-Six) equity shares of face value of Rs.10/- each representing 26.00% of total paid-up equity and voting share capital of the Target Company, at a price of Rs. 20/- (Rupees Twenty Only) per equity share (the **"Offer Price"**) payable in cash, aggregating to Rs. 4,87,19,320/- (Rupees Four Crores Eighty-Seven Lakhs Nineteen Thousand Three Hundred and Twenty Only) **("Offer Size")**, subject to the terms and conditions mentioned hereinafter.

D.2. This Open Offer is being made to all the equity shareholders of the Target Company as on Thursday, September 12, 2024 **("Identified Date"),** except the Acquirer and Sellers, including persons deemed to be acting in concert with such parties.

D.3. The Acquirer shall after the expiry of twenty-one working days from the date of DPS be entitled to, act upon the Agreements and may complete the acquisition of shares or voting rights in, or control over the Target Company as contemplated under Regulation 22(2) of the SEBI (SAST) Regulations on deposit of 100% of the consideration payable, assuming full acceptance, in cash, in the Escrow Account.

D.4. The Promoter Sellers undertake that in case the Acquirer so desires, they shall immediately facilitate to appoint her or her nominees on the Board of Directors of the Target Company in terms of Proviso to Regulation 24(1) read with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations and also transfer the shares in the demat account of the Acquirer as mentioned in the SPA's in terms of compliance of Regulation 22(2) and 24(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

D.5. The payment of consideration shall be made in cash to all the equity shareholders, who have tendered their equity shares in acceptance of the Open Offer, within ten working days of the expiry of the Tendering Period.

D.6. The Offer is subject to receipt of statutory and other approvals as mentioned in Section VI of this DPS.

D.7. This Offer is not pursuant to any global acquisition resulting in an indirect acquisition of equity shares of the Target Company.

D.8. This Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of the Regulation 19(1) of the SEBI (SAST) Regulations and not a Competitive Bid in terms of the Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations.

D.9. There are no conditions as stipulated in the SPA's, the meeting of which would be outside the reasonable control of the Acquirer and in view of which the Offer might be withdrawn under Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

D.10. In compliance with the provisions of Regulation 31A of SEBI (LODR) Regulations, and subsequent amendments thereto, the Acquirer is making this mandatory Open Offer and upon successful completion of the Open Offer, the Acquirer will acquire control over the Target Company and will become the Sole Promoter of the Target Company.

D.11. The Manager to the Offer, M/s. VC Corporate Advisors Private Limited, do not hold any equity shares in the Target Company as on the date of this DPS. The Manager to the Offer further declares and undertakes that they will not deal on their own account in the equity shares of the Target Company during the Offer Period.

E. The Acquirer does not have any plans to dispose off or otherwise encumber any significant assets of NATL in the succeeding 2 (two) years from the date of closure of the Open Offer, except in the ordinary course of business of the Target Company and except to the extent required for the purpose of restructuring and/or rationalization of the business, assets, investments, liabilities or otherwise of the Target Company. In the event any substantial asset of the Target Company is to be sold, disposed off or otherwise encumbered other than in the ordinary course of business, the Acquirer undertakes that she shall do so only upon the receipt of the prior approval of the shareholders of the Target Company through special resolution in terms of Regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations and subject to the provisions of applicable law as may be required.

F. As per Regulation 38 of the SEBI (LODR) Regulations read with Rule 19(2) and 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957 as amended **("SCRR")** the Target Company is required to maintain at least 25% public shareholding **("Minimum Public Shareholding"),** as determined in accordance with SCRR, on continuous basis for listing. Upon completion of the Transaction, if the public shareholding of the Target Company falls below the minimum level of public shareholding as required to be maintained by the Target Company as per the SCRR and the SEBI (LODR) Regulations, the Acquirer undertakes to take necessary steps to facilitate the compliance by the Target Company with the relevant provisions prescribed under the SCRR as per the requirements of Regulation 7(4) of the SEBI (SAST) Regulations and/or the SEBI (LODR) Regulations, within the time period stated therein, i.e., to bring down the non-public shareholding to 75% within 12 months from the date of such fall in the public shareholding to below 25%, through permitted routes and any other such routes as may be approved by SEBI from time to time.

II. BACKGROUND TO THE OFFER:

i. The Acquirer has entered into three SPA's all dated August 05, 2024 with the Promoter Sellers and the two Public Shareholders of the Target Company, to acquire from them in aggregate 5658369 (Fifty-Six Lakhs Fifty-Eight Thousand Three Hundred and Sixty-Nine) equity shares **("Sale Shares")** of face value of Rs. 10/- each representing 60.39% of the total paid-up equity and voting share capital of the Target Company at a price of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) per equity share, payable in cash **("Negotiated Price")** for an aggregate consideration of 5,65,83,690/- (Rupees Five Crores Sixty-Five Lakhs Eighty-Three Thousand Six Hundred and Ninety Only). Pursuant to acquisition of the aforesaid equity shares in terms of the SPA's, the aggregate shareholding of the Acquirer in the Target Company would exceed the threshold limit as prescribed under Regulation 3(1) of the SEBI (SAST) Regulations, accordingly, this mandatory Offer is being made under Regulation 3(1) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, in terms of the SPA's and post successful completion of the Open Offer, the Acquirer will also acquire control over the Target Company and hence this mandatory Offer is also being made under Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations.

ii. The prime object of the Offer is to comply with the applicable requirements of the SEBI (SAST) Regulations with respect to the substantial acquisition of shares/voting rights accompanied with the change in control and management of the Target Company subject to receipt of all statutory approvals required in this Open Offer.

iii. This Open Offer is for acquisition of 26.00% of total paid-up equity and voting share capital of the Target Company. Assuming that the Open Offer is tendered in full, after the completion of this Open Offer, the Acquirer shall hold the majority of the Equity Shares of the Target Company by virtue of which she shall be in a position to exercise effective management and control over the Target Company.

iv. Subject to satisfaction of the provisions under the Companies Act, 2013 and/ or any other applicable Rules/ Regulation(s), the Acquirer intends to make changes in the management of the Target Company.

v. The Acquirer proposes to continue the existing business of the Target Company and may diversify its business activities in future with prior approval(s) of the shareholders of the Target Company and such statutory and/or regulatory authority, as may be applicable, in due compliance with applicable laws. The main purpose of takeover is to expand the Company's business activities in same/diversified line through exercising effective control over the Target Company. However, no firm decision in this regard has been taken or proposed so far.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS:

The current and proposed shareholding of the Acquirer in the Target Company and the details of their acquisition are as follows:

Sr. No.	Particulars	No. of Equity Shares	% of Shares/ Voting Rights
1.	Shareholding as on the PA date	0	0.00%
2.	Shares to be acquired pursuant to the Share Purchase Agreements dated August 05, 2024	5658369	60.39%
3.	Shares to be acquired in the Open Offer (assuming full acceptance)*	2435966	26.00%
4.	Shares acquired between the PA date and the DPS date	Nil	0.00
5.	Post Offer shareholding (*) (On Diluted basis, as on 10th working day after closing of tendering period)	8094335	86.39%

* *Assuming all the equity shares which are offered are accepted in the Open Offer.*

As on the date of this DPS neither the Acquirer nor any of her representative hold any equity shares in the Target Company.

IV. OFFER PRICE:

(i) The entire equity shares of the Target Company are presently listed at BSE only. The equity shares are placed under the Scrip Code "531832". The marketable lot for equity shares is 1 (One) equity share. This Open Offer is for the acquisition of equity shares as per the Regulations 3(1) & 4 of the SEBI (SAST) Regulations.

(ii) The total trading turnover in the Equity Shares of the Target Company on BSE, i.e., the nation-wide trading terminal and the only stock exchange where the Equity Shares of the Target Company are presently listed, based on trading volume during the twelve calendar months prior to the month of PA (01.08.2023 to 31.07.2024) is as given below:

Stock Exchange	Total No. of equity shares traded during the twelve calendar months prior to the month of PA	Total No. of equity shares of the Target Company	Trading Turnover (as % of total equity shares)
BSE	4039685	9369100	43.12

(iii) Based on the information available on the website of BSE, the equity shares of NATL are frequently traded, within the meaning of explanation provided in Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

(iv) The Offer Price of Rs. 20/- (Rupees Twenty Only), per fully paid-up equity share of the Target Company is justified in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

Sr. No.	Particulars	Price (In Rs.)
1.	Highest negotiated price per share for acquisition under the agreements attracting the obligations to make a public announcement for the Offer	Rs. 10/- per equity share
2.	The Volume- Weighted Average Price paid or payable for acquisitions by the Acquirer during 52 weeks immediately preceding the date of PA	Not Applicable
3.	Highest price paid or payable for acquisitions by the Acquirer during 26 weeks immediately preceding the date of PA	Not Applicable
4.	The Volume-Weighted Average Market Price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the PA as traded on the Stock Exchange where the maximum volume of trading in the shares of the Target Company are recorded during such period	Rs. 18.07/- per equity share
5.	Where the equity shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer and the Manager to the Open Offer taking into account valuation parameters per Share including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares	Not Applicable

In view of the parameters considered and presented in the table above, in the opinion of the Acquirer and Manager to the Offer, the Offer Price of Rs. 20/- (Rupees Twenty Only) per equity share is justified in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

Mr. Subodh Kumar, Registered Valuer, IBBI Regn.: IBBI/RV/05/2019/11705, having office at 210, Wadhwa Complex, Street No. 10, Laxmi Nagar, Delhi- 110092 (Near Metro Station Gate No. 1), Mobile No. +91 9560108675 / 9354214767, Email Id: rvkumarsubodh@gmail.com vide certificate dated August 05, 2024 through his Valuation Report bearing Unique Document Identification Number **("UDIN")**: 2439657A1GHPDEBEXV, has certified that the fair value of equity shares of the Target Company is Rs. 18.07/- per equity share.

(v) During the last three years preceding the date of PA , the Target Company has not undertaken any Buyback of equity shares. Further, there has been no corporate action in the Company in the last one year from the date of PA under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price will be adjusted in the event of any corporate actions like bonus, rights issue, stock split, consideration, etc., where the record date effecting such corporate actions falls between the date of this DPS upto 3 (three) working days prior to the commencement of the Tendering Period and the same would be notified to the shareholders also.

(vi) As on date there is no revision in Open Offer price or Open Offer size. In case of any revision in the Open Offer price or Offer Size, the Acquirer shall comply with Regulation 18 of the SEBI (SAST) Regulations and all other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

(vii) If there is any revision in the Offer price on account of future purchases/ competing offers, it will be done at anytime prior to commencement of the last 1 (One) working day before the date of commencement of the tendering period of this Offer in accordance with Regulation 18(4) of the SEBI (SAST) Regulations and would be notified to the shareholders.

(viii) If the Acquirer acquires equity shares of the Target Company during the period of twenty-six weeks after the tendering period at the price higher than the Offer Price, then the Acquirer shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all the equity shareholders whose equity shares have been accepted in Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under an open offer under the SEBI (SAST) Regulations or pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares), Regulations, 2021 or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchange, not being negotiated acquisition of shares of the Target Company in any form.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS:

(i) The Acquirer has adequate financial resources and has made firm financial arrangements for the implementation of the Offer in full out of her own sources/ net worth and no borrowings from any Bank and/ or Financial Institutions are envisaged. Mr. Ayush Agrawal (Membership No.: 311804), Proprietor of M/s. Ayush N Agrawal & Co., Chartered Accountants, (FRN No.: 023627C), having office at Town City- Silchar, P/o. Silchar Dist.- Cachar, Area- Shillongpatty, Ambikapatty, Silchar- 788001, Assam, Mobile No.: (+91) 9340402927, Email: ca.ayush2016@gmail.com, vide their certificate dated August 05, 2024 bearing Unique Document Identification Number (**"UDIN"**) 24311804BKAEJQ4500 have certified that sufficient resources are available with the Acquirer for fulfilling the obligations under this "Offer" in full.

(ii) The maximum consideration payable by the Acquirer assuming full acceptance of the Offer would be Rs. 4,87,19,320/- (Rupees Four Crores Eighty-Seven Lakhs Nineteen Thousand Three Hundred and Twenty Only). In accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has opened an Escrow Account, namely "NATL Open Offer Escrow Account" (bearing Account No.: 57500001558464) and deposited therein Rs. 1,22,00,000/- (Rupees One Crore Twenty-Two Lakhs Only) being more than 25% of the amount required for the Open Offer in an Escrow Account opened with the HDFC Bank Limited, through its branch situated at Ground and 1st Floor, Premises No. 24, Southern Avenue, Kolkata- 700026 **(''Escrow Banker'').**

(iii) The Manager to the Offer is authorized to operate the above-mentioned Escrow Account to the exclusion of all others and been duly empowered to realize the value of the Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations.

(iv) Based on the aforesaid financial arrangements and on the confirmations received from the Escrow Banker and the Chartered Accountant, the Manager to the Offer is satisfied about the ability of the Acquirer to implement the Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. The Manager to the Offer confirms that the firm arrangement for the funds and money for payment through verifiable means are in place to fulfil the Offer obligations.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS:

(i) As on the date of this DPS, to the best of the knowledge and belief of the Acquirer, no statutory and other approvals are required in relation to the Open Offer.

(ii) The Acquirer, in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, will have a right not to proceed with the Offer in the event the statutory approvals indicated above are refused. In the event of withdrawal, a PA will be made within 2 (two) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has appeared.

(iii) In case of delay in receipt of any statutory approval, SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any wilful default or neglect of the Acquirer or failure of the Acquirer to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirer agreeing to pay interest to the shareholders as directed by the SEBI, in terms of Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if delay occurs on account of wilful default by the Acquirer in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable to forfeiture.

(iv) No approval is required from any bank or financial institutions for this Offer.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY:

Activities	Date	Day
Date of the PA	August 05, 2024	Monday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	August 12, 2024	Monday
Last date of Filing of the Draft Offer Document with the SEBI	August 20, 2024	Tuesday
Last date of a Competing Offer	September 03, 2024	Tuesday
Identified Date*	September 12, 2024	Thursday
Date by which the Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	September 20, 2024	Friday
Last date by which Board of the Target Company shall give its recommendation	September 24, 2024	Tuesday
Last date for upward revision of Offer Price and/or Offer Size	September 25, 2024	Wednesday
Advertisement of Schedule of Activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending the same to SEBI, Stock Exchange and Target Company	September 26, 2024	Thursday
Date of commencement of tendering period	September 27, 2024	Friday
Date of closing of tendering period	October 11, 2024	Friday
Date by which communicating rejection/ acceptance and payment of consideration for applications accepted	October 25, 2024	Friday

*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirer and Sellers including persons deemed to be acting in concert with such parties) are eligible to participate in the Offer any time before the Closure of the Tendering Period.

VIII. PROCEEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER:

(i) All the shareholders(registered or unregistered) of Equity Shares whether holding Equity Shares in dematerialised form or physical form, (except Acquirer and Sellers including persons deemed to be acting in concert with such parties) are eligible to participate in the Offer any time before closure of the tendering period.

(ii) There shall be no discrimination in the acceptance of locked-in and non-locked- in shares in the Offer. The residual lock-in period shall continue in the hands of the Acquirer. The shares to be acquired under the Offer must be free from all liens, charges and encumbrances and will be acquired together with the rights attached thereto.

(iii) Persons who have acquired the Equity Shares of the Target Company but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date or unregistered owners or those who have acquired the Equity Shares of the Target Company after the Identified Date or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

(iv) The Open Offer will be implemented by the Acquirer through the Stock Exchange Mechanism made available by the Stock Exchange in the form of a separate window **("Acquisition Window")** as provided under the SEBI (SAST) Regulations and as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI Master Circular SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2023/31 dated February 16, 2023, as issued by SEBI.

(v) BSE shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering shares in the Open Offer.

(vi) The Acquirer has appointed M/s. Nikunj Stock Brokers Limited for the Open Offer through whom the purchases and settlement of the Offer Shares tendered under the Open Offer shall be made. The contact details of the buying broker are as mentioned below:

Name : Nikunj Stock Brokers Limited

Address: A-92, Ground Floor, Left Portion, Kamla Nagar, New Delhi-110007

SEBI Regd. No.: INZ000169335

Tel. No.: 011-47030017-18/ 9999492292

Email-Id: ig.nikunj@nikunjonline.com

Website: www.nikunjonline.com

Contact Person: Mr. Anshul Aggarwal

(vii) As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI`s press release dated December 03, 2018 bearing reference number 'PR 49/ 2018', requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities in dematerialised form with a depository w.e.f. April 01, 2019. However, in accordance with SEBI circular bearing reference number "SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020", shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an Open Offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding equity shares in physical form as well are eligible to tender their equity shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

(viii) All the shareholders who desire to tender their equity shares under the Open Offer will have to intimate their respective stock brokers **("Selling Brokers")** within the normal trading hours of the Secondary Market, during the Tendering period.

(ix) A separate Acquisition Window will be provided by BSE to facilitate placing of sell orders. The Selling broker can enter orders for dematerialized as well as physical equity shares.

(x) Eligible Shareholders will be sent the Letter of Offer and the Tender Form through Speed Post / Registered Post. Further the eligible shareholders whose email ids are registered with the Registrar and Share Transfer Agent will be sent the Letter of Offer and the Tender Form through electronic means. In case of non-receipt of Letter of Offer, eligible shareholders can access the Letter of Offer on the website of SEBI, the Registrar to the Offer, the Stock Exchange and the Manager to the Offer at www.sebi.gov.in, www.xlsoftech.com, www.bseindia.com and www.vccorporate.com, respectively. Further an eligible shareholder who wishes to obtain a copy of the Letter of Offer may send a request to the Registrar to the Offer at their email id mentioned herein in this DPS stating the name, address, no. of equity shares, client ID no., DP name / DP ID, beneficiary account no. folio no. and upon receipt of such request, a copy of the Letter of Offer will be provided to such eligible shareholder. The Letter of Offer alongwith a form of acceptance cum acknowledgement would also be available at the website of SEBI, BSE and the Manager to the Offer and shareholders can also apply by downloading such forms from the said website.

(xi) No indemnity is needed from the unregistered shareholders.

(xii) It must be noted that the detailed procedure for tendering the shares in the Offer will be available in the Letter of Offer **("LOF").** Kindly read it carefully before tendering Equity Shares in the Offer. Equity Shares oncetendered in the Offer cannot be withdrawn by the equity shareholders.

IX. DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OPEN OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER

X. OTHER INFORMATION:

(i) The Acquirer and the Target Company (including their Directors) have not been prohibited by SEBI from dealing in the securities under directions issued pursuant to Section 11B or under any other regulations made under the SEBI Act.

(ii) The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in the PA & DPS and also for the obligations of the Acquirer laid down in the SEBI (SAST) Regulations.

(iii) The Acquirer has appointed M/s. XL Softech Systems Limited, having office at 3, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad- 500034,Tel.No.: (040) 23545913, 23545914, 23545915, Fax No.: (040) 23553215, E-mail-Id: xlfield@gmail.com; Website: www.xlsoftech.com as the Registrar to the Offer. The Contact Person is Mr. R. Ram Prasad.

(iv) The Acquirer has appointed M/s. VC Corporate Advisors Private Limited having office at 31, Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite no. 2C, Kolkata- 700013, Tel. No.: (033) 2225 3940, E-mail-Id: mail@vccorporate.com, Website: www.vccorporate.com as the Manager to the Open Offer pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations. The Contact Persons are Ms. Urvi Belani and Mr. Premjeet Singh.

(v) This DPS will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in and on the website of BSE at www.bseindia.com.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirer:

VC CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED, **CIN:** U67120WB2005PTC106051 **SEBI REGN. No.:** INM000011096 **Validity of Registration:** Permanent (Contact Person: Ms. Urvi Belani / Mr. Premjeet Singh) 31, Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No.- 2C, Kolkata-700 013 **Tel. No.:** (033) 2225-3940 **Email:** mail@vccorporate.com **Website:** www.vccorporate.com	**XL Softech Systems Limited** **CIN:** U72200TG1987PLC007288 **SEBI REGN. No.:** INR000000254. **Validity of Registration:** Permanent (Contact Person : Mr. R. Ram Prasad) 3, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad- 500034. **Tel. No.:** (040)-23545913, 23545914; **Fax No.:** (040) -23553215 **Email ID:** xlfield@gmail.com **Website:** www.xlsoftech.com

Place: Kolkata
Date: 12.08.2024

On behalf of Acquirer:
Sd/-
Rachna Suman Shaw

कल्पमेधा

अहंभाव से दिया गया दान दीनता और विषमता पोसने और बढ़ाने वाला है। धर्म की अकिंचन भावना से दिया गया दान प्रीति और सद्भाव बढ़ाएगा।

– जैनेंद्रकुमार

बचत की बुनियाद

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता इस बात से भी चलता है कि उसके बैंकों का कारोबार कैसा है। बैंकों का कारोबार मुख्य रूप से लोगों से जमा आकर्षित करने और उसे कर्ज के रूप में देकर उससे ब्याज कमाने से चलता है। मगर इस समय भारतीय बैंकों में जमा और कर्ज का अंतर काफी बढ़ गया है। इसे लेकर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की चिंता स्वाभाविक है। पिछले दिनों मौद्रिक समीक्षा के वक्त आरबीआइ के गवर्नर ने बैंकों से इस अंतर को पाटने के लिए विशेष योजनाएं चलाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि बैंक ब्याज दरें निर्धारित करने को स्वतंत्र हैं। यही बात केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआइ गवर्नर के साथ बैठक में कही। वित्तमंत्री ने कहा कि बैंक अपने मुख्य कारोबार पर ध्यान दें। लोगों से जमा आकर्षित करने के लिए वे आकर्षक योजनाएं चला सकते हैं। दरअसल, सार्वजनिक बैंक निवेश की कमी के चलते गंभीर परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। कायदे से बैंक अपनी ब्याज दरें रेपो दरों से आधा से लेकर एक फीसद तक ऊपर रख सकते हैं। मगर इस मामले में भी उन्हें कुछ राहत दी गई है, फिर भी उनके पास अपेक्षित जमा नहीं आ पा रहा।

इसकी वजहें साफ हैं। पिछले कुछ वर्षों से लोगों की आमदनी लगातार कम हुई है। पहले जीएसटी की वजह से छोटे कारोबारियों पर बुरा असर पड़ा, फिर कोरोनाकाल में पूर्णबंदी के बाद बहुत सारे कारोबार बंद हो गए, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। जिन लोगों के पास नौकरियां हैं भी, उनके वेतन में तुलनात्मक रूप से काफी कम बढ़ोतरी हुई है, जबकि महंगाई काफी बढ़ गई है। इस तरह बहुत सारे लोगों के पास बचत के लिए पैसे हैं ही नहीं कि उन्हें वे बैंकों में रखें। बल्कि इसका उलट यह हुआ है कि छोटे-छोटे काम के लिए भी लोगों को कर्ज लेने पड़ रहे हैं। कर्ज पर ब्याज की भरपाई करना भी बहुत सारे लोगों के लिए कठिन बना हुआ है। बचत के बारे में लोग तब सोचते हैं, जब उनके पास जरूरी खर्चों से अधिक आमदनी होती है। मगर सरकार लगातार इस हकीकत पर पर्दा डालने का प्रयास करती रही है कि रोजगार और आमदनी के स्रोत लगातार घटे हैं। कुछ दिनों पहले आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने खुद दोहराया था कि बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, गरीबी लगातार कम हो रही है। अगर सचमुच ऐसा होता, तो सरकार को इस तरह बचत बढ़ाने को लेकर चिंतित न होना पड़ता।

बैंकों में लोगों द्वारा जमा बचत से राष्ट्रीय बचत बनती है। जिस देश के पास राष्ट्रीय बचत जितनी अधिक होती है, उसे अपनी विकास परियोजनाएं चलाने में उतनी ही आसानी होती है। मगर इस वक्त जब चालू खाते में जमा की दर चिंताजनक देखी जा रही है, तो लंबे समय के लिए चलाई जाने वाली बचत योजनाओं में निवेश को लेकर क्या ही दावा किया जा सकता है। अगर बैंक आकर्षक योजनाएं लेकर आएंगे और उन पर अधिक ब्याज की पेशकश भी करेंगे, तो कितने लोग आकर्षित हो पाएंगे, कहना कठिन है। सरकारी योजनाओं के तहत कर्ज देने की बाध्यता और उनके वापस न लौट पाने, फिर बड़े पैमाने पर कर्जमाफी के चलते भी सार्वजिनक बैंकों के जमा और कर्ज में अंतर आया है। ऐसे में, सरकार बुनियादी पहलुओं पर काम करने के बजाय बैंकों पर दबाव बना कर शायद ही इस समस्या से पार पा सकेगी।

सुरक्षा पर सवाल

अस्पतालों में महिला चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर अनेक बार सवाल उठते रहे हैं। खासकर रात के वक्त उनकी सुरक्षा के विशेष प्रबंध की जरूरत रेखांकित की जाती है। मगर इस तकाजे पर गंभीरता से ध्यान कम ही दिया जाता है। इसी का नतीजा है कि सेवा के समय अक्सर महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ जाती हैं। कोलकाता के एक सरकारी मेडिकल कालेज में प्रशिक्षु चिकित्सक की हत्या इसकी एक कड़ी है। प्राथमिक जांच से पता चला है कि उस चिकित्सक का बलात्कार किया गया और फिर उसे मार डाला गया। उसका शव अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में पाया गया। शव परीक्षा में उसके शरीर पर जगह-जगह गंभीर चोटें पाई गई हैं। हालांकि अस्पताल के कैमरों से मिली तस्वीरों के आधार पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर खासा सख्त रुख जाहिर किया है, मगर इस घटना को लेकर अस्पताल कर्मियों और चिकित्सा छात्रों का रोष कम नहीं हो रहा।

घटना की जांच के लिए सरकार ने सात सदस्यों का विशेष जांच दल नियुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर पीड़िता के परिजन चाहें तो वे इसकी सीबीआइ जांच के आदेश भी देने को तैयार हैं। मगर सवाल है कि आखिर इस तरह का साहस किसी में आया कैसे, कि उसमें कानून का जरा भी भय पैदा क्यों नहीं हुआ। अगर कानून-व्यवस्था का खौफ होता और अस्पताल प्रशासन मुस्तैद रहता, वहां सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होते, तो ऐसी वारदात होने ही न पाती। अच्छी बात है कि सरकार इस मामले पर किसी तरह की लीपापोती करने का प्रयास नहीं कर रही है, मगर सवाल है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वहां इतनी लचर व्यवस्था क्यों है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। यह केवल किसी अस्पताल तक सीमित समस्या नहीं है। सामान्य रूप से भी घर से बाहर निकलते वक्त महिलाएं सशंकित रहती हैं कि उनके साथ कुछ अनहोनी न घट जाए। अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सचमुच महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें इस दिशा में व्यावहारिक कदम उठाने का प्रयास करना चाहिए।

आर्थिक विकास पर अनुत्तरित प्रश्न

हमने तरक्की के पायदान तो कई चढ़ लिए। पांचवीं आर्थिक महाशक्ति से दो-तीन वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति भी बनने जा रहे हैं, लेकिन इसका पूरा भरोसा निजी क्षेत्र के योगदान पर ही क्यों किया जा रहा है?

सुरेश सेठ

देश 2047 में आजादी की सौवीं वर्षगांठ मनाने की ओर बढ़ रहा है। पिछले दिनों जब नए माहौल में एक नई आर्थिक विकास यात्रा शुरू करने के वादों के साथ निर्माण यात्रा शुरू हुई, तो उसकी घोषणाओं में बहुत-सी ऐसी अधूरी बातें रह गईं, जिनका समाधान इतने दशक में भी नहीं मिल पाया है। सरकार की नई पारी की शुरुआत करते हुए घोषणा की गई कि देश में एक अखिल भारतीय सहकारी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कतार के हर आखिरी आदमी को भाग लेने का पूरा मौका मिलेगा। बेशक, सहकारिता की बातें बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं। इसके नाम पर प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों से लेकर केंद्रीय सहकारी बैंक भी बने हैं, लेकिन नतीजा उल्लेखनीय नहीं रहा। अब भी जब उम्मीद की जा रही थी कि सहकारिता का एक नया माहौल होगा, तो फिर भ्रष्टाचार और सहकारी योजनाओं के अधूरेपन के सत्य सामने आने लगे।

पंजाब के विभिन्न इलाकों में सहकारी 'मिल्क प्लांट' खूब कोलाहल के साथ शुरू किए गए थे, वे अब करोड़ों रुपए के घाटे में क्यों चल रहे हैं। देश भर में नए आंदोलन के नाम पर सहकारी बैंकों की जो इकाइयां सामने आईं, पिछले दिनों वहां लेनदेन बंद हो गया, क्योंकि उपकरण सही नहीं थे। सर्वर काम नहीं कर रहा था और हिसाब-किताब पूरा नहीं था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा के साथ हमने अपने संविधान में आर्थिक प्रगति की सौगंध खाई थी। वादा था कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में संतुलन बनाया जाएगा। निजी क्षेत्र जहां आर्थिक तरक्की की ओर देखेगा, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र जनकल्याण की परवाह करेगा, क्योंकि उसके सामने हर निवेश में लाभ कमाने की प्रवृत्ति नहीं होगी। हमने तरक्की के पायदान तो कई चढ़ लिए। पांचवीं आर्थिक महाशक्ति से दो-तीन वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति भी बनने जा रहे हैं, लेकिन इसका पूरा भरोसा निजी क्षेत्र के योगदान पर ही क्यों किया जा रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र उपेक्षित हो रहा है, क्योंकि उसमें नौकरशाही और लालफीताशाही के बोलबाले पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार को शून्य स्तर पर लाने की बात छोड़िए, यहां सब चलता है, की संस्कृति हावी होने लगी। इधर संसद में नए आम बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष से ठोस विचार-विमर्श की उम्मीद की जा रही थी, ताकि नई शासन पारी का नया वर्ष एक सार्थक शुरुआत बन सके। मगर इस पर राजनीति हावी होने लगी। आर्थिक समस्याओं पर चिंतन की जगह जातिवाद पर टीका-टिप्पणियों ने पूरे संवाद का मिजाज बिगाड़ दिया। कुछ सवाल थे, जो पूछे जाने चाहिए थे। देश के कर्णधारों से लेकर देश के विचारवान आर्थिक चिंतकों तक इन प्रश्नों के जवाब तलाश करने चाहिए। पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि हम 'जय जवान, जय किसान' के साथ 'जय अनुसंधान' का नारा लगाते हैं, लेकिन इस अनुसंधान पर पर्याप्त खर्च का प्रावधान कहां है। हमारे कृषिप्रधान देश में आज भी आधे से थोड़ी कम जनसंख्या खेतीबाड़ी में लगी हुई है, लेकिन उसका योगदान सकल घरेलू आय में केवल पंद्रह फीसद क्यों है?

भारत के वित्तीय कर्णधारों ने भी कहा है कि भारत का विकास करना है तो कृषि में उत्पादकता और वक्त के मुताबिक बदलाव की अनुकूलता बढ़नी चाहिए। आज भी खेतीबाड़ी होती है, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था में उनके

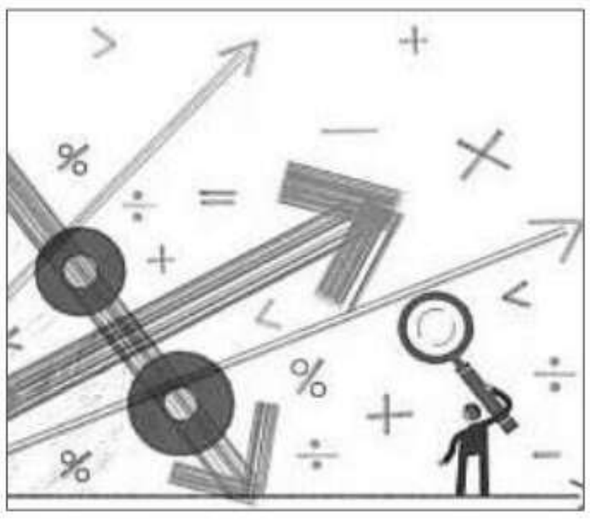

अंतिम उत्पाद बनाने के छोटे कारखाने क्यों नहीं उभर सके? ये उभर आते तो लोगों को रोजगार मिलता। इस युवा देश की आधी जनसंख्या तो काम तलाशते युवाओं की है, जिन्हें अपनी ग्रामीण जड़ों के माहौल में काम नहीं मिलता और वे समुद्र पार अपने लिए रोजगार तलाशने पर मजबूर होते, या

> **नया आम बजट आया, लेकिन कृषि शोध की राशि बढ़ी नहीं। आंकड़ों के मुताबिक कृषि विकास दर पिछले वर्ष 4.7 फीसद थी, इस वर्ष घटकर 1.4 फीसद रह गई। यहां शोध राशि और कृषि जीडीपी का अनुपात बढ़ना चाहिए था, लेकिन 2008-09 में जो अनुपात 0.75 फीसद था, वह 2022-23 में घटकर 0.43 फीसद रह गया। कृषि अर्थशास्त्री तो समझाते रहे कि शोध बढ़ाओ, एक रुपए से दस रुपए प्राप्त होंगे। पर्यावरण अनुकूलित बीज लाओ, नई सिंचाई और बिजाई तकनीकों पर काम करो, लेकिन वह नहीं हुआ। पचास फीसद आबादी अब भी खेतीबाड़ी में लगी है और उत्पादकता दुनिया में औसत से काफी कम है।**

फिर सरकारी अनुकंपा यानी रेवड़ियां बांटने की घोषणाओं का इंतजार करते हैं। क्यों बड़े पैमाने पर ग्रामीण समाज में शोध कार्य शुरू नहीं किए गए?

नया आम बजट आया, लेकिन कृषि शोध की राशि बढ़ी नहीं। आंकड़ों के मुताबिक कृषि विकास दर पिछले वर्ष 4.7 फीसद थी, इस वर्ष घटकर 1.4 फीसद रह गई। यहां शोध राशि और कृषि जीडीपी का अनुपात बढ़ना चाहिए था, लेकिन 2008-09 में जो अनुपात 0.75 फीसद था, वह 2022-23 में घटकर 0.43 फीसद रह गया। कृषि अर्थशास्त्री तो समझाते रहे कि शोध बढ़ाओ, एक रुपए से दस रुपए प्राप्त होंगे। पर्यावरण अनुकूलित बीज लाओ, नई सिंचाई और बिजाई तकनीकों पर काम करो, लेकिन वह नहीं हुआ। पचास फीसद आबादी अब भी खेतीबाड़ी में लगी है और उत्पादकता दुनिया में औसत से काफी कम है। क्या इसकी चर्चा संसद या नीति आयोग के मंच पर नहीं होनी चाहिए थी?

दुर्भाग्य से नीति आयोग की बैठक राज्यों को धनराशि के आबंटन के नाम पर राजनीति का शिकार हो गई। संसद में तो इस सवाल को सही ढंग से उठाया ही नहीं गया, सिवाय इस बात के कि दो चहेते राज्यों को धन आबंटन कर दिया, शेष रीते हाथ रह गए। सत्तापक्ष की ओर से इस बावेले को बार-बार रद्द किया गया। क्या कारण है कि संसद में जो बहस बहुत ठोस और सार्थक होनी चाहिए थी, उनमें महंगाई पर नियंत्रण और नौकरी के लिए एक नई रोजगार नीति की घोषणा नहीं हुई? जहां तक महंगाई पर नियंत्रण का संबंध है, इस समय देश की मौद्रिक नीति इस दोराहे पर ठिठकी हुई है कि क्या उसे कीमत नियंत्रण उपायों का सहारा लेते हुए अपनी मौजूदा नीति पर ही ठहरे रहना चाहिए या कि देश विकास की नीति का विकल्प अपनाकर अपनी साख नीति को उदार बनाकर देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना चाहिए।

बार-बार कहा जाता है कि विश्व महामंदी का सामना कर रहा है। भारत ने बाहुबली, आर्थिक रूप से संपन्न देशों की विकास दर को पछाड़ दिया है, लेकिन हम कुछ बातों का पूरी तरह से ध्यान क्यों नहीं कर पा रहे? महंगाई पर नियंत्रण हम नहीं कर पा रहे और हमने महंगाई के सूचकांकों की परिभाषा को अपनी सुविधानुसार बदल दिया है। महंगाई के सूचकांकों की नई रपटें अब खाद्य वस्तुओं की कीमतों को उपेक्षित करके घोषित हो रही हैं, क्योंकि लक्ष्य यही है कि किसी प्रकार कीमत की खुदरा दर को सुरक्षित चार फीसद तक लाया जाए। मगर एक बड़े सत्य की चर्चा क्यों नहीं हुई कि पिछले दिनों में थोक कीमत की दर, जो शून्य से नीचे चली गई थी, वह अचानक शून्य को पार करके ऊपर आ गई?

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि मौसम के तेवर के बदलने से कुलांचे भरकर आम आदमी की जिंदगी को दूभर क्यों करती हैं? उससे भी बड़ी बात कि जब थोक कीमतों के सूचकांक गिरावट दिखा रहे हैं, तो परचून कीमत सूचकांक उनका अनुसरण क्यों नहीं करते? उनका विरोधी तेवर क्यों बना रहता है? क्या इसका कारण खुदरा व्यापारियों पर कमी के मनोविज्ञान का सहारा लेकर चोरबाजारी करना है? अगर चोरबाजारी है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इनकी चिंता तो होनी चाहिए?

इसके अलावा, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर रियायतों और छूटों की घोषणा हो जाती है, लेकिन घरेलू बचत और मध्यवर्गीय बचत को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नजर आने वाले कदम क्यों नहीं उठाए जाते? क्यों ऐसी बचतों पर कर बढ़ता हुआ नजर आता है, चाहे वह मामूली रूप से ही हो। यह आधा-अधूरा चिंतन देश के आर्थिक विकास की एक उदीयमान और संपूर्ण तस्वीर पेश नहीं करता। इसकी चिंता देश के विचारवान लोगों को करनी ही चाहिए।

खुशी और आजादी

मेघा राठी

विद्वान और दार्शनिक कहते हैं कि सच्ची खुशी पाने के लिए व्यक्ति का खुद के साथ होना जरूरी है। किसी भी बाह्य आलंबन द्वारा प्राप्त प्रसन्नता अस्थायी होती है, क्योंकि जैसे ही वे कारण दूर होने लगते हैं, प्रसन्नता उदासी या अवसाद में बदलने लगती है। यह सत्य भी है, लेकिन अपने आप में प्रसन्न रहने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है 'स्वतंत्रता', जो आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक, तीनों रूपों में प्राप्त हो। खुद को खुश रखने के प्रयास में अगर किसी को इन तीनों रूपों में स्वतंत्रता न प्राप्त हो तो व्यक्ति के मस्तिष्क पर कहीं न कहीं दबाव बना रहता है, जो उसके खुश रहने में बाधक बनता है। फिर वास्तव में खुश होने की प्रक्रिया में बाधा आती है। यानी खुशी बाधित होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक समाज के अपने पारंपरिक मापदंड और अपेक्षाएं होती हैं, जो व्यक्ति के स्वतंत्र विचारों और कार्यों पर दबाव डालती हैं।

आमतौर पर लोगों की सोच एक तरह से पहले से निश्चित परिपाटी के अनुकूल तय होती है और चलती है। अगर व्यक्ति के कार्य और विचार उसके विपरीत हो रहे हों, भले ही उनके जरिए समाज का कोई अहित नहीं हो रहा हो, तब भी उनका परंपरा के अनुरूप न होना ही लोगों को खटकने लगता है और वे उसका विरोध करने लगते हैं या फिर व्यक्ति पर परिपाटी और परंपरा के अनुरूप होने के लिए वक्त-बेवक्त समझाइश, दबाव डाला जाने लगता है। अलग-अलग प्रकार से ताने दिए जाने लगते हैं, जिससे व्यक्ति पर मानसिक दबाव बनता है। इस तरह के हालात में भी मनुष्य को अपनी आंतरिक प्रसन्नता बनाए रखने में कठिनाई होती है। अगर दबाव बनाने वाले लोग परिवार के सदस्य हों, तब स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को उनकी खुशी और उम्मीदों का भी सम्मान करना पड़ता है, ताकि उनके संबंध मधुर बने रहें। संबंधों में मधुरता कायम रखने के लिए न जाने कितने लोगों को क्या-क्या छोड़ना पड़ता है। हालांकि अपनी आंतरिक प्रसन्नता के लिए व्यक्ति का अपने प्रियजनों की उपेक्षा कर देना उसका स्वार्थ कहलाएगा, स्वतंत्रता नहीं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ये कारण बाधा तो बनते ही हैं।

साथ ही व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से परनिर्भर है, तब भी वह इसे प्रसन्नता की राह में बाधक पाएगा। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने किसी भी निर्णय के लिए निवेश करने वाली वित्तीय आवश्यकता खुद से ही पूर्ण कर सकता है। जब व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं की चिंता नहीं होती, तो वह मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुष्ट रहता है, जिससे उसका संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।

वास्तव में स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने की अनुमति देती है, जिससे उसका तनाव कम होता है, लेकिन उसे इन तीनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती तो उसके मन में आत्म-संदेह की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। जब व्यक्ति का स्वयं पर ही विश्वास नहीं रख पाता, तो वह आत्मसम्मान की कमी महसूस करने लगता है और यह नकारात्मक सोच और विचारधारा भी आत्म प्रसन्नता को अवरुद्ध करने लगती है। अपनी प्रसन्नता को बनाए रखने लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना निरंतर प्रयासों द्वारा ही संभव है, जिसे व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक आधार पर क्रियान्वित किया जा सकता है।

स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनने के लिए आवश्यक है कि सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद न होने दिया जाए। व्यक्ति सदा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए और नकारात्मक विचारों से दूर रहे और साथ ही साथ चिंतन के माध्यम से समय-समय पर आत्म-साक्षात्कार करते हुए आत्म-सुधार पर ध्यान दे। सिर्फ अपने नहीं, बल्कि दूसरों के भी अधिकार हैं। इस सच को समझते हुए दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करने की जरूरत है। समाजिक रूप से विभिन्न समुदायों और समूहों के साथ जुड़कर और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेने से व्यक्ति की सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के अलग-अलग आयामों के बारे में अपनी समझ स्पष्ट होती है। अपनी स्वतंत्रता के समांतर दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करने की परिपक्वता हासिल होती है।

परिवार समाज की इकाई है और आपसी मेलजोल के साथ जब व्यक्ति के खुले और ईमानदार संवाद होंगे, विचार-विमर्श होंगे, एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान होगा तो निश्चित ही आपसी समझ और सहयोग भी बढ़ेगा। व्यक्ति का अपने समय का सही प्रबंधन भी परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बना कर आंतरिक प्रसन्नता को बनाए रखने में सहायता करेगा। ध्यान और योग करना भी मानसिक शांति और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।

स्वतंत्रता के दायरे बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि अपनी प्राथमिकताओं को समझा जाए और अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर उनको पूर्ण करने के लिए नियमित प्रयास किए जाएं।

दूसरे व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकताओं के विषय में समझाने से बेहतर है कि खुद ही इस दिशा में प्रयास करते रहा जाए, ताकि उनके द्वारा अपने आप ही स्वतंत्रता की स्थितियां निर्मित हो जाएं और हम आत्मिक रूप से प्रसन्न रहकर अपने आसपास के परिवेश को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर सकें।

दुनिया मेरे आगे

> **जब व्यक्ति का स्वयं पर ही विश्वास नहीं रख पाता, तो वह आत्मसम्मान की कमी महसूस करने लगता है और यह नकारात्मक सोच और विचारधारा भी आत्म प्रसन्नता को अवरुद्ध करने लगती है। अपनी प्रसन्नता बनाए रखने लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना निरंतर प्रयासों द्वारा ही संभव है, जिसे व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तरों पर क्रियान्वित किया जा सकता है।**

सबक और संदेश

बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सतर्कता और समझदारी की सराहना करनी चाहिए। सरकार ने संसद में कोई बयान देने से पहले बांग्लादेश के विषय पर जिस तरह सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, वह सराहनीय है। किसी भी विवादित विषय पर कोई निर्णय लेने से पहले सर्वसम्मति बनाने की चेष्टा सजीव लोकतंत्र का गुण है, जिसका अभाव बांग्लादेश में अक्सर उभरता रहा है। बेशक, भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलने में मदद की है, पर विदेश मंत्री ने यह भी बता दिया है कि भारत ने शेख हसीना को संयम बरतने की सलाह बार-बार दी थी और आग्रह किया था कि हालात को बातचीत से सुलझा लें। शेख हसीना का पतन वास्तव में उन सभी नेताओं के लिए सबक है, जो विपक्ष या विरोधियों के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं और जो लोकतंत्र और चुनाव की इज्जत नहीं करते हैं। आज के समय में सत्ता में बने रहने से ज्यादा जरूरी है- प्रतिकूल परिवेश न बनने देना। इसके बावजूद अगर हालात खिलाफ हो जाएं, तो समय रहते सत्ता से अलग हो जाना ही बेहतर है। इससे लोकतंत्र की ताकत बढ़ती है और अराजकता पर अंकुश रहता है।

– शाहिद हाशमी, जाकिर नगर, नई दिल्ली

बेलगाम हिंसा

मणिपुर में अभी तक साठ हजार से अधिक लोग बेघर, ढाई सौ से अधिक मौतें, सैनिक और सैन्य बलों की भी हत्या, सामूहिक बलात्कार और महिलाओं को नग्न घुमाने जैसी घटनाएं हुईं। हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री के काफिले पर भी हमला हुआ। इसे मुख्यमंत्री की बेबसी, नाकामी या भेदभाव का प्रतिसाद कहें, अन्यथा एक वर्ष में कुछ तो सुधार हुआ होता। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी नस्लीय हिंसा जारी रहने और न्याय न मिलने पर आरएसएस प्रमुख भागवत और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को नाकाम बताया। उल्लेखनीय है कि मैतेई और कुकी में संवाद की गुंजाइश लगभग नहीं बची है और हमार और मैतेई के बीच हुआ समझौता भी चौबीस घंटे में टूट गया, क्योंकि सरकार में दूरदर्शिता का अभाव है। नस्लीय हिंसा के सामने असहाय बनने के बजाय राहुल गांधी की तर्ज पर मणिपुर के लोगों से सतत चर्चा जारी रखनी होगी।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

आभासी दुनिया के खतरे

इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में लोग इसी के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं जो हमारे भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हमारा युवा इस सोशल मीडिया से अधिक समय और कहीं नहीं बिता रहा है। किसी एक ही और आभासी समाज से हमेशा घिरे रहना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन आज इसमें बच्चे और बुजुर्ग, सभी लीन दिखते हैं। इससे हमारा मस्तिष्क विकृत हो रहा है जो भविष्य में घातक साबित होगा। इसलिए अब सरकार और हमारे समाज को सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अन्यथा हमारा समाज विनाश की ओर बढ़ता चला जाएगा। सोशल मीडिया के अनेक ऐसे मंच हैं, जो हमारे बच्चों और युवाओं को एक तरह से मादक पदार्थों में डुबोते जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया की जिसे आदत लग गई है, वह उसे छोड़ नहीं पा रहा है और यह हमारे मस्तिष्क को कमजोर करता जा रहा है। इससे दूरी बनाना बेहद जरूरी है।

– अंकित यादव, दिल्ली

अब आगे

चीन, अमेरिका और पाकिस्तान को पता है कि बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार की दोस्ती नई दिल्ली से गहरी थी। अब शेख हसीना के जाने से भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संबंध बाधित हो सकते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अहम सहयोग के साथ दोनों देशों के बीच अच्छा-खासा व्यापार होता रहा है। अब दक्षिण एशिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को और मजबूती मिल सकती है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। तीस्ता सिंचाई परियोजना पर चीन अपनी नजर गड़ाए हुए था, लेकिन भारत के इसमें सहयोग के प्रस्ताव से शेख हसीना ने अपनी नीतियां भी बदली थीं। अब वहां जिन लोगों ने सत्ता का सूत्र थामा है, उनकी जिम्मेदारी है कि वे बांग्लादेश में शांति-व्यवस्था कायम करें।

– युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

www.readwhere.com

व्रत त्योहार

12 अगस्त को चौथा सावन सोमवार 13 अगस्त को चतुर्थ मंगला गौरी व्रत और मासिक दुर्गाष्टमी
16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी, सिंह संक्रांति, दामोदर द्वादशी और वरलक्ष्मी व्रत
17 अगस्त को शनि त्रयोदशी और प्रदोष व्रत
19 अगस्त को रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा
22 अगस्त को कजरी तीज
24 अगस्त को बलराम जयंती और नाग पंचमी
25 अगस्त को भानु सप्तमी और मासिक कार्तिगाई
26 अगस्त को वार्षिक कृष्ण जन्माष्टमी और कालाष्टमी है

कैलेंडर

धैर्य के साथ धीरे-धीरे चलना जरूरी

रोहित कौशिक

हम समय समय पर अपनी जिंदगी का विभिन्न तरह से विश्लेषण करते रहते हैं लेकिन शायद जिंदगी के कुछ रास्ते विश्लेषण से परे होते हैं। इसीलिए ऐसे विश्लेषण से हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। असली सवाल यह है कि हम अपने वर्तमान जीवन से खुश हैं या नहीं। दरअसल हम जीवन में जो बनना चाहते हैं, वह बनकर भी खुश नहीं रह पाते हैं। इसी तरह अगर हम वह न बन पाएं तो भी खुश रह सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जो चाहते हैं वह कभी पूरा नहीं होता। किसी भी काम के प्रति हमारी लगन और मेहनत ही हमारी सफलता का आधार बनती है। यही कारण है कि हम जो चाहते हैं वह पूरा भी होता है। इसीलिए हमारे अन्दर आगे बढ़ने की चाहत हमेशा बनी रहती है। कई बार हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, परिस्थितिवश उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है।

हम एक रास्ता बंद होने को ही जीवन का अन्त मान लेते हैं। यह स्थिति हमें मनोवैज्ञानिक रूप से भी परेशान करती है। इस समय एक मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे ऊपर कार्य करने लगता है। जीवन के सहज प्रवाह के लिए हमें मनोवैज्ञानिक दबाव से बचने की हर सम्भव कोशिश करनी होगी। इसलिए एक रास्ता बंद होने पर हमें धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से विचार-विमर्श करना होगा। ऐसी स्थिति में यदि हम धैर्य का साथ छोड़ देते हैं तो एक और गलत रास्ते पर आगे बढ़ने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। इस समय हम धैर्य के माध्यम से ही मनोवैज्ञानिक दबाव कम कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव कम होने पर ही दूसरे रास्ते पर चलने का सही निर्णय लिया जा सकता है। मानसिक तनाव की इस स्थिति से उबरने पर हमें एक साथ कई रास्ते दिखाई देने लगते हैं।

मानसिक तनाव कम होने पर ही हमारा विचार-विमर्श किसी उचित फैसले तक पहुंच पाता है। उचित फैसला लेने के बाद हमें दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जबकि लोग एक रास्ते पर चलकर सफल नहीं हो पाए लेकिन दूसरे रास्ते पर चलकर सफलता की एक नई कहानी लिख दी। हमें ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलेंगे जबकि लोग ताउम्र रास्ते बदलते रहे और उन्हें सफलता नहीं मिली लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर निराश नहीं होना है। सफर में हमें यह पता नहीं रहता कि इस रास्ते पर चलकर हम सफल होंगे या नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के जुनून और हौसले को हमें किसी भी हाल में कम नहीं होने देना है।

> मानसिक तनाव कम होने पर ही हमारा विचार-विमर्श किसी उचित फैसले तक पहुंच पाता है। उचित फैसला लेने के बाद हमें दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जबकि लोग एक रास्ते पर चलकर सफल नहीं हो पाए लेकिन दूसरे रास्ते पर चलकर सफलता की एक नई कहानी लिख दी। हमें ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलेंगे जबकि लोग ताउम्र रास्ते बदलते रहे और उन्हें सफलता नहीं मिली लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली।

यह जुनून और हौसला ही अंततः हमें सफल बनाता है। अगर आज का युवा लगातार सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे उसकी इच्छाशक्ति ही है। जब हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जी-जान से जुटते हैं तो कब वह पूरी हो जाती है, पता भी नहीं चलता।

लेकिन कभी-कभी हमारे जीवन की नैया एक ऐसे भंवर में फंस जाती है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। कभी ऐसा भी होता है कि समय या फिर परिस्थितियों का एक तेज बहाव आता है और हमारे जीवन की नैया उस बहाव में बहने लगती है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि हम कुछ सोच-समझ ही नहीं पाते है। ऐसे में हम अपनी जिंदगी को कोसने लगते हैं। ऐसे सफर के लिए अपनी जिंदगी को दोष देना उचित नहीं है ? हां, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें सामने भंवर दिखाई देता है और हम जानबूझकर अपने जीवन की नैया उस भंवर में फंसा देते हैं।

जीवन-जगत

शास्त्रों में सनातन शिव साधना

शास्त्री कोसलेंद्रदास

वैदिक सनातन संस्कृति में गणपति, दुर्गा, सूर्य और परमात्मा विष्णु के अतिरिक्त पंच देवों में देवाधिदेव भगवान शिव शंकर सम्मिलित हैं। इन पांच देवताओं के पूजन-अर्चन का विधान पुरातन है। वेदों से लेकर आधुनिक संस्कृत साहित्य तक पंचदेवों पर प्रचुर सामग्री प्राप्त है। भगवान शिव के पूजन और व्रत-उपवास के लिए वर्षा ऋतु में श्रावण व भाद्रपद मास उपयुक्त काल है। इनमें भी सोमवार और दोनों पक्षों की प्रदोष तिथियों का माहात्म्य अपूर्व रीति से वर्णित है।

शिव पूजा है पुरातन

भारत रत्न डा पांडुरंग वामन काणे ने धर्मशास्त्र का इतिहास में लिखा है कि शिव-पूजा संभवतः प्राचीनतम है। सर जान मार्शल के ग्रंथ मोहेन्जोदड़ो से पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय शिव-पूजा प्रचलित थी क्योंकि एक चित्र में एक योगी के चारों ओर हाथी, व्याघ्र, गैंडा एवं भैंसा पशु दिखाया गया है। शिव को पशुपति कहा गया है। महाकवि कालिदास के बहुत पहले से शिव की पूजा अर्ध पुरुष और अर्ध नारी के रूप में प्रचलित थी। कालिदास के मालविकाग्निमित्र और कुमारसंभव में शिव का अर्धनारीश्वर रूप में वर्णन है। शिव को पंचतुंड (पंचमुख-पंचानन) कहा जाता है। इनके पांच स्वरूप हैं - सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। कालांतर में शैवों और वैष्णवों में भले एक-दूसरे के विरुद्ध पर्याप्त कहासुनी का इतिहास है पर महाभारत एवं पुराणों के काल में इनमें कोई वैमनस्य नहीं था प्रत्युत बड़ा सौहार्द एवं आपसी सहिष्णुता थी।

द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं स्थापित

शिवपुराण की शतरुद्रसंहिता (अध्याय 42) में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है और ये ज्योतिर्लिंग रुद्र के साक्षात अवतार कहे गए हैं। ये हैं - सौराष्ट्र (गुजरात) में सोमनाथ, श्रीशैल पर्वत (आंध्रपदेश के कर्नूल में) पर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओंकार-क्षेत्र (नर्मदा द्वीप) में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमाशंकर (पूना में भीमा नदी के निकास-स्थल पर), काशी में विश्वेश्वर, गौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि (झारखंड) में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय (देवगिरि या दौलताबाद से 7 मील दूरी पर एलूर नामक ग्राम) में घुष्मेश।

> ब्रह्मांडपुराण में आया है कि काशी (उत्तर प्रदेश) एवं कांची (तमिलनाडु), दो नगरियां भगवान शिव की दो आंखें हैं। यद्यपि कांची प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्र है किंतु वहां भगवान शिव का सान्निध्य है। बार्हस्पत्यसूत्र (3/124) में ऐसा उल्लेख है कि कांची एक विख्यात शाक्त क्षेत्र है और देवीभागवत (7/38/8) में आया है कि कांची अन्नपूर्णा नामक देवीस्थान है।

देवों के देव

शिव को पशुपति कहा गया है। महाकवि कालिदास के बहुत पहले से शिव की पूजा अर्ध पुरुष और अर्ध नारी के रूप में प्रचलित थी। कालिदास के मालविकाग्निमित्र और कुमारसंभव में शिव का अर्धनारीश्वर रूप में वर्णन है। शिव को पंचतुंड (पंचमुख-पंचानन) कहा जाता है। इनके पांच स्वरूप हैं - सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान।

कुछ कारणों से राजस्थान के सवाई माधोपुर के शिवाड़ ग्राम में भी लोग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं।

शिव की नगरियां, काशी और कांची

ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि काशी (उत्तर प्रदेश) एवं कांची (तमिलनाडु), दो नगरियां भगवान शिव की दो आंखें हैं। यद्यपि कांची प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्र है किंतु वहां भगवान शिव का सान्निध्य है। बार्हस्पत्यसूत्र (3/124) में ऐसा उल्लेख है कि कांची एक विख्यात शाक्त क्षेत्र है और देवीभागवत (7/38/8) में आया है कि कांची अन्नपूर्णा नामक देवीस्थान है। कांची मंदिरों एवं तीर्थों से परिपूर्ण है, जिनमें अत्यंत प्रसिद्ध है पल्लव राजसिंह द्वारा निर्मित कैलासनाथ का शिव-मंदिर एवं विष्णु का वैकुंठ पेरुमल मंदिर। भगवान विश्वनाथ वाराणसी के रक्षक देव हैं और इनका मंदिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है।

वायुपुराण और शिवपुराण

वायु एक शुद्ध महापुराण है पर शिवपुराण पश्चात्कालीन कृति है। यह मात्र उपपुराण है। अल्बरूनी में इसके विषय का प्राचीनतम संकेत एवं उल्लेख है। यह सात संहिताओं में विभक्त है - विद्येश्वर, रुद्रसंहिता (सृष्टि, सती, पार्वती, कुमार एवं युद्ध नामक पांच भागों में), शतरुद्र, कोटिरुद्र, उमा, कैलास, वायवीय (दो भागों में)। इसमें लगभग 23000 श्लोक हैं। कोटिरुद्रसंहिता (अध्याय 35) में शिव के एक सहस्र नाम दिए हुए हैं।

महेश्वर के 28 अवतार

शास्त्रों में भगवान विशेषण शिव के लिए प्रयुक्त है। श्वेताश्वतर—उपनिषद ने शिव को सर्वव्यापी और भगवान कहा है। पाणिनि पर अपने भाष्य में पतंजलि ने शिव-भागवत का उल्लेख किया है, जिसका तात्पर्य उस भक्त से हैं जो अपने साथ शिव के आयुध त्रिशूल को लेकर चलता है। अमरकोष ने शिव को ईश्वर और सर्वज्ञ कहा है। पुराणों ने भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के क्रिया-कलापों का पर्याप्त उल्लेख किया है किंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शिव के अवतार नहीं थे। वायुपुराण (अध्याय 23) ने महेश्वर के 28 अवतारों का उल्लेख किया है, जिनमें अंतिम है नकुली। संस्कृत साहित्य के अमर कवि कालिदास ने शिव के अर्धनारीश्वर रूप का उल्लेख किया है और अभिज्ञान-शाकुंतल में उन्हें अष्टमूर्ति रूप में वर्णित किया है।

सगुण और निर्गुण हैं शिव

11वीं शती के तंत्र-ग्रंथ शारदातिलक में आया है कि शिव निर्गुण एवं सगुण, दोनों हैं। इनमें प्रथम प्रकृति से भिन्न और दूसरे प्रकृति से संबंधित हैं। सगुण परमेश्वर से, जो सच्चिदानंद—विभव कहा जाता है, शक्ति का उद्भव होता है। शक्ति से नाद (की उत्पत्ति होती है। नाद से बिंदु का उद्भव होता है और बिंदु तीन भागों में विभक्त है - बिंदु (अपर), नाद (अपर) एवं बीज। प्रथम का शिव से तादात्म्य है, बीज शक्ति है और नाद दोनों अर्थात शिव एवं शक्ति का सम्मिलन है। शारदातिलक (1/73) में एक पंचाक्षर मन्त्र है - नमः शिवाय, जो लिंगपुराण से यहां आया है। यही मंत्र छह अक्षरों वाला हो जाता है जब ओम् पहले लगा दिया जाता है। कश्मीर के शैव संप्रदाय से संबंधित भट्ट वामदेव कृत जन्ममरणविचार नामक ग्रंथ में आया है कि शिव की तीन शक्तियां हैं - चित (जो प्रकाश या चेतना के समान है), स्वातन्त्र्य (इच्छा-स्वातंत्र्य) एवं आनंद शक्ति। रामचरितमानस में प्रभु शिव और माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, जिनसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्राप्त होते हैं।

आस्था

हरिद्वार में रविवार को मुल्तान ज्योत महोत्सव के दौरान गंगा नदी में डुबकी लगाते श्रद्धालु।

मां पार्वती और भोलेनाथ को समर्पित है हरतालिका तीज

हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस बार हरतालिका तीज छह सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत भी रखती हैं। महिलाएं यह व्रत पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और माता पार्वती के समान अखंड सौभाग्य की कामना से करती हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख-सौभाग्य की कामना के लिए रखती हैं। कुछ स्थानों में कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं।

निर्जला व्रत होने के कारण ये बेहद ही कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज व्रत रखने से संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर के लिए ये व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गलती से भी ऐसा कुछ काम नहीं करने चाहिए अन्यथा जीवनसाथी के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, इसलिए इस दिन व्रती को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज पर पवित्र और मन से व्रत रखना चाहिए। इस दिन क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीजों से बचने की आवश्यकता है। इस दिन आप पति के साथ वाद-विवाद या झगड़ा न करें। कोई ऐसी बात न करें, जिससे उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचे। हरतालिका तीज के दिन सिंदूर का अनादर न करें, उसे इधर-उधर न फेंके। सिंदूर को सदैव सिंदूरदानी में ही रखें। तीज माता की पूजा के साथ भगवान गणेश और महादेव की भी पूजा करें। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और शिव के साथ ही पार्वती जी पूर्ण मानी जाती हैं। गणेश और शिव जी की पूजा न करने से माता पार्वती नाराज हो सकती हैं, जिसकी वजह से हरतालिका तीज व्रत अपूर्ण माना जा सकता है।

> निर्जला व्रत होने के कारण ये बेहद ही कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज व्रत रखने से संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर के लिए ये व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गलती से भी ऐसा कुछ काम नहीं करने चाहिए अन्यथा भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और जीवनसाथी के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, इसलिए इस दिन व्रती को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज पर पवित्र मन से व्रत रखना चाहिए।

शिव की संकल्पना का मुख्य प्रतीक है बिल्वपत्र

पवन गौतम

देवों के देव महादेव का अभिषेक भांग, धतूरे, फल, फूल और बिल्वपत्र इत्यादि से किया जाता है। माना जाता है कि भगवान शंकर की पूजा बिना बिल्वपत्र के अधूरी होती है। बिल्वपत्र में तीन पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं। इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। तीन पत्तों को कहीं त्रिदेव यानी सृजन, पालन और विनाश के देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो कहीं तीन गुणों जैसे सत्व, रज और तम, तो कहीं तीन आदि ध्वनियों, जिनकी सम्मिलित गूंज से ऊं बनता है, का प्रतीक माना जाता है। बिल्वपत्र की इन तीन पत्तियों को महादेव की तीन आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है।

एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद ने भोलेनाथ की स्तुति की और पूछा कि प्रभु! आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान साधन क्या है? नारद की बात सुनकर भगवान बोले कि जो भी भक्त अखंड बिल्वपत्र श्रद्धा से अर्पित करते हैं तो शिव उन्हें अपने लोक में स्थान देते हैं। यह बात सुनकर नारद अपने लोक को चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद मां पार्वती ने भगवान से पूछा कि आपको बिल्वपत्र इतना प्रिय क्यों है? इस पर भगवान ने कहा कि बिल्व के पत्ते उनकी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी तीन पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं और उसकी शाखाएं समस्त शास्त्रों का स्वरूप हैं। मनुष्य को बिल्ववृक्ष को पृथ्वी का कल्पवृक्ष समझना चाहिए। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्ववृक्ष रूप में जन्म लिया था।

महादेव

> एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद ने भोलेनाथ की स्तुति की और पूछा कि प्रभु! आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान साधन क्या है? नारद की बात सुनकर भगवान बोले कि जो भी भक्त अखंड बिल्वपत्र श्रद्धा से अर्पित करते हैं तो शिव उन्हें अपने लोक में स्थान देते हैं। यह बात सुनकर नारद अपने लोक को चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद मां पार्वती ने भगवान से पूछा कि आपको बिल्वपत्र इतना प्रिय क्यों है? इस पर भगवान ने कहा कि बिल्व के पत्ते उनकी जटा के समान हैं।

भगवान के मुख से ऐसी बात सुनकर पार्वती सोच में पड़ गईं कि माता लक्ष्मी ने आखिर बिल्ववृक्ष का रूप क्यों लिया? पार्वती को इस तरह दुविधा और आश्चर्य में देखकर भगवान ने कहा कि सतयुग में ज्योतिरूप रामेश्वर लिंग का ब्रह्मा सहित सभी देवों ने विधिवत पूजन-अर्चन किया था। फलतः उनके अनुग्रह से वाग्देवी सबकी प्रिय हो गईं। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। शिव के प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्देवी के लिए जितनी प्रीति हुई वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं पसंद आई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या के कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र-पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगीं। इस तरह उन्होंने वर्षों तक आराधना की और अंततः उन्हें शिव का अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने श्रीहरि के हृदय में वाग्देवी के प्रति स्नेह को समाप्त करने का वर मांगा। तब भगवान शिव ने देवी लक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति तो उनकी केवल श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गईं और पुनः विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगीं। शिव पुराण के मुताबिक, समुद्र मंथन से निकले विष से संसार संकट में पड़ गया और कोई भी उस विष को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद सभी देव और दानव शिव के पास इस समस्या का हल निकालने के लिए पहुंचे। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इससे शिव के शरीर का तापमान बढ़ने लगा और उनका गला नीला पड़ गया।

शिव के शरीर का तापमान बढ़ने से ब्रह्मांड में आग लगने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के सभी प्राणियों का जीवन कठिन हो गया। सृष्टि के हित में विष के प्रभाव को खत्म करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव को बिल्वपत्र दिए। बिल्वपत्र खाने से विष का प्रभाव कम हो गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। बिल्वपत्र हमेशा चिकनी सतह की तरफ से ही चढ़ाना चाहिए। कभी भी कटे हुए बिल्वपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए।

भगवान को बिल्वपत्र तीन पत्तों से कम नहीं चढ़ाने चाहिए। हमेशा विषम संख्या जैसे तीन, पांच, या सात ही बिल्वपत्र चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र हमेशा मध्यमा, अनामिका उंगली और अंगूठे से पकड़कर ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बिल्वपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए पहले से अर्पित किए हुए बिल्वपत्र को धोकर फिर से चढ़ाया जा सकता है।

www.readwhere.com

प्रधानमंत्री मोदी ने दी किसानों को सौगात, जारी की

ज्यादा उपज वाली बीजों की 109 किस्में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कृषि और बागवानी फसलों की उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल और जैव-सुदृढ़ीकृत बीजों की 109 किस्मों को जारी किया। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) ने विकसित किया है और ये कुल 61 फसलों से संबंधित हैं। इनमें 34 खेतों में लगाई जाने वाली और 27 बागवानी की फसलें हैं।

मोदी ने दिल्ली के पूसा परिसर में तीन प्रायोगिक कृषि भूखंडों पर बीजों को पेश किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मोदी ने किसानों के साथ इन नई किस्मों के महत्त्व पर चर्चा करते हुए कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्त्व पर जोर दिया। इस अवसर पर मौजूद किसानों ने कहा कि 61 फसलों से संबंधित ये नई किस्में कम लागत के कारण उनके लिए अत्यधिक लाभकारी होंगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लोग किस तरह पौष्टिक भोजन का रुख कर रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों और जैविक खेती के प्रति आम लोगों की बढ़ती रुचि के बारे में भी बात की। मोदी ने कहा कि लोगों ने जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग और मांग करना शुरू कर दिया है। बयान के मुताबिक, किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि केवीके को हर महीने विकसित की जा रही नई किस्मों के लाभों के बारे में किसानों को सक्रिय रूप से बताना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इन नई फसल किस्मों के विकास के लिए वैज्ञानिकों की भी सराहना की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाद में कहा कि आज का दिन किसानों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि 61 फसलों की बीजों की 109 किस्में जारी की गई हैं। इससे किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में मदद मिलेगी। चौहान ने कहा कि इन फसलों के बीज जलवायु के अनुकूल हैं और प्रतिकूल मौसम में भी अच्छी फसल दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये किस्में पोषण से भरपूर हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि वे अप्रचलित फसलों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुरूप काम कर रहे हैं।

खेती की फसलों में अनाज, बाजरा, चारा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और फाइबर फसलें शामिल हैं। वहीं बागवानी की फसलों में फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और औषधीय पौधों की नई किस्में शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2014 से ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए टिकाऊ खेती के तरीकों और जलवायु अनुकूल तरीकों की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने लगातार जैव-सुदृढ़ किस्मों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, और कुपोषण से निपटने के लिए उन्हें मध्याह्न भोजन योजना और आंगनवाड़ी सेवाओं जैसी सरकारी पहलों से जोड़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के साथ इन नई किस्मों के महत्त्व पर चर्चा करते हुए कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्त्व पर जोर दिया। *उन्होंने* इस बात पर जोर दिया कि लोग किस तरह पौष्टिक भोजन का रुख कर रहे हैं।

हिंडनबर्ग मामला : वाम दलों ने भी जेपीसी जांच की मांग की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

वाम दलों ने अमेरिका की शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन करने की रविवार को मांग की।

माकपा ने एक बयान में कहा कि पहले अडाणी समूह की कंपनियों द्वारा शेयर मूल्य में हेराफेरी को उजागर कर चुकी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। माकपा ने कहा कि नियामक की प्रमुख के खिलाफ इन गंभीर आरोपों को देखते हुए, यह जरूरी है कि उचित जांच होने तक वह अध्यक्ष पद से हट जाएं। माकपा का पोलित ब्यूरो अपनी मांग दोहराता है कि अडाणी समूह के शेयर में हेरफेर के पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि हिंडनबर्ग मामले में नवीनतम खुलासे में नियामक सेबी पर आरोप लगाया गया है और यह भी कहा गया है कि इसकी अध्यक्ष भी हेरफेर में शामिल थीं। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए। भाकपा के महासचिव डी राजा ने कहा कि जेपीसी गठित हो या नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। खुलासे ने भाजपा सरकार की पूरी तरह से पोल खोल दी है। उजागर हो गया है कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार देश की संपत्ति लूटने के लिए कारपोरेट घरानों, विशेषकर अडाणी को समर्थन दे रही है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि नियामक की प्रमुख के खिलाफ इन गंभीर आरोपों को देखते हुए, यह जरूरी है कि उचित जांच होने तक वह अध्यक्ष पद से हट जाएं। बिना इसके निष्पक्ष जांच संभव नहीं है।

संपदा प्रबंधन कंपनी 360 वन ने कहा

अपने कोष से अडाणी के शेयरों में निवेश नहीं किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

संपदा प्रबंधन कंपनी 360 वन ने हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रपट में किए गए दावों पर रविवार को कहा कि उसके पूर्ववर्ती आइपीई-प्लस फंड-1 ने अडाणी समूह के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया था।

कंपनी 360 वन (पूर्व में आइआइएफएल वेल्थ मैनेजमेंट) ने एक बयान में कहा कि सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का इस निवेश फंड में कुल प्रवाह का 1.5 फीसद से भी कम निवेश था और किसी भी निवेशक की निवेश निर्णयों में कोई संलिप्तता नहीं थी। कंपनी ने कहा कि इस फंड ने नियामकीय नियमों का पूरी तरह पालन किया था। यह फंड अक्तूबर, 2013 से लेकर अक्तूबर, 2019 के बीच सक्रिय था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, 'फंड की पूरी अवधि के दौरान आईपीई-प्लस फंड-1 ने किसी भी फंड के जरिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अडाणी समूह के किसी भी शेयर में शून्य निवेश किया है।'

फंड के लिए प्रबंधन के तहत अधिकतम परिसंपत्तियां लगभग 4.8 करोड़ डालर थीं और एयूएम का 90 फीसद से अधिक लगातार बांड में निवेश किया गया था। इस बीच, म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय एम्फी ने रविवार को सेबी प्रमुख बुच का समर्थन किया।

एम्फी ने कहा, 'नियामक की अध्यक्ष पर हाल की टिप्पणियों ने न केवल भारतीय पूंजी बाजार में माधबी बुच के योगदान को कम करने का प्रयास किया है, बल्कि यह हमारे देश की आर्थिक प्रगति को भी कमजोर करता है। बाजार पारिस्थितिकी में विश्वास की कमी पैदा करने वाले प्रयासों को वास्तव में ऐसे देखा जाना चाहिए कि ये अतीत की अलग-अलग घटनाओं को जोड़कर सनसनी पैदा करने का प्रयास हैं।' म्यूचुअल फंड निकाय ने चेतावनी दी कि यदि आरोपों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के मार्ग में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड निकाय ने चेतावनी दी कि यदि आरोपों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के मार्ग में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं।

आस्था

जयपुर में रविवार को पवित्र श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शंकर की वेशभूषा में प्रस्तुति देता एक कलाकार।

देश में वित्तीय अस्थिरता की साजिश का हिस्सा है विपक्ष : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के खिलाफ जारी रपट को खारिज कर दिया और इसे देश के प्रतिभूति बाजार नियामक को बदनाम करने का प्रयास करार दिया।

केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भारत में वित्तीय अस्थिरता और अराजकता पैदा करने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप भी लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले साल अडाणी समूह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली 'शार्ट सेलिंग' कंपनी (हिंडनबर्ग) भारतीय जांच एजंसियों की जांच का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भी हिंडनबर्ग के आरोपों के साथ सुर मिला रहे हैं और साजिश अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि वे अराजकता और अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, खासकर वित्तीय क्षेत्र में। विदेशी धरती से आई ऐसी कई आलोचनात्मक रपट को संसद सत्रों के ठीक पहले जारी किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को पता था कि ये रिपोर्ट संसद सत्र के दौरान आने वाली है। संसद का मानसून सत्र पहले सोमवार को समाप्त होना था लेकिन इसे शुक्रवार को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि शार्ट सेलिंग कंपनी ने कांग्रेस के साथ 'स्पष्ट साझेदारी' में बाजार नियामक सेबी पर हमला किया है और इसका एक मकसद और लक्ष्य है।

भाजपा ने कहा कि विपक्षी दल भी हिंडनबर्ग के आरोपों के साथ सुर मिला रहे हैं।

हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए : संजय सिंह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को कहा कि अमेरिकी शोध व निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए।

आप सांसद संजय सिंह ने रविवार को आरोप लगाते हुए कहा कि हवाला के जरिए विदेशी फर्जी कंपनियों को पैसा देकर भारत की डूबती हुई कंपनियों के शेयर खरीदे गए। इससे देश के लोगों ने भी उन कंपनियों के शेयर खरीदे, जिससे देश के लोगों के कई लाख करोड़ रुपए डूब गए। आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल से कहा था कि अडाणी समूह के संबंध में जांच दिशाहीन है।

उन्होंने कहा कि सेबी प्रमुख और उनके पति का पैसा मुखौटा कंपनियों में निवेश किया गया था। ये तथ्य सुप्रीम कोर्ट से क्यों छिपाए गए? सुप्रीम कोर्ट को नए घटनाक्रम पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह तथ्यों को छिपाया गया।

आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि हवाला के जरिए विदेशी फर्जी कंपनियों को पैसा देकर भारत की डूबती हुई कंपनियों के शेयर खरीदे गए।

राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग मामले पर कहा

सेबी की शुचिता से 'गंभीर समझौता' हुआ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ 'गंभीर समझौता' हुआ है और उन्होंने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर स्वतः संज्ञान लेगा।

कांग्रेस नेता गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि अब यह 'पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी की जांच से इतने डरे हुए क्यों हैं।गांधी की यह टिप्पणी अमेरिका की शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग की शनिवार रात जारी उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें उसने संदेह जताया है कि अडाणी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में पूंजी बाजार नियामक सेबी की अनिच्छा का कारण सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की अदाणी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी हो सकती है। गांधी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले प्रतिभूति नियामक सेबी की शुचिता, इसकी अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं: सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा- प्रधानमंत्री मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडाणी? राहुल गांधी ने सवाल किया कि सामने आए नए और 'बेहद गंभीर' आरोपों के मद्देनजर क्या उच्चतम न्यायालय इस मामले की फिर से स्वतः संज्ञान लेकर जांच करेगा।

उन्होंने सवाल किया कि निवेशक मेहनत की कमाई खो देते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा।

पेज 1 का बाकी

उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश, 28 की मौत

जगह-जगह जलभराव एवं यातायात जाम हो गया। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 20 में पानी से भरे पार्क में सात वर्षीय एक बच्चा डूब गया। राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव की सात और पेड़ गिरने की चार सूचनाएं मिलीं। हिमाचल प्रदेश में वर्षाजनित घटनाओं में तीन लड़कियों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है। राज्य में पिछले दो दिनों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण 280 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं।

उत्तर प्रदेश के जालौन में दो लोगों की मौत हो गई। जालौन में भारी बारिश के कारण कोच क्षेत्र में एक मकान की छत गिरने से एक महिला और उसके सात वर्षीय बेटे की मौत हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार शाम बुलेटिन में कहा कि राजस्थान के करौली (38 सेमी) में 'असाधारण रूप से भारी वर्षा' हुई, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, पंजाब, हरियाणा, बिहार में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। राजस्थान के जयपुर में अधिकारियों ने बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण करौली और हिंदुआन में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई। मोहाली, लुधियाना, अमृतसर, रूपनगर और अंबाला समेत कई स्थानों पर बारिश हुई। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भी बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरे मौसम से राहत मिली। मौसम विभाग की रपट के अनुसार, दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ में 129.7 मिमी बारिश हुई। सोम नदी के तटबंध टूटने से हरियाणा के यमुनानगर जिले के कई गांव जलमग्न हो गए। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश के कारण मंडी तहसील को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाला एक पुल आंशिक रूप से बह गया, जिसके कारण अधिकारियों को यातायात निलंबित करना पड़ा। उधर, उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के कारण जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ने से धुर्मा और ग्वाड़ गांव को जोड़ने वाले दो पैदल पुल बह गए, जिससे इन गांवों के 44 परिवारों का अन्य क्षेत्र से संपर्क टूट गया है। उत्तर प्रदेश में में पिछले 24 घंटे में कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। लगातार हुई बारिश के कारण लोगों को उमस से राहत मिली है।

वहीं उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के कारण जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। कुंड-ऊखीमठ-चोपता-गोपेश्वर हाईवे कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे पर गहरी दरारें आ गईं। मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ने से धुर्मा और ग्वाड़ गांव को जोड़ने वाले दो पैदल पुल बह गए, जिससे इन गांवों के 44 परिवारों का अन्य क्षेत्र से संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड में दो अलग-अलग घटनाओं में एक बच्चा सहित दो लोग वर्षा से उफनाई नदियों में बह गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस तथा आपदा प्रबंधन की टीम ने तलाशी अभियान चलाया जिसके बाद आंवलगेट के समीप अमरजीत (10) का शव बरामद हुआ। एक अन्य घटना में, ऋषिकेश में लकड़घाट श्यामपुर में गंगा नदी में एक व्यक्ति बह गया। राज्य आपदा प्रतिवादन बल ने बताया कि नदी में तीन मित्र नहाने गए थे, इसी दौरान उनमें से एक नदी के तेज बहाव में बह गया।

बम धमाके में पूर्व विधायक की पत्नी की मौत

गई। विधायक की पत्नी के अलावा परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि बम किसने लगाया, इस बात का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, इस हादसे के पीछे की वजह पारिवारिक विवाद भी हो सकता है।पूर्व विधायक यमथोंग हाओकिप कुकी समुदाय से आते हैं, जबकि उनकी पत्नी चारुबाला मैतेई समुदाय से थीं और कुकी जोमी प्रभुत्व वाले कांगपोकपी जिले के एकौ मुलम में रहती थीं। यमथोंग हाओकिप ने 2012 और 2017 के चुनाव में दो बार कांग्रेस के टिकट पर सैकुल सीट से जीत हासिल की थी, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वे भाजपा में शामिल हो गए थे।

हिंडनबर्ग रपट पर सेबी, बुच, अडाणी समूह और भाजपा का चौतरफा हमला

उल्लंघनों के लिए हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोटिस का जवाब देने के बजाय उसने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और सेबी अध्यक्ष के चरित्र हनन की कोशिश करने का विकल्प चुना है।'बयान के अनुसार, बुच ने धवल के बचपन के दोस्त अनिल आहूजा की सलाह पर दो फंडों में निवेश करने का फैसला किया था। आहूजा वह व्यक्ति हैं, जिन्हें हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने मारीशस स्थित आईपीई प्लस फंड के संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में पहचाना है।

इनके बारे में अडाणी समूह ने भी अपने बयान में कहा है कि वे अडाणी पावर (2007-2008) में श्रीआई इन्वेस्टमेंट फंड के नामित व्यक्ति थे और उन्होंने जून 2017 को समाप्त नौ वर्षों की अवधि में तीन कार्यकालों के लिए अडाणी एंटरप्राइजेज के निदेशक के रूप में कार्य किया।आहूजा के बयान का हवाला देते हुए, बुच ने कहा कि फंड ने किसी भी समय किसी भी अडाणी समूह की कंपनी के किसी भी बांड, इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया। उधर अडाणी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और चुनिंदा सार्वजनिक सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाला बताते हुए रविवार को कहा कि उसका बाजार नियामक सेबी की अध्यक्ष या उनके पति के साथ कोई वाणिज्यिक संबंध नहीं है।

अडाणी समूह ने शेयर बाजार को दी एक सूचना में कहा, 'हिंडनबर्ग के नए आरोप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं का दुर्भावनापूर्ण, शरारती और छेड़छाड़ करने वाला चयन है। ऐसा तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए निजी मुनाफाखोरी के लिए पूर्व-निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंचने के इरादे से किया गया है।' समूह ने कहा, 'हम अडाणी समूह के खिलाफ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये उन अस्वीकार किए जा चुके दावों का दोहराव हैं जिनकी गहन जांच की गई है, जो निराधार साबित हुए हैं और जनवरी, 2024 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिए गए हैं।' वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और इसे देश के प्रतिभूति बाजार नियामक को बदनाम करने का प्रयास व राजनीति से प्रेरित करार दिया। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भारत में वित्तीय अस्थिरता और अराजकता पैदा करने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप भी लगाया।भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले साल अडाणी समूह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली 'शार्ट सेलिंग' कंपनी (हिंडनबर्ग) भारतीय जांच एजंसियों की जांच का सामना कर रही है।

उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भी हिंडनबर्ग के आरोपों के साथ सुर मिला रहे हैं और साजिश अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि वे अराजकता और अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, खासकर वित्तीय क्षेत्र में।विदेशी धरती से आई ऐसी कई आलोचनात्मक रपट को संसद सत्रों के ठीक पहले जारी किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को पता था कि ये रपट संसद सत्र के दौरान आने वाली है। संसद का मानसून सत्र पहले सोमवार को समाप्त होना था लेकिन इसे शुक्रवार को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि शार्ट सेलिंग कंपनी ने कांग्रेस के साथ 'स्पष्ट साझेदारी' में बाजार नियामक सेबी पर हमला किया है और इसका एक मकसद और लक्ष्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं बार-बार कहता हूं कि कांग्रेस के परिवारवादियों की मदद से कई वैश्विक ताकतें भारत की प्रगति को धीमा करना चाहती हैं। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। नियामक ने कहा कि उसने अपनी जांच के तहत जानकारी मांगने के लिए 100 से अधिक समन, करीब 1,100 पत्र और ईमेल जारी किए हैं। करीब 12,000 पन्नों वाले 300 से अधिक दस्तावेजों की जांच की गई है।

एक नागरिक की मौत के बाद तेज हुई आतंक निरोधक मुहिम

हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा के रूप में की गई है।इस मुठभेड़ ने पिछले साल सितंबर में कोकेरनाग में ऐसी ही गोलीबारी के बाद हुई मुठभेड़ की दुखद यादें ताजा कर दीं, जब कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट सहित चार सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस दौरान लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर सहित दो आतंकियों को भी मार गिराया गया था। सुरक्षाबलों ने 15 जुलाई को डोडा जिले में एक मुठभेड़ के बाद कोकेरनाग के जंगलों में तलाश अभियान तेज कर दिया है। इस मुठभेड़ में एक कैप्टन समेत चार जवान शहीद हो गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में अनंतनाग की घटना में शामिल आतंकवादी डोडा में मुठभेड़ से बचकर किश्तवाड़ जिले से सीमा पार कर आए होंगे।

श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि पांच अगस्त को इलेक्ट्रानिक माध्यमों से पुष्टि हुई कि जुलाई में डोडा क्षेत्र में आतंकी किश्तवाड़ रेंज को पार कर दक्षिण कश्मीर के कापरान-गरोल क्षेत्र में घुस आए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लगातार इन आतंकियों पर नजर रखी और नौ व 10 अगस्त की दरमियानी रात को कापरान के पूर्व में पहाड़ों पर सटीक अभियान चलाया गया, जहां कथित तौर पर ये आतंकी छिपे हुए थे। प्रवक्ता ने कहा कि घायल नागरिकों की आतंकवादी पृष्ठभूमि का पता लगाया जा रहा है। यह इलाका 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है, यहां घने जंगल, बड़े-बड़े पत्थर, नाले और जटिल रास्ते हैं, जो अभियान के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं।

सुरक्षा बल सोच-समझकर आगे बढ़ रहे हैं और आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सुरक्षा बल इलाके में आतंकवादियों की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा स्थिति को अस्थिर करने के लिए विदेशी आतंकवादियों को भेज रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए रणनीति बनाई गई है तथा सुरक्षाबलों की नए सिरे से तैनाती की जा रही है।

सिन्हा ने कहा कि अगले तीन महीनों में स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। जम्मू क्षेत्र में स्थिति पहले शांतिपूर्ण थी लेकिन हालिया समय में खासकर सीमावर्ती जिलों में आतंकी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। पिछले कुछ महीनों के दौरान भारतीय वायुसेना के काफिले, तीर्थयात्रियों की बस पर हमले और कठुआ में जवानों पर हमले ने उभरते खतरे को उजागर किया है। शनिवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ के दौरान दो जवानों और एक आम नागरिक की मौत हो गई।

डाक्टर से बलात्कार-हत्या मामले में अस्पताल अधीक्षक हटाए गए

कार्रवाई तथा सभी स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने तत्काल एवं पारदर्शी जांच के साथ-साथ इस घटना के 'जिम्मेदार लोगों के लिए कठोर सजा' सुनिश्चित करने की भी अपील की।

शहर के कई सरकारी अस्पतालों ने रविवार को आधिकारिक बयान जारी कर सोमवार सुबह से बाह्य रोग विभाग, ऑपरेशन कक्ष और वार्ड ड्यूटी को बंद करने की घोषणा की।मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल और जीटीबी अस्पताल की 'रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन' ने अपनी गैर आपात सेवाएं निलंबित करने की घोषणा की।

www.readwhere.com

खबर कोना

बांग्लादेश : मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार मामले में बरी

ढाका, 11 अगस्त (भाषा) ।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में रविवार को बरी कर दिया गया। यूनुस ने तीन दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया है। मीडिया रपट में यह जानकारी दी गई। डेली स्टार समाचार पत्र ने भ्रष्टाचार निरोधक एजंसी के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि ढाका के विशेष न्यायाधीश न्यायालय-4 के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के तहत मामले में अभियोजन वापस लेने की मांग की गई थी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर-लेस्ते की राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद रविवार को दिल्ली पहुंचीं।

कई देशों में हिंदुओं के मानवाधिकार चिंताजनक स्तर पर : होसबाले

बंगलुरु, 11 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह (महासचिव) दत्तात्रेय होसबाले ने रविवार को दावा किया कि विभिन्न देशों से हिंदुओं का सफाया करने की कोशिशें की जा रही हैं और उन्होंने हिंसाग्रस्त बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के क्षेत्रीय कार्यालय 'धर्मश्री भवन' के उद्घाटन के अवसर पर होसबाले ने कहा कि दुनिया के कई स्थानों पर हिंदुओं के मानवाधिकार चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए हैं और इस संबंध में आवाज उठानी होगी। आरएसएस के दूसरे नंबर के नेता ने दावा किया कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हिंदू जिस देश में रहते हैं, उसके विकास में योगदान दे रहे हैं, वे नियमों और विनियमों का पालन करते हैं और शांति से रहते हैं, जो गर्व की बात है। होसबाले ने कहा, 'फिर भी, विभिन्न देशों से हिंदुओं का सफाया करने की कोशिशें हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। भारत सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है।'

मध्य प्रदेश से बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी

भोपाल, 11 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने मध्य प्रदेश से कुछ बाघों को छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओड़ीशा स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार इस कवायद से अन्य राज्यों में बाघों के 'जीन पूल' को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 785 बाघ हैं। मध्य प्रदेश वन्यजीव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) शुभरंजन सेन ने बताया, ' एनटीसीए की तकनीकी समिति ने बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद स्थानांतरण का काम शुरू हो जाएगा।'

बांग्लादेशी नागरिकों को लिखे खुले पत्र में शेख हसीना का दावा

सेंट मार्टिन द्वीप नहीं दिया तो अमेरिका ने कराया तख्तापलट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

बांग्लादेश में जारी उथल पुथल और प्रधानमंत्री पद इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद शेख हसीना ने बड़ा खुलासा किया है। हसीना ने अपनी सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ बताया। पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा, जो बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाता है।

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों को आगाह किया कि वे कट्टरपंथियों के बहकावे में न आएं। शेख हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों के जरिए भेजे गए संदेश में हसीना ने ये बात कही है। इकनकमिक टाइम्स को ये हसीना का ये संदेश हासिल हुआ है। शेख हसीना ने छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद पांच अगस्त को पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। वे भारत में सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं।

संदेश में हसीना ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया, ताकि मुझ लाशों का जुलूस न देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अवामी लीग नेता ने आगे कहा कि मैं सत्ता में बनी रह सकती थी, अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को त्याग दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर अपना प्रभुत्व कायम करने दिया होता। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूं, कृपया कट्टरपंथियों के बहकाएं में न आएं। हसीना ने जोर देकर कहा, अगर मैं देश में रहती तो और अधिक लोगों की जान चली जाती और अधिक संसाधन नष्ट हो जाते। मैं देश छोड़ने का बेहद कठिन फैसला लिया। मैं आपकी (बांग्लादेश की जानता) नेता बनी, क्योंकि आपने मुझे चुना, आप मेरी ताकत थे। उन्होंने अवामी लीग के नेताओं की हत्या की निंदा की और भरोसा दिलाया कि जल्द देश लौटेंगी।आरक्षण विरोधी आंदोलन का जिक्र करते हुए हसीना ने कहा कि मैं बांग्लादेश के युवा छात्रों से दोहराना चाहूंगी। मैंने आपको कभी रजाकार नहीं कहा। आपको भड़काने के लिए मेरे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। मैं आपसे उस दिन का पूरा वीडियो देखने का अनुरोध करती हूँ। साजिशकर्ताओं ने आपकी मासूमियत का फायदा उठाया और देश को अस्थिर करने के लिए आपका इस्तेमाल किया।

सेंट मार्टिन द्वीप का इतिहास

सेंट मार्टिन द्वीप भारत और बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में आठ वर्ग किलोमीटर में फैला एक द्वीप है। इस द्वीप को नारिकेल जिंजीरा (नारियल द्वीप) या दारुचिनी द्वीप (दालचीनी द्वीप) के नाम से भी जाना जाता है। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन यह म्यांमार तट से केवल आठ किलोमीटर दूर है। वहीं, राजधानी ढाका से इसकी दूरी 537 किलोमीटर है। सेंट मार्टिन द्वीप के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से बंगाल की खाड़ी से घिरे हैं, जबकि उत्तरी तट बांग्लादेश की ओर है। यह द्वीप काक्स बाज़ार जिले के एक उपजिले टेकनाफ़ से लगभग नौ किलोमीटर दूर है। सेंट मार्टिन के पूर्व में म्यांमार का रखाइन राज्य स्थित है। यह वही प्रांत है, जहां के मुसलिमों की चरपंथी गुट अराकान आर्मी ने म्यामांर की सेना के खिलाफ हथियार उठा लिया था। इस द्वीप को लेकर म्यांमार और बांग्लादेश के बीच भी खींचतान चलती रहती है। म्यामांर आर्मी के जहाज और विमान कभी-कभी इस इलाके में घुस आते हैं।

कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया, ताकि मुझ लाशों का जुलूस न देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

द्वीप का रणनीतिक महत्त्व

हिंद महासागर एवं विश्व में चीन की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा स्थापित करना चाहता है। इसके लिए वह 1990 के दशक के अंतिम दौर से ही प्रयासरत है। हालांकि, इसमें वह सफल नहीं हो पा रहा है। अमेरिका का यहां सैन्य अड्डा चीन के साथ-साथ भारत के लिए खतरनाक होगा।

सड़क परियोजना का उद्घाटन, बोले जयशंकर

भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख साझेदार है मालदीव

माले, 11 अगस्त (भाषा) ।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख साझेदार है तथा दोनों देश अपने सहयोग को आधुनिक साझेदारी में बदलने की आकांक्षा रखते हैं। जयशंकर ने अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना का हस्तांतरण समारोह और एक्जिम बैंक की ऋण सहायता के तहत भारत सरकार की मदद से बनाई गई 4-लेन डेटोर लिंक सड़क परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भी मौजूद थे।

जयशंकर ने कहा कि मालदीव हमारे लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। यह 'पड़ोसी प्रथम' की हमारी नीति के केंद्र में है। और इसलिए यह बहुत ही स्वाभाविक है कि हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़ गया है तथा आज वास्तव में एक आधुनिक साझेदारी बनने की आकांक्षा है। उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में हमारे सहयोग का उद्देश्य लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को छूना और उनके जीवन में इसके ठोस लाभ लाने के तरीके खोजना है। जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मालदीव में लगभग 22 करोड़ अमेरिकी डालर का निवेश किया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत मालदीव में क्षेत्रीय विकास को कितना महत्व देता है।

विदेश मंत्री ने कहा कि आज हम अन्य देशों के अलावा सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक हैं। हम भारत से मालदीव में अधिक निवेश प्रवाह भी देख रहे हैं, खासकर पर्यटन क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि भारत ने मालदीव सरकार के साथ अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना में साझेदारी की है, ताकि इसे एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने का एक स्थायी तरीका ढूंढ़ा जा सके।

राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ जयशंकर।

'भरोसा है कि जब भी 911 डायल करेंगे तो भारत सबसे पहले जवाब देगा'

माले, 11 अगस्त (भाषा) ।

मालदीव के मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू नीत सरकार द्वारा अपनी भारत नीति में 'अचानक किए गए बदलाव' का स्वागत किया और कहा कि माले इस बात को लेकर हमेशा आश्वस्त रहा है कि जब भी मालदीव 'अंतरराष्ट्रीय 911 डायल करेगा' तो सबसे पहले मदद करने वाला देश भारत होगा।

एमडीपी के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने शनिवार को यहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद यह बात कही। एमडीपी अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग है कि मुइज्जू सरकार से अपने अधिकारियों के कृत्यों, झूठ और गैर-जिम्मेदाराना बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जिनकी वजह से मालदीव को विदेश और आर्थिक मोर्चे पर खासा नुकसान हुआ है।

कमला हैरिस ने टिप पर कर को खत्म करने का किया वादा

लास वेगास, 11 अगस्त (एपी) ।

अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने शनिवार को जनता से वादा किया कि वह रेस्तरां कर्मचारियों और अन्य सेवा कर्मचारियों को दिए जाने वाले टिप पर लागू करों को समाप्त करने की दिशा में काम करेंगी। हैरिस से पहले उनके प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप भी अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ऐसा ही वादा जनता से कर चुके हैं।

दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में लगभग एक जैसी ही बात कर रहे हैं। हैरिस ने लास वेगास के नेवादा विश्वविद्यालय परिसर में एक रैली में यह घोषणा की। लास वेगास की अर्थव्यवस्था काफी हद तक होटल, रेस्तरां और मनोरंजन उद्योगों पर निर्भर है। ट्रंप ने भी जून में एक रैली में कमोबेश यही बात कही थी, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस (संसद) के समर्थन के बिना न तो ये कदम ट्रंप उठा सकते हैं और न ही हैरिस। हैरिस ने अपने संबोधन में कहा कि सभी से मेरा वादा है कि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगी तो हम अमेरिका के कामकाजी परिवारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

इसमें न्यूनतम वेतन बढ़ाना और सेवा तथा आतिथ्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले टिप पर करों को खत्म करना शामिल है। हैरिस के भाषण के कुछ देर बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

विलाप आवामी लीग के शासनकाल के दौरान गायब हुए लोगों के रिश्तेदार रविवार को ढाका में न्याय की मांग करते हुए।

विदेश सचिव मिस्री नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से मिले

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर

काठमांडो, 11 अगस्त (भाषा) ।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रविवार को नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गति प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की। नेपाल के विदेश सचिव सेवा लामसाल के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा पर यहां आए मिस्री ने काठमांडो में राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से शिष्टाचार भेंट की।

नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय नेतृत्व की ओर से शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने सभी क्षेत्रों में भारत-नेपाल संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मिस्री ने सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री के.पी शर्मा ओली के कार्यालय में उनसे भी मुलाकात की। भारतीय दूतावास ने अन्य पोस्ट में कहा कि विदेश सचिव ने भारत और नेपाल के सभ्यतागत, घनिष्ठ और बहुआयामी संबंधों पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गति प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की। इस अवसर पर विदेश सचिव सेवा लामसल भी उपस्थित रहीं।

इससे पहले दिन में, मिस्री और नेपाल के शहरी विकास मंत्रालय में सचिव मणिराम गेलल ने रविवार को संयुक्त रूप से नेपाल भाषा परिषद के नए भवन का उद्घाटन किया जिसका निर्माण भारत की ओर से भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए दी गई अनुदान राशि से किया गया है।

भारतीय दूतावास ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री और नेपाल के शहरी विकास मंत्रालय के सचिव मणिराम गेलल ने संयुक्त रूप से काठमांडो में नेपाल भाषा परिषद के नए भवन का उद्घाटन किया।

नेपाल के प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली से मुलाकात करते विदेश सचिव विक्रम मिस्री।

घुसपैठ की कोशिश में 11 बांग्लादेशी नागरिकों को बीएसएफ ने पकड़ा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ करने का प्रयास करते समय 11 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने रविवार को यह जानकारी दी। एक प्रवक्ता ने कहा कि उनसे पूछताछ की जा रही है और विस्तृत कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें राज्य की पुलिस को सौंपा जाएगा।

उन्होंने कहा कि बीएसएफ आपसी मुद्दों, विशेषकर भारतीय नागरिकों और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर अत्याचार की रोकथाम के लिए अपने समकक्ष बीजीबी के साथ नियमित संपर्क में है। बीएसएफ के कोलकाता मुख्यालय वाले दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने एक बयान में कहा कि उसकी पूर्वी कमान के प्रमुख, अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) रवि गांधी ने शनिवार को एक सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें 'बांग्लादेश में मौजूदा अशांति के बीच' और 15 अगस्त को आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा की गई।

बीएसएफ ने कहा कि भारत में घुसपैठ करते समय 11 बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर हिरासत में लिया गया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सीमा से दो-दो, जबकि मेघालय सीमा से सात को पकड़ा गया उन्होंने बताया कि उनसे पूछताछ की जा रही है और विस्तृत कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें राज्य की पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

लोकार्नो फिल्मोत्सव में मिला पुरस्कार | सिनेमा | पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार बने

गर्मजोशी से मेरा स्वागत करने के लिए शुक्रिया : शाहरुख

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त ।

सुपरस्टार शाहरुख खान को सिनेमा में उनके योगदान के लिए स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में 'पार्डो अला कैरियरा अवार्ड-लोकार्नो टूरिज्म' या 'करिअर लेपर्ड' से सम्मानित किया गया।

शाहरुख (58) यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार हैं। उन्हें शनिवार शाम समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह में पिज्जा ग्रांडे स्क्वायर पर करीब आठ हजार लोग थे। पुरस्कार ग्रहण करते समय अपने भाषण में शाहरुख ने दर्शकों और लोकार्नो फिल्म महोत्सव के कला निदेशक गिओना ए नाजारो को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस बेहद सुंदर, सांस्कृतिक, कलात्मक शहर लोकार्नो में बाएं फैलाकर मेरा स्वागत करने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि। ये बाहें उन बाहों ये बड़ी हैं जो स्क्रीन में मेरी होती हैं। इतने सारे लोग एक छोटे से चौराहे पर जमा हैं और इतनी गर्मी है ऐसा लग रहा है जैसे भारत में हों। मुझे यहां बुलाने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछली दो शामें बहुत शानदार रहीं।

उन्होंने कहा कि वे अद्भुत रहे, भोजन अच्छा है, मेरी इतालवी भाषा सुधर रही है और साथ ही मेरी पाक कला भी। मैं पास्ता और पिज्जा बना सकता हूं और मैं यहां लोकार्नो में इतालवी भाषा भी सीख रहा हूं। उन्होंने कहा कि सिनेमा हमारे दौर का सबसे सबसे गहरा और प्रभावशाली कलात्मक माध्यम है। शाहरुख ने कहा कि फिल्म समारोह में 'पार्डो अला कैरियरा अवार्ड-लोकार्नो टूरिज्म' से सम्मानित होने के बाद वह प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पर ऐसे अवसरों पर नहीं जाता, मुझे नहीं पता कि लोगों से कैसे संपर्क बनाया जाता है या उनसे कैसे बात की जाती है। मुझे तो बस थोड़ी अदायगी आती है। लेकिन मैं आज रात यहां हूं और लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण से मैं बेहद प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यह पुरस्कार सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उन एक या दो कलाकार को प्रदान किया जाता है जिनके कलात्मक योगदान ने सिनेमा को नयी परिभाषा दी है। उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए फिल्मोत्सव में उनकी 2002 की हिट फिल्म 'देवदास' दिखाई गई।

कहा, इस बेहद सुंदर, सांस्कृतिक, कलात्मक शहर लोकार्नो में बाएं फैलाकर मेरा स्वागत करने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि। ये बाहें उन बाहों ये बड़ी हैं जो स्क्रीन में मेरी होती हैं। इतने सारे लोग एक छोटे से चौराहे पर जमा हैं और इतनी गर्मी है ऐसा लग रहा है जैसे भारत में हों। मुझे यहां बुलाने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछली दो शामें बहुत शानदार रहीं।

गुना में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, दो पायलट घायल

गुना (मप्र), 11 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक हवाई पट्टी पर एक निजी विमानन अकादमी का एक प्रशिक्षण विमान रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे दो पायलट घायल हो गए।

गुना कैंट पुलिस थाने के प्रभारी दिलीप राजोरिया ने बताया कि दो सीट वाला सेसना 152 विमान दोपहर करीब डेढ़ बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसी आशंका है कि इंजन में खराबी के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना से पहले उसने करीब 40 मिनट तक उड़ान भरी थी।

उन्होंने बताया कि विमान में सवार दो पायलट को चोटें आई हैं, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पायलट को यहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

www.readwhere.com

MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

CIN: L18101RJ1992PLC006952
Registered Office: Village Jaitpur, Jaipur-Sikar Road Place, Jaipur, Rajasthan 303 704 I Tel: 01423-224001
Corporate Office: 28, 4th Floor, Lakshmi Complex, M.I. Road, Jaipur - 302001, Rajasthan I **Tel. No.**: 0141-2361132
Website: www.mayuruniquoters.com , Email: secr@mayur.biz,
Contact Person: Mr. Pawan Kumar Kumawat, Company Secretary & Compliance Officer

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF MAYUR UNIQUOTERS LIMITED FOR THE BUY-BACK OF FULLY PAID-UP EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

This Public Announcement (the "**Public Announcement**") is being made pursuant to the provisions of Regulation 7(i) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "**Buy-back Regulations**") for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time and contains the disclosures as specified in Schedule II of the Buy-back Regulations.

OFFER FOR BUY-BACK OF UP TO 500000 (FIVE LAKH ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF THE FACE VALUE OF RS. 5/- (RUPEES FIVE ONLY) EACH AT A PRICE OF RS. 800/- (RUPEES EIGHT HUNDRED ONLY) PER FULLY PAID-UP EQUITY SHARE, PAYABLE IN CASH, ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE "TENDER OFFER" ROUTE AS PRESCRIBED UNDER THE BUY-BACK REGULATIONS USING STOCK EXCHANGE MECHANISM.

1. DETAILS OF BUY BACK OFFER AND OFFER PRICE

1.1 The Board of Directors of Mayur Uniquoters Limited (the board of directors of the Company hereinafter referred to as the "**Board**", which expression includes any committee constituted and authorized by the Board to exercise its powers), at its meeting held on August 08, 2024 (the "**Board Meeting**"), pursuant to the provisions of Article 63 of Articles of Association of the Company, Section 68, 69 and 70 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended (the "**Companies Act**"), the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to the extent applicable, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "**Listing Regulations**"), and in compliance with the Buyback Regulations and subject to such approvals of statutory, regulatory or governmental authorities as may be required under applicable laws, approved the buyback by the Company of up to 500000 (Five Lakhs only) Fully Paid-up Equity Shares of face value of Rs. 5/- each (representing up to 1.14% of the total number of Equity Shares in the total paid-up Equity Share Capital of the Company) at a price of Rs. 800/- (Rupees Eight Hundred Only) per Equity Share ("**Buyback Price**") payable in cash for an aggregate amount of up to Rs. 40,00,00,000/- (Rupees Forty Crore Only) ("**Buyback Size**"), which represents 4.62% and 4.57% of the aggregate of the paid-up Equity Share Capital and Free Reserves as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2024 respectively (which is within the statutory limits of 10% of the aggregate of the paid-up Equity Share capital and free reserves under the Board approval route as per the provisions of the Companies Act), on a proportionate basis through the "**tender offer**" route as prescribed under the Buyback Regulations, from all of the shareholders of the Company who hold Equity Shares as on **August 23, 2024** (the "**Record Date**").

1.2 The Buyback Size does not include expenses incurred or to be incurred for the buyback such as Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") fees, Stock Exchange(s) fees, advisor's/legal fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, brokerage, applicable taxes inter alia including buyback taxes, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty and other incidental and related expenses ("**Transaction Cost**").

1.3 The Equity Shares are listed on the BSE Limited (the "**BSE**") and the National Stock Exchange of India Limited (the "**NSE**") (hereinafter together referred to as the "Stock Exchanges").

1.4 In addition to the regulations/statutes referred to in paragraph 1.1 above, the Buy-back is also in accordance with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to the extent applicable and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The Buy-back shall be undertaken on a proportionate basis from the equity shareholders holding fully paid-up equity shares of the Company as on the Record Date ("**Eligible Shareholders**") through the tender offer process prescribed under Regulation 4(iv)(a) read with Chapter III of the Buy-back Regulations. Additionally, the Buy-back shall be subject to applicable laws, implemented by tendering of Equity Shares by Eligible Shareholders and settlement of the same through the stock exchange mechanism as specified by SEBI in its circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circular bearing reference number CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, as amended from time to time ("**SEBI Circulars**").

1.5 Participation in the Buy-back by Eligible Shareholders may trigger capital gains taxation in India and in their country of residence. The transaction of Buy-back would also be chargeable to securities transaction tax in India. In due course, Eligible Shareholders will receive a letter of offer, which will contain detailed note on taxation. However, in view of the particularized nature of tax consequences, the Eligible Shareholders are advised to consult their own legal, financial and tax advisors prior to participating in the Buy-back.

1.6 A copy of this Public Announcement is available on the website of the Company at www.mayuruniquoters.com , Manager to the Offer at www. dnafinserv.com and is expected to be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in during the period of Buy-back and on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

1.7 The equity shares of the company are listed on NSE and BSE ("Stock Exchanges"). The Buyback shall be undertaken on a proportionate basis (subject to reservation for small shareholders) from all the equity shareholders/ beneficial owners of the Company, including the members of the Promoter & Promoter Group, who hold Equity Shares as at **Friday, 23rd August, 2024** (the "**Record Date**") (such shareholders "Eligible Shareholders") through the Tender Offer process prescribed under Regulation 4(iv) (a) of the Buyback Regulations and shall be implemented using the stock exchange mechanism as specified in the SEBI Circulars. In this regard, the Company will request BSE to provide the acquisition window for facilitating tendering of Equity Shares under the Buyback and, for the purposes of this Buyback, BSE will be the designated stock exchange.

1.8 The Buyback from the Eligible Shareholders who are residents outside India including non-resident Indians, foreign nationals, foreign corporate bodies (including erstwhile overseas corporate bodies), foreign institutional investors/ foreign portfolio investors, shall be subject to such approvals, if any, and to the extent necessary or required from the concerned authorities including approvals from the Reserve Bank of India ("RBI") under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations framed thereunder, and that such approvals shall be required to be taken by such nonresident shareholders.

1.9 The Buyback will not result in any benefit to Promoter & Promoter Group or persons in control of the Company or any directors of the Company except to the extent of the cash consideration received by them from the Company pursuant to their respective participation in the Buyback in their capacity as equity shareholders of the Company, and the change in their shareholding as per the response received in the Buyback, as a result of the extinguishment of Equity Shares, which will lead to reduction in the equity share capital of the Company post Buyback. The Buyback would be subject to the condition of maintaining minimum public shareholding requirements as specified in Regulation 38 of the Listing Regulations. Any change in voting rights of the Promoter & Promoter Group of the Company pursuant to completion of Buyback will not result in any change in control over the Company.

2. NECESSITY FOR BUY-BACK

The Buy-back of Equity Shares, through Tender Offer route is being implemented in keeping with the Company's desire to enhance overall shareholders' value. The Buy-back would lead to reduction in outstanding number of Equity Shares and may consequently increase earnings per Equity Share over a period of time. This would in turn lead to improvement in return on net worth and other financial ratios and contribute to maximization of overall shareholders' value. With the above objective in mind, the Board of the Company at its meeting held on August 08, 2024 of up to 500000 Equity shares of face value of Rs. 5/- each (representing 1.14% of the total number of fully paid-up equity shares of the Company, as on 31st March, 2024) at a price of Rs. 800/- per Equity Share payable in cash for a total consideration not exceeding Rs. 40 Crores, excluding Transaction Costs.

The Buy-back is a more efficient form of distributing surplus cash to the equity shareholders compared to other alternatives including interim dividend, inter-alia, for the following reasons:

i. The Buy-back gives an option to the equity shareholders to either participate in the Buy-back and receive cash in lieu of Equity Shares accepted under the Buy-back or not participate in the Buy-back and enjoy a resultant increase in their percentage of shareholding in the Company post the Buy-back;

ii. The Buy-back would help in improving certain key financial ratios of the Company;

iii. The Buy-back which is being implemented through the Tender Offer route as prescribed under the Buy-back Regulations, would involve a reservation for small shareholders as defined in this Regulations.

iv. As defined in the Buy-back Regulations, a small shareholder is a shareholder who holds Equity Shares having market value, on the basis of closing price on the recognized stock exchange in which highest trading volume in respect of such Equity Shares, as on the Record Date, of not more than Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakhs only).

3. MAXIMUM NUMBER OF SECURITIES THAT THE COMPANY PROPOSES TO BUY-BACK

The Company proposes to Buy-back up to 5,00,000 (Five Lakh Only) fully paid-up Equity Shares of the Company having face value of Rs. 5/- (Rupees Five only) each.

4. MAXIMUM PRICE AT WHICH THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE BOUGHT BACK AND BASIS OF ARRIVING AT THE BUY-BACK PRICE

4.1 The Equity Shares are proposed to be bought back at a price of Rs. 800/- per Equity Share. The Maximum Buy-back Price of Rs. 800/- per equity share represents:

(i) Premium of around 27.93% on BSE and around 27.51% on NSE over the volume weighted average price of the equity shares on BSE and NSE respectively for 2 weeks preceding the date of the Board Meeting, in which the proposal of the Buy-back was considered and

(ii) Premium of around 30.44% and 30.86% over closing market price of equity shares of the company at NSE and BSE respectively preceding the date of Board Meeting in which the proposal of buy back was considered.

4.2 As required under Section 68(2)(d) of the Companies Act and Regulation 4(ii)(a) of Buyback Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company will not be more than twice the paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) after the Buyback based on standalone and consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2024, whichever sets out a lower amount.

4.3 In accordance with Regulation 5(via) of the Buy-back Regulations, the Board/Buyback Committee may increase the maximum Buyback Price and decrease the number of Equity Shares proposed to be bought back provided that there is no change in the Buyback Size, till one working day prior to the Record Date fixed for the purpose of Buyback.

5. MAXIMUM AMOUNT REQUIRED UNDER THE BUY-BACK AND ITS PERCENTAGE OF THE TOTAL PAID UP CAPITAL AND FREE RESERVES AND SOURCE OF FUNDS FROM WHICH BUYBACK WOULD BE FINANCED

5.1 The maximum amount required under the Buy-back will not exceed Rs. 40 Crores (Rupees Forty Crore Only), excluding Transaction Costs, representing 4.62% and 4.57% of the total paid-up equity capital and free reserves (including securities premium account) as per the latest available audited financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2024, on standalone and consolidated basis, respectively.

5.2 The funds for the implementation of the Buyback will be sourced out of Company's current surplus and/or current balances of cash and cash equivalents and other current investments and/ or internal accruals of the Company and forms part of the free reserves of the Company (including securities premium account) and/or such other source(s) as may be permitted by the Buy-back Regulations or the Companies Act.

5.3 The funds borrowed, if any, from banks and financial institutions will not be used for the Buyback.

5.4 The Company shall transfer from its free reserves and/ or such other sources as may be permitted by law, a sum equal to the nominal value of the Equity Shares bought back through the Buyback to the capital redemption reserve account and the details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statements.

6. DETAILS OF SHAREHOLDING OF PROMOTER AND PROMOTER GROUP AND TRANSACTIONS IN THE SHARES OF THE COMPANY

6.1 Aggregate shareholding of the Promoters of the Company (Promoter and Promoter Group) as on the date of the Board meeting held on August 08, 2024 are as under:

Name of Shareholders	Number of Fully Paid-up Equity Shares Held	% of Fully paid-up Equity Shares
Promoter and Promoter Group		
Suresh Kumar Poddar	1,77,63,695	40.42
Manav Poddar	69,30,680	15.77
Puja Poddar	6,85,237	1.56
Arun Bagaria	3,33,207	0.76
Kiran Poddar	4,703	0.01
Dolly Bagaria	2,684	0.01
Total Shareholding of Promoters	**2,57,20,206**	**58.52**

6.2 Aggregate shareholding of the Directors of Promoters and of persons who are in control of the Promoter Company as on the date of the Board Meeting held on August 08, 2024 are as under:

The Company does not have any Promoter which are companies or corporate entities.

6.3 Aggregate shareholding of the directors of the Company as on the date of the Board Meeting i.e. August 08, 2024 is as under:

None of the Directors of the Company holds any Equity Shares in the Company except the following:

Sr. No	Name	Designation	Number of Fully paid-up Equity Shares Held	Held % of Fully paid-up Equity Shares
1.	Suresh Kumar Poddar	Chairman and Managing Director & CEO	1,77,63,695	40.42
2.	Arun Bagaria	Whole-time Director	3,33,207	0.76

6.4 Aggregate number of Equity Shares purchased or sold as well as minimum and maximum price at which such purchases and sales were made along with relevant dates by Promoter and Promoter Group and Directors of Promoters and of persons who are in control of the Promoter company for a period of six months preceding the date of the Board Meeting i.e. August 08, 2024 at which the Buy-back was approved as under:

No equity share was purchased or sold by Promoter and Promoter Group and Directors of Promoters and of persons who are in control of the Promoter company for a period of six months preceding the date of the Board Meeting i.e. August 08, 2024 at which the Buy-back was approved.

7. INTENTION OF PROMOTER AND PROMOTER GROUP AND PERSONS IN CONTROL OF THE PROMOTER COMPANY TO PARTICIPATE IN BUY-BACK

7.1 In terms of the Buyback Regulations, under Tender Offer route, the members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company have the option to participate in the Buyback.

In this regard, the members of the Promoter & Promoter Group vide their letters dated August 08, 2024 and August 09, 2024, have expressed their intention to participate in the Buyback and tender up to the number of Equity Shares set out in the table below, or such lower number of Equity Shares as permitted under the applicable law:

Name of Promoter and Promoter Group	Maximum Number of Equity Shares intended to be tendered
Suresh Kumar Poddar	400000
Manav Poddar	150000
Puja Poddar	15000
Arun Bagaria	10000
Kiran Poddar	4703
Dolly Bagaria	2684
Total	**582387**

7.2 The entire shareholding of the members of the Promoter & Promoter Group is in demat mode.

7.3 The details of the date and price of acquisition of the equity shares held by the members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the company, who intend to participate in the Buyback are set out below:

(i) Suresh Kumar Poddar

Date of Transaction/ Allotment	Nature of Transaction	Number of Equity Shares Acquired/ (sold)	Face Value (Rs.)	Issue /Acquisition/ Sale Price (Rs. Per share)	Consideration (Cash, other than cash etc.)
01-Apr-2012^	-	20,86,789	10	-	-
08-Aug-2012	Bonus	20,86,789	10	Nil	-
Sub-Total		**41,73,578**			
27-Sep-2013	Sub division of face value of equity shares from Rs. 10 to Rs. 5 each	83,47,156	5	NA	-
19-Mar-2014	Market Sale	(2,15,000)	5	460.24	Cash
10-Apr-2014	Bonus	81,32,156	5	Nil	-
27-Mar-2015	Inter se	(1,50,000)	5	Nil	Gift
16-Apr-2015	Market Sale	(4,26,988)	5	453.50	Cash
27-Oct-2016	Tendered in Buyback Offer	(1,51,951)	5	500.00	Cash
21-Feb-2018	Tendered in Buyback Offer	(1,35,210)	5	550.00	Cash
19-Jan-2021	Tendered in Buyback Offer	(2,36,225)	5	400.00	Cash
13-Apr-2022	Tendered in Buyback Offer	(1,98,694)	5	650.00	Cash
29-Jun-2022	Inter se	28,98,451*	5	Nil	-
18-Aug-2023	Market Sale	(1,00,000)	5	550.00	Cash
Total Current Holding		**1,77,63,695**			

^ Since specific details of acquisition/sale of equity shares are not available prior to April 1, 2012, accordingly aggregate shareholding as on April 1, 2012 is provided.

*Inter se transfer due to dissolution of Suresh Kumar Poddar and Sons HUF (Erstwhile Promoter).

(ii) Manav Poddar

Date of Transaction/ Allotment	Nature of Transaction	Number of Equity Shares Acquired/ (sold)	Face Value (Rs.)	Issue /Acquisition/ Sale Price (Rs. Per share)	Consideration (Cash, other than cash etc.)
01-Apr-2012^	-	9,73,239	10	-	-
8-May-2012	Market Purchases	10,000	10	471.45	Cash
8-Aug-2012	Bonus	983,239	10	Nil	-
Sub-Total		**19,66,478**			
27-Sep-2013	Sub division of face value of equity shares from Rs. 10 to Rs. 5 each	39,32,956	5	NA	-
19-Mar-2014	Market sale	(1,25,000)	5	460.44	Cash
3-Apr-2014	Bonus	38,07,956	5	Nil	-
26-Sep-2014	Market sale	(3,50,000)	5	398.90	Cash
27-Oct-2016	Tendered in Buyback Offer	(69,834)	5	500.00	Cash
21-Feb-2018	Tendered in Buyback Offer	(62,629)	5	550.00	Cash
19-Jan-2021	Tendered in Buyback Offer	(1,09,233)	5	400.00	Cash
13-Apr-2022	Tendered in Buyback Offer	(93,536)	5	650.00	Cash
Total Current Holding		**69,30,680**			

^ Since specific details of acquisition/sale of equity shares are not available prior to April 1, 2012, accordingly aggregate shareholding as on April 1, 2012 is provided.

(iii) Puja Poddar

Date of Transaction/ Allotment	Nature of Transaction	Number of Equity Shares Acquired/ (sold)	Face Value (Rs.)	Issue /Acquisition/ Sale Price (Rs. Per share)	Consideration (Cash, other than cash etc.)
01-Apr-2012^	-	1,50,000	10	-	-
08-Aug-2012	Bonus	1,50,000	10	Nil	-
Sub-Total		**3,00,000**			
27-Sep-2013	Sub division of face value of equity shares from Rs. 10 to Rs. 5 each	6,00,000	5	NA	-
19-Mar-2014	Market Sale	(1,15,000)	5	460.44	Cash
03-Apr-2014	Bonus	4,85,000	5	Nil	-
26-Sep-2014	Market Sale	(1,00,000)	5	398.65	Cash
25-Nov-2014	Market Sale	(50,000)	5	426.55	Cash
25-Nov-2014	Market Sale	(1,00,000)	5	426.55	Cash
27-Oct-2016	Tendered in Buyback Offer	(6,922)	5	500.00	Cash
21-Feb-2018	Tendered in Buyback Offer	(6,207)	5	550.00	Cash
19-Jan-2021	Tendered in Buyback Offer	(10,827)	5	400.00	Cash
13-Apr-2022	Tendered in Buyback Offer	(10,807)	5	650.00	Cash
Total Current Holding		**6,85,237**			

^ Since specific details of acquisition/sale of equity shares are not available prior to April 1, 2012, accordingly aggregate shareholding as on April 1, 2012 is provided.

(iv) Kiran Poddar

Date of Transaction/ Allotment	Nature of Transaction	Number of Equity Shares Acquired/ (sold)	Face Value (Rs.)	Issue /Acquisition/ Sale Price (Rs. Per share)	Consideration (Cash, other than cash etc.)
01-Apr-2012^	-	1,75,010	10	-	-
04-May-2012	Market Purchase	10,000	10	471.45	Cash
08-Aug-2012	Bonus	185,010	10	Nil	-
Sub-Total		**3,70,020**			
27-Sep-2013	Sub division of face value of equity shares from Rs. 10 to Rs. 5 each	7,40,040	5	NA	-
19-Mar-2014	Market Sale	(1,65,000)	5	460.44	Cash
03-Apr-2014	Bonus	5,75,040	5	Nil	-
26-Sep-2014	Market Sale	(4,50,000)	5	399.41	Cash
25-Nov-2014	Market Sale	(75,000)	5	426.55	Cash
25-Nov-2014	Market Sale	(1,00,000)	5	426.55	Cash
27-Oct-2016	Tendered in Buyback Offer	(6,922)	5	500.00	Cash
21-Feb-2018	Tendered in Buyback Offer	(6,207)	5	550.00	Cash
19-Jan-2021	Tendered in Buyback Offer	(10,827)	5	400.00	Cash
13-Apr-2022	Tendered in Buyback Offer	(10,807)	5	650.00	Cash
Total Current Holding		**6,85,237**			

^ Since specific details of acquisition/sale of equity shares are not available prior to April 1, 2012, accordingly aggregate shareholding as on April 1, 2012 is provided.

(iv) Kiran Poddar

Date of Transaction/ Allotment	Nature of Transaction	Number of Equity Shares Acquired/ (sold)	Face Value (Rs.)	Issue /Acquisition/ Sale Price (Rs. Per share)	Consideration (Cash, other than cash etc.)
01-Apr-2012^	-	1,75,010	10	-	-
04-May-2012	Market Purchase	10,000	10	471.45	Cash
08-Aug-2012	Bonus	185,010	10	Nil	-
Sub-Total		**3,70,020**			
27-Sep-2013	Sub division of face value of equity shares from Rs. 10 to Rs. 5 each	7,40,040	5	NA	-
19-Mar-2014	Market Sale	(1,65,000)	5	460.44	Cash
03-Apr-2014	Bonus	5,75,040	5	Nil	-
26-Sep-2014	Market Sale	(4,50,000)	5	399.41	Cash
25-Nov-2014	Market Sale	(75,000)	5	426.55	Cash
25-Nov-2014	Market Sale	(1,00,000)	5	426.55	Cash
27-Oct-2016	Tendered in Buyback Offer	(6,922)	5	500.00	Cash
21-Feb-2018	Tendered in Buyback Offer	(6,207)	5	550.00	Cash
19-Jan-2021	Tendered in Buyback Offer	(10,827)	5	400.00	Cash
13-Apr-2022	Tendered in Buyback Offer	(10,807)	5	650.00	Cash
25-Nov-2014	Market Sale	(200,000)	5	426.55	Cash
27-Mar-2015	Inter se	150,000	5	Nil	Gift
27-Oct-2016	Tendered in Buyback Offer	(5,442)	5	500.00	Cash
21-Feb-2018	Tendered in Buyback Offer	(4,959)	5	550.00	Cash
05-Oct-2018	Market Purchase	3000	5	359.67	Cash
08-Oct-2018	Market Purchase	2611	5	359.00	Cash
10-Oct-2018	Market Purchase	26	5	358.00	Cash
15-Oct-2018	Market Purchase	274	5	369.67	Cash
16-Oct-2018	Market Purchase	380	5	378.50	Cash
17-Oct-2018	Market Purchase	658	5	378.65	Cash
22-Oct-2018	Market Purchase	150	5	385.00	Cash
23-Oct-2018	Market Purchase	300	5	380.00	Cash
24-Oct-2018	Market Purchase	200	5	370.00	Cash
25-Oct-2018	Market Purchase	200	5	360.00	Cash
30-Oct-2018	Market Purchase	300	5	363.00	Cash
31-Oct-2018	Market Purchase	500	5	362.00	Cash
24-Jun-2019	Market Purchase	1,000	5	267.92	Cash
25-Jun-2019	Market Purchase	500	5	267.58	Cash
26-Jun-2019	Market Purchase	500	5	267.00	Cash
28-Jun-2019	Market Purchase	500	5	268.00	Cash
19-Aug-2019	Market Purchase	5,000	5	220.96	Cash
20-Aug-2019	Market Purchase	4,800	5	219.11	Cash
21-Aug-2019	Market Purchase	1,328	5	217.12	Cash
22-Aug-2019	Market Purchase	2,000	5	213.50	Cash
23-Aug-2019	Market Purchase	500	5	216.00	Cash
27-Aug-2019	Market Purchase	1,000	5	216.20	Cash
28-Aug-2019	Market Purchase	1,065	5	211.47	Cash
29-Aug-2019	Market Purchase	100	5	214.00	Cash
03-Sep-2019	Market Purchase	500	5	216.00	Cash
04-Sep-2019	Market Purchase	500	5	215.00	Cash
05-Sep-2019	Market Purchase	500	5	215.00	Cash
06-Sep-2019	Market Purchase	1,500	5	212.00	Cash
09-Sep-2019	Market Purchase	500	5	212.00	Cash
11-Sep-2019	Market Purchase	1,000	5	212.00	Cash
12-Sep-2019	Market Purchase	1,000	5	215.00	Cash
13-Sep-2019	Market Purchase	1,000	5	213.00	Cash
16-Sep-2019	Market Purchase	258	5	212.00	Cash
18-Sep-2019	Market Purchase	1,000	5	212.00	Cash
19-Sep-2019	Market Purchase	1,500	5	210.17	Cash
20-Sep-2019	Market Purchase	1,000	5	212.00	Cash
26-Nov-2019	Market Purchase	2,000	5	209.50	Cash
06-Dec-2019	Market Purchase	1,051	5	211.00	Cash
10-Dec-2019	Market Purchase	1,431	5	216.05	Cash
11-Dec-2019	Market Purchase	300	5	215.00	Cash
19-Dec-2019	Market Purchase	2,000	5	216.10	Cash
20-Dec-2019	Market Purchase	2,000	5	216.10	Cash
16-Mar-2020	Market Purchase	10,000	5	186.23	Cash
17-Mar-2020	Market Purchase	5,000	5	180.99	Cash
18-Mar-2020	Market Purchase	6,915	5	168.62	Cash
19-Mar-2020	Market Purchase	3,748	5	161.85	Cash
20-Mar-2020	Market Purchase	2,734	5	162.56	Cash
23-Mar-2020	Market Purchase	5,000	5	130.00	Cash
24-Mar-2020	Market Purchase	8,000	5	127.40	Cash
25-Mar-2020	Market Purchase	1,235	5	121.62	Cash
26-Mar-2020	Market Purchase	1,000	5	140.00	Cash
19-Jan-2021	Tendered in Buyback Offer	(9,374)	5	400.00	Cash
23-Sep-2021	Market Sale	(4,40,000)	5	478.38	Cash
29-Dec-2021	Market Sale	(2,00,000)	5	554.17	Cash
13-Apr-2022	Tendered in Buyback Offer	(166)	5	650.00	Cash
Total Current Holding		**4,703**			

^ Since specific details of acquisition/sale of equity shares are not available prior to April 1, 2012, accordingly aggregate shareholding as on April 1, 2012 is provided.

(v) Arun Bagaria

Date of Transaction/ Allotment	Nature of Transaction	Number of Equity Shares Acquired/ (sold)	Face Value (Rs.)	Issue /Acquisition/ Sale Price (Rs. Per share)	Consideration (Cash, other than cash etc.)
01-July-2012^	-	75,000	10	-	-
08-Aug-2012	Bonus	75,000	10	Nil	-
Sub-Total		**1,50,000**			
27-Sep-2013	Sub division of face value of equity shares from Rs. 10 to Rs. 5 each	3,00,000	5	NA	-
03-Apr-2014	Bonus	3,00,000	5	Nil	-
16-Apr-2015	Market Sale	(50,000)	5	453.52	Cash
27-Oct-2016	Tendered in Buyback Offer	(5,370)	5	500.00	Cash
21-Feb-2018	Tendered in Buyback Offer	(4,746)	5	550.00	Cash
19-Jan-2021	Tendered in Buyback Offer	(8,277)	5	400.00	Cash
24-Sep-2021	Market Sale	(30,000)	5	472.00	Cash
13-Apr-2022	Tendered in Buyback Offer	(8,400)	5	650.00	Cash
18-Aug-2023	Market Sale	(1,00,000)	5	535.93	Cash
21-Aug-2023	Market Sale	(60,000)	5	541.91	Cash
Total Current Holding		**3,33,207**			

^ Since specific details of acquisition/sale of equity shares are not available prior to July 1, 2012, accordingly aggregate shareholding as on July 1, 2012 is provided.

(vi) Dolly Bagaria

(vii) Date of Transaction/Allotment	Nature of Transaction	Number of Equity Shares Acquired/ (sold)	Face Value (Rs.)	Issue /Acquisition/ Sale Price (Rs. Per share)	Consideration (Cash, other than cash etc.)
01-July-2012^	-	1,05,000	10	-	-
08-Aug-2012	Bonus	105,000	10	NA	-
Sub-Total		**2,10,000**			
27-Sep-2013	Sub division of face value of equity shares from Rs. 10 to Rs. 5 each	4,20,000	5	NA	-
19-Mar-2014	Market Sale	(1,15,000)	5	460.44	Cash
03-Apr-2014	Bonus	3,05,000	5	Nil	-
26-Sep-2014	Market Sale	(1,50,000)	5	398.66	Cash
25-Nov-2014	Market Sale	(75,000)	5	426.55	Cash
27-Oct-2016	Tendered in Buyback Offer	(3,861)	5	500.00	Cash
21-Feb-2018	Tendered in Buyback Offer	(3,317)	5	550.00	Cash
24-Mar-2020	Market Purchase	10,000	5	120.48	Cash
19-Jan-2021	Tendered in Buyback Offer	(5,944)	5	400.00	Cash
24-Sep-2021	Market Sale	(2,20,000)	5	472.00	Cash
13-Apr-2022	Tendered in Buyback Offer	(4,194)	5	650.00	Cash
14-Sep-2022	Market Sale	(1,55,000)	5	500.00	Cash
Total Current Holding		**2,684**			

Contd. to next page

www.readwhere.com

^ Since specific details of acquisition/sale of equity shares are not available prior to July 1, 2012, accordingly aggregate shareholding as on July 1, 2012 is provided.

8. CONFIRMATIONS FROM THE COMPANY AS PER THE PROVISIONS OF THE BUY-BACK REGULATIONS AND THE COMPANIES ACT:

8.1 All the Equity Shares of the Company are fully paid up.

8.2 The Company shall not issue and allot any Equity Shares or other specified securities (including by way of bonus) or convert any outstanding employee stock options / outstanding instruments into Equity Shares, from the date of the Board Meeting till the expiry of the Buyback period, i.e., the date on which the payment of consideration is made to the shareholders who have accepted the Buyback.

8.3 Unless otherwise specifically permitted by any relaxation issued by SEBI and/ or any other regulatory authority, the Company shall not raise further capital for a period of 1 (One) year, as prescribed under the provisions of Regulation 24(i)(f) of the Buyback Regulations, from the expiry of the Buyback period, i.e., the date on which the payment of consideration is made to the shareholders who have accepted the Buyback, except in discharge of its subsisting obligations.

8.4 The Company, as per the provisions of Section 68(8) of the Companies Act, will not make a further issue of the same kind of shares or other securities including allotment of new shares under Section 62(1)(a) or other specified securities within a period of 6 (six) months except by way of a bonus issue or in the discharge of subsisting obligations such as conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares.

8.5 The Company shall not withdraw the Buyback after the Public Announcement of the offer to Buyback is made.

8.6 The Company will ensure consequent reduction of its share capital post Buyback and the Equity Shares bought back by the Company will be extinguished and physically destroyed in the manner prescribed under the Buyback Regulations and the Companies Act within the specified timelines.

8.7 The Company shall not buyback locked-in Equity Shares and non-transferable Equity Shares until the pendency of the lock-in or till the Equity Shares become transferable.

8.8 The consideration for the Buyback shall be paid by the Company only by way of cash.

8.9 Funds borrowed from banks and financial institutions, if any, will not be used for the Buyback.

8.10 The Company shall not buyback its Equity Shares or other specified securities from any person through negotiated deals whether on or off the Stock Exchanges or through spot transactions or through any private arrangement in the implementation of Buyback.

8.11 There are no defaults (either in the past or subsisting) in the repayment of any deposits (including interest payable thereon), redemption of debentures or preference shares, payment of dividend or repayment of any term loans to any financial institution or banks (including interest payable thereon), as the case may be, and in case of defaults which have ceased to subsist, if any, a period of more than 3 (three) years has lapsed.

8.12 The Company has not undertaken a buyback of any of its securities during the period of 1 (One) year immediately preceding the date of the Board Meeting.

8.13 The Company has been in compliance with Sections 92, 123, 127 and 129 of the Companies Act.

8.14 The aggregate amount of the Buyback i.e., up to Rs. 40,00,00,000 (Rupees Forty Crore only) does not exceed 10% of the aggregate of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) of the Company as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2024, whichever sets out a lower amount.

8.15 The maximum number of equity shares proposed to be purchased under the Buyback (i.e., 5,00,000 (Five Lakh only) does not exceed 25% of the total number of equity shares in the paid-up equity share capital of the company as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2024.

8.16 The Company shall not make any offer of buyback within a period of 1 (One) year reckoned from the date of expiry of the Buyback period i.e., the date on which the payment of consideration is made to the shareholders who have accepted the Buyback.

8.17 The Company shall comply with the statutory and regulatory timelines in respect of the Buyback in such manner as prescribed under the Companies Act and/ or the Buyback Regulations and any other applicable laws.

8.18 The Buyback shall be completed within a period of 1 (One) year from the date of passing of the Board resolution approving the Buyback.

8.19 There is no pendency of any scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to the provisions of the Companies Act, as on date.

8.20 The ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice its paid-up capital and free reserves (including securities premium) after the Buyback, based on standalone and consolidated financial statements of the Company, whichever sets out a lower amount, as prescribed under the Companies Act and rules made thereunder and Buyback Regulations.

8.21 The Company is not buying back its Equity Shares so as to delist its shares or other specified securities from the stock exchanges.

8.22 The Company shall not directly or indirectly purchase its Equity Shares through any subsidiary company including its own subsidiary companies, or through any investment company or group of investment companies.

8.23 As per Regulation 24(i)(e) of the Buyback Regulations, the members of the Promoter & Promoter Group, and their associates, shall not deal in the Equity Shares or other specified securities of the Company either through the stock exchanges or off-market transactions (including inter-se transfer of Equity Shares among the members of the Promoter & Promoter Group) from the date of the Board resolution approving the Buyback till the closing of the Buyback offer.

8.24 In accordance with Regulation 6 of the Buyback Regulations, the Company shall reserve 15% of the number of Equity Shares which the Company proposes to buyback or such number of Equity Shares entitled as per the shareholding of small shareholders as on the Record Date, whichever is higher, for the small shareholders as part of the Buyback.

8.25 The Company shall transfer from its free reserves and/ or such other sources as may be permitted by law, a sum equal to the nominal value of the Equity Shares bought back through the Buyback to the capital redemption reserve account and the details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statement.

8.26 The Company has outstanding facilities with its lenders. In accordance with Regulation 5(i)(c) and Clause (xii) of Schedule I of the Buyback Regulations, the Company shall not undertake the Buyback unless it has obtained prior consent of its lenders, in case of breach of any covenant with such lenders. The Company confirms that it has obtained the prior consent of its lenders, as necessary, for undertaking the Buyback.

8A CONFIRMATIONS FROM THE BOARD OF THE COMPANY

8A.1 As required by Clause (x) of Schedule I of the Buyback Regulations, the Board has confirmed that it has made full enquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed an opinion, that:

8A.1.1 Immediately following the date of the Board Meeting, i.e., Thursday, August 08, 2024, approving the Buyback, there will be no grounds on which the Company could be found unable to pay its debts, if any;

8A.1.2 As regards the Company's prospects for the year immediately following the date of Board Meeting and having regard to the Board's intention with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of 1 (One) year from the date of the Board Meeting; and

8A.1.3 In forming its opinion aforesaid, the Board has taken into account the liabilities (including prospective and contingent liabilities) as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act, or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as applicable.

9. THE TEXT OF THE REPORT DATED 8TH AUGUST, 2024 OF WALKER CHANDIOK & CO LLP, THE STATUTORY AUDITORS OF THE COMPANY PURSUANT TO THE REQUIREMENTS OF CLAUSE (XI) OF THE SCHEDULE I TO THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018 (AS AMENDED) ("BUY-BACK REGULATIONS"), ADDRESSED TO THE BOARD IS REPRODUCED BELOW:

The report dated August 08, 2024 received from **Walker Chandiok & Co LLP**, Chartered Accountants, the Statutory Auditors of the Company addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced as under:

To,

The Board of Directors

Mayur Uniquoters Limited

Village Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Tehsil Chomu,

Jaipur-303704 (Rajasthan) India

1. This report is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated 5 August 2024 with Mayur Uniquoters Limited (the 'Company').

2. The management of the Company has prepared the accompanying (Annexure A) Statement of Permissible Capital Payment towards Buy-back of Equity Shares ("the statement") pursuant to the proposed buy-back of equity shares approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 8 August 2024, in accordance with the provisions of sections 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the regulations as specified in the 'Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018' as amended (the "Buyback Regulations"). The Statement contains the computation of amount of permissible capital payment towards buy-back of equity shares in accordance with the requirements of section 68(2)(c) of the Act and Regulation 4 of the Buyback Regulations and based on the audited standalone and consolidated financial statement for the year ended 31 March 2024 on which we had expressed a unmodified opinion vide our report dated 21 May 2024. We have initialed the Statement for the identification purposes only.

Management's Responsibility for the Statement

3. The preparation of the Statement in accordance with the requirements of section 68(2)(c) of the Act and ensuring compliance with the regulations as specified in the Buyback Regulations, is the responsibility of the management of the Company, including the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

4. The Board of Directors is also responsible to make a full inquiry into the affairs and prospects of the Company and to form an opinion on reasonable grounds that the Company will be able to pay its debts from the date of Board meeting at which the proposal for buy-back was approved; and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board meeting at which the proposal for buy-back was approved by the Board of Directors of the Company, and in forming the opinion, it has taken into account the liabilities (including prospective and contingent liabilities) as if the Company were being wound up under the provisions of the Act. Further, a declaration is required to be signed by at least two directors of the Company in this respect in accordance with the requirements of the section 68 (6) of the Act.

Auditor's Responsibility

5. Pursuant to the requirements of sections 68, 69 and 70 of the Act and the regulations as specified in the Buyback Regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance on whether:

a) we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to the audited standalone and consolidated financial statement for the year ended 31 March 2024;

b) the amount of permissible capital payment, as stated in the Statement, has been properly determined considering the audited standalone and consolidated financial statement for the year ended 31 March 2024 in accordance with section 68(2)(c) of the Act and Regulation 4 of the Buyback Regulations;

c) whether the Board of Directors of the Company, in its meeting dated 8 August 2024, has formed the opinion as specified in section 68 of the Act and clause (x) of Schedule I to the Buyback Regulations, on reasonable grounds that the Company having regard to its state of affairs will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board Meeting.

6. The audited standalone and consolidated financial statement, referred to in paragraph 5 above, have been audited by us, on which we have issued unmodified opinion vide our review report dated 21 May 2024. Our audit of these standalone and consolidated financial statements was conducted in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act and other applicable authoritative pronouncements issued by the ICAI (collectively referred to as 'SAs'). Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the standalone and consolidated financial statements are free of material misstatement. Such audit was not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that maybe of potential interest to third parties.

7. We conducted our examination of the Statement in accordance with the 'Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes' ('Guidance Note'), issued by the ICAI. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

8. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements, issued by the ICAI.

9. A reasonable assurance engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the matters mentioned in paragraph 5 above. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks associated with the matters mentioned in paragraph 5 above. We have performed the following procedures in relation to the matters mentioned in paragraph 5 above:

a) Inquired into the state of affairs of the Company in relation to the audited standalone and consolidated financial statement for the year ended 31 March 2024;

b) Examined authorization for buy back from the Articles of Association of the Company;

c) Agreed the balance of the Statement of Profit and Loss, Securities Premium Account and General Reserve as at 31 March 2024 as disclosed in the Statement with the audited standalone and consolidated financial statement;

d) Examined that the ratio of secured and unsecured debt owed by the Company, if any, is not more than twice the capital and its free reserves after such buy-back;

e) Examined that all the shares for buy-back are fully paid-up;

f) Examined that the amount of capital payment for the buy-back as detailed in the Statement is within the permissible limit computed in accordance with section 68(2)(c) of the Act;

g) Inquired if the Board of Directors of the Company, in its meeting held on 8 August 2024 has formed the opinion as specified in and clause (x) of Schedule I to the Buyback Regulations, on reasonable grounds that the Company having regard to its state of affairs will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board Meeting;

h) Examined minutes of the meetings of the Board of Directors;

i) Examined the Directors' declarations for the purpose of buy-back and solvency of the Company;

j) Verified the arithmetical accuracy of the Statement; and

k) Obtained appropriate representations from the management of the Company.

Opinion

10. Based on our examination as above and the information, explanations and representations provided to us by the management, in our opinion:

a) we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to audited standalone and consolidated financial statements for the year ended 31 March 2024;

b) the amount of the permissible capital payment towards the proposed buy-back of equity shares as computed in the accompanying Statement, is properly determined in accordance with the requirements of section 68(2)(c) of the Act and Regulation 4 of the Buyback Regulations based on the audited standalone and consolidated financial statement for the year ended 31 March 2024;

c) the Board of Directors of the Company, in its meeting held on 8 August 2024 have formed the opinion as specified in section 68 of the Act and clause (x) of Schedule I to the Buyback Regulations, on reasonable grounds that the Company having regard to its state of affairs will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board Meeting.

Restriction on distribution or use

11. Our work was performed solely to assist you in meeting your responsibilities in relation to your compliance with the provisions of section 68 and other applicable provisions of the Act and the regulations as specified in the Buyback Regulations, pursuant to the proposed buy-back of equity shares. Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have had as auditors of the Company or otherwise. Nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Company.

12. This report is addressed to and provided to the Board of Directors of the Company solely for use of the Company (i) in connection with the proposed buyback of equity shares of the Company in pursuance to the provisions of Sections 68 and other applicable provisions of the Act and the Buyback Regulations, (ii) to enable the Board of Directors of the Company to include in the public announcement, explanatory statement to the shareholders of the Company, draft letter of offer and letter of offer pertaining to buyback to be sent to the shareholders of the Company or filed with the (a) Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India, stock exchanges, public shareholders and any other regulatory authority as per applicable law and (b) the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and (iii) for providing to the Manager to the proposed buyback offer, each for the purpose of extinguishment of equity shares. Accordingly, this report may not be suitable for any other purpose, and therefore, should not be used, referred to or distributed for any other purpose or to any other party without our prior written consent. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose for which or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Walker Chandiok & Co LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 001076N/N500013

Sd/-

Tarun Gupta

Partner

Membership No.:507892

UDIN: 24507892BKIVZ1739

Place: Jaipur

Date: 8 August 2024

Annexure A

Statement of Permissible Capital Payment as on 31 March 2024

Particulars as on March 31, 2024	Amount on the Basis of Standalone (Rs. In Lakhs)	Amount on the Basis of Consolidated (Rs. In Lakhs)
Paid-up Capital (4,39,52,600 Equity Shares of Rs. 5 each fully paid up)	2197.63	2197.63
Reserves and Surplus		
Securities Premium	-	-
General Reserve	-	-
Retained Earnings	84,461.21	85,419.61
Total Reserve	**84,461.21**	**85,419.61**
Total paid up capital and free reserves	**86,658.84**	**87,617.24**
Maximum amount permissible for Buyback in accordance with proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act, 2013 requiring Board resolution (10% of the paid-up capital and free reserves)	8,665.88	8,761.72
Buyback amount proposed by the Board of Directors per resolution dated August 08, 2024.	4000.00	
Buy back size as a percentage of total paid-up Equity Share Capital and free reserves	4.62%	4.57%

Notes:

A) The aforesaid balances have been extracted accurately from the audited Standalone Financial Statements and audited Consolidated Financial Statements as at and for the year ended 31 March 2024 and secretarial records of the Company.

B) Free reserves considered above, are in accordance with section 2(43) of the Act and Explanation II to Section 68 of the Act.

c) The aforesaid Statement has been prepared in connection with the proposed buy-back of upto 5,00,000 equity shares at a price of INR 800/- per share aggregating upto INR 40 Crore. The shares proposed for buy-back have been determined if-accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 including Section 68 and Regulation 4 to the Buyback Regulations.

D) The Board of Directors have in their meeting dated 08 August 2024, formed opinion that the Company, having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent within a period of one year from the aforesaid date and from the date on which the results of the shareholders' resolution with regard to the proposed buyback are declared.

For **Mayur Uniquoters Limited**

Sd/-

Suresh Kumar Poddar

Chairman and Managing Director & CEO

Date: August 08, 2024

Place: Jaipur

10. RECORD DATE AND SHAREHOLDERS ENTITLEMENT

10.1 As required under the Buyback Regulations, the Company has fixed Friday, August 23, 2024, as the Record Date for the purpose of determining the entitlement and the names of the Eligible Shareholders, who will be eligible to participate in the Buyback.

10.2 In due course, Eligible Shareholders will receive a letter of offer in relation to the Buyback ("Letter of Offer") along with a Tender Offer form indicating the entitlement of the Eligible Shareholder for participating in the Buyback. Even if the Eligible Shareholder does not receive the Letter of Offer along with a tender form, the Eligible Shareholder may participate and tender shares in the Buyback. As required under the Buyback Regulations, the dispatch of the Letter of Offer shall be through electronic mode only, within 2 (two) working days from the Record Date and, if any Eligible Shareholder requires a physical copy of the Letter of Offer, a request has to be sent to the Company or the Registrar to the Buyback and the same shall be provided.

10.3 The Equity Shares proposed to be bought back by the Company shall be divided into two categories: (a) reserved category for small shareholders; and (b) general category for all other Eligible Shareholders.

10.4 As defined in Regulation 2(1)(n) of the Buyback Regulations, a "small shareholder" is a shareholder of the Company who holds Equity Shares whose market value, on the basis of the closing price of the Equity Shares on the Stock Exchanges having the highest trading volume as on the Record Date, is not more than Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakh only).

10.5 In accordance with Regulation 6 of the Buyback Regulations, 15% of the number of Equity Shares which the Company proposes to buy back or the number of Equity Shares entitled as per the shareholding of Small Shareholders as on the Record Date, whichever is higher, shall be reserved for the Small Shareholders as part of this Buyback.

10.6 Based on the shareholding on the Record Date, the Company will determine the entitlement of each Eligible Shareholder, including small shareholders, to tender their Equity Shares in the Buyback. This entitlement for each Eligible Shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective Eligible Shareholder as on the Record Date and the ratio of Buyback applicable in the category to which such Eligible Shareholder belongs to. The final number of Equity Shares that the Company shall purchase from each Eligible Shareholder will be based on the total number of Equity Shares tendered by such Eligible Shareholder. Accordingly, the Company may not purchase all of the Equity Shares tendered by an Eligible Shareholder.

10.7 In accordance with Regulation 9(ix) of the Buyback Regulations, in order to ensure that the same Eligible Shareholder with multiple demat accounts/ folios do not receive a higher entitlement under the small shareholder category, the Company proposes to club together the Equity Shares held by such Eligible Shareholders with a common permanent account number ("PAN") for determining the category (small shareholder or general) and entitlement under Buyback. In case of joint shareholding, the Company will club together the Equity Shares held in cases where the sequence of PANs of the joint shareholders is identical. In case of Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form, where the sequence of PANs is identical or where the PAN of all joint shareholders are not available, the Company will check the sequence of the names of the joint holders and club together the Equity Shares held in such cases where the sequence of the PANs and the names of joint shareholders are identical. The shareholding of institutional investors like mutual funds, pension funds/ trusts, insurance companies etc. with common PAN will not be clubbed together for determining the category and will be considered separately, where these Equity Shares are held for different schemes and have a different demat account nomenclature based on information prepared by the registrar and transfer agent as per the shareholder records received from the depositories.

10.8 After accepting the Equity Shares tendered on the basis of entitlement, the Equity Shares left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted, in proportion to the Equity Shares tendered over and above their entitlement in the offer by Eligible Shareholders in that category, and thereafter from Eligible Shareholders who have tendered over and above their entitlement in the other category.

10.9 The participation of Eligible Shareholders in the Buyback is voluntary. Eligible Shareholders holding Equity Shares of the Company can choose to participate and get cash in lieu of shares to be accepted under the Buyback or they may choose not to participate. Eligible Shareholders holding Equity Shares of the Company may also accept a part of their entitlement. Eligible Shareholders holding Equity Shares also have the option of tendering additional shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation of some other shareholders, if any. Further, the Equity Shares held under the category of "clearing members" or "corporate body margin account" or "corporate body - broker" as per the beneficial position data as on Record Date with common PAN are not proposed to be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are assumed to be held on behalf of clients.

10.10 The maximum number of Equity Shares that can be tendered under the Buyback by any Eligible Shareholder cannot exceed the number of Equity Shares held by the Eligible Shareholder as on the Record Date. In case the Eligible Shareholder holds Equity Shares through multiple demat accounts, the tender through a demat account cannot exceed the number of Equity Shares held in that demat account.

10.11 The Equity Shares tendered as per the entitlement by Eligible Shareholders holding Equity Shares of the Company as well as additional shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in the Buyback Regulations. If the Buyback entitlement for any shareholder is not a round number, then the fractional entitlement shall be ignored for computation of Buyback entitlement to tender Equity Shares in the Buyback. The settlement under the Buyback will be done using the mechanism notified under the SEBI Circulars.

10.12 Income arising to the shareholders under the Buyback is exempt from income tax in India. However, the participation in the Buyback by non-resident shareholders may be taxable in their country of residence according to tax laws of their respective countries. The Buyback transaction would also be chargeable to securities transaction tax in India. The shareholders are advised to consult their own legal, financial and tax advisors prior to participating in the Buyback.

10.13 Detailed instructions for participation in the Buyback (tender of Equity Shares in the Buyback) as well as the relevant timetable will be included in the Letter of Offer to be sent to the Eligible Shareholder(s).

11. PROCESS AND METHODOLOGY TO BE ADOPTED FOR THE BUY-BACK

11.1 The Buyback is open to all Eligible Shareholders holding Equity Shares either in physical and/ or in dematerialized form as on Record Date.

11.2 The Buyback shall be implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" as specified by the SEBI Circulars ("Stock Exchange Mechanism") and following the procedure prescribed in the Companies Act and the Buyback Regulations and as may be determined by the Board (including the committee of the Board authorized to complete the formalities of the Buyback) on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.

11.3 For implementation of the Buyback, the Company has appointed **M/s Sushil Financial Services Private Limited**, as the registered broker to the Company ("Company's Broker") to facilitate the process of tendering of Equity Shares through the Stock Exchange Mechanism for the Buyback and through whom the purchases and settlements on account of the Buyback would be made by the Company. The contact details of the Company's Broker are as follows:

The Contact details of Company's Broker are as follows:

Name: **Sushil Financial Services Private Limited**

Address: 12, Homji Street, Fort, Mumbai - 400 001;

Contact Person: Mr. Durga Mishra;

Tel No.: +91 22 40778096;

Email Id: durga.mishra@sushilfinance.com; Website: www.sushilfinance.com;

SEBI Registration No.: BSE: INZ000165135;

CIN: U67120MH1991PTC063438

11.4 BSE will be the designated stock exchange for the purpose of this Buyback. The Company will request BSE to provide the separate acquisition window ("Acquisition Window") to facilitate placing of sell orders by Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buyback. The details of the Acquisition Window will be specified by BSE from time to time.

11.5 During the tendering period, the order for selling the Equity Shares will be placed in the Acquisition Window by Eligible Shareholders through their respective stock broker(s) ("Seller Member(s)") during normal trading hours of the secondary market. The Seller Member can enter orders for Equity Shares held in dematerialized form and physical form. In the tendering process, the Company's Broker may also process the orders received from the Eligible Shareholders.

11.6 In the event the Seller Member(s) of any Eligible Shareholder is not registered with BSE as a trading member/ stock broker, then that Eligible Shareholder can approach any BSE registered stock broker and can register themselves by using quick unique client code ("UCC") facility through the BSE registered stock broker (after submitting all details as may be required by such BSE registered stock broker in compliance with applicable law). In case the Eligible Shareholders are unable to register using UCC facility through any other BSE registered broker, Eligible Shareholders may approach Company's Broker i.e., Sushil Financial Services Private Limited, to place their bids, subject to completion of KYC requirements as required by the Company's Broker.

11.7 Modification/ cancellation of orders and multiple bids from a single Eligible Shareholder will only be allowed during the tendering period of the Buyback. Multiple bids made by a single Eligible Shareholder for selling Equity Shares shall be clubbed and considered as "one bid" for the purposes of acceptance.

11.8 The cumulative quantity tendered shall be made available on the website of BSE (www.bseindia.com) throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

11.9 Further, the Company will not accept Equity Shares tendered for Buyback which are under restraint order of the court/ any other competent authority for transfer/ sale and/ or title in respect of which is otherwise under dispute or where loss of share certificates has been notified to the Company and the duplicate share certificates have not been issued either due to such request being under process as per the provisions of law or otherwise.

11.10 Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form:

11.10.1 Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares held by them in dematerialized form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to the concerned Seller Member, the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback.

11.10.2 The Seller Member(s) would be required to place an order/ bid on behalf of the Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buyback using the Acquisition Window of BSE. For further details, Eligible Shareholders may refer to the circulars issued by BSE and Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation").

11.10.3 The details of the settlement number under which the lien will be marked on the Equity Shares tendered for the Buyback will be provided in a separate circular to be issued by BSE and the Clearing Corporation.

11.10.4 The lien shall be marked by the Seller Member in the demat account of the Eligible Shareholder for the shares tendered in Tender Offer. Details of shares marked as lien in the demat account of the Eligible Shareholder shall be provided by the depositories to the Clearing Corporation. In case, the Shareholders demat account is held with one depository and clearing member pool and Clearing Corporation account is held with other depository, shares shall be blocked in the shareholders demat account at source depository during the tendering period. Inter depository Tender Offer ("IDT") instructions shall be initiated by the shareholders at source depository to clearing member/ Clearing Corporation account at target depository. Source depository shall block the shareholder's securities (i.e., transfers from free balance to blocked balance) and send IDT message to target depository for confirming creation of lien. Details of shares blocked in the shareholders demat account shall be provided by the target depository to the Clearing Corporation.

11.10.5 For orders placed with respect to dematerialized Equity Shares, by clearing members entities who have been allocated a custodian participant code by the Clearing Corporation ("Custodian Participant"), early pay-in is mandatory prior to confirmation of order by custodian. The custodian shall either confirm or reject the orders not later than the closing of trading hours on the last day of the tendering period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, order modification by the concerned Selling Member shall revoke the custodian confirmation and the revised order shall be sent to the custodian again for confirmation.

11.10.6 Upon placing the bid, the Seller Member(s) shall provide a Transaction Registration Slip ("TRS") generated by the exchange bidding system to the Eligible Shareholder on whose behalf the bid has been placed. The TRS will contain the details of the order submitted like bid ID number, application number, DP ID, client ID, number of Equity Shares tendered etc. In case of non-receipt of the completed tender form and other documents, but lien marked on

Equity Shares and a valid bid in the Exchange Bidding System, the bid by such Eligible Shareholder shall be deemed to have been accepted.

11.10.7 It is clarified that in case of dematerialized Equity Shares, submission of the tender form and TRS is not mandatory. After the receipt of the demat Equity Shares by the Clearing Corporation and a valid bid in the exchange bidding system, the Buyback shall be deemed to have been accepted, for Eligible Shareholders holding Equity Shares in demat form.

11.10.8 The Eligible Shareholders will have to ensure that they keep the depository participant ("DP") account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares due to rejection or due to prorated Buyback decided by the Company. Further, Eligible Shareholders will have to ensure that they keep the bank account attached with the DP account active and updated to receive credit remittance due to acceptance of Buyback of shares by the Company. In the event if any equity shares are tendered to Clearing Corporation, excess dematerialized equity shares or unaccepted dematerialized equity shares, if any, tendered by the Eligible Shareholders would be returned to them by the respective Clearing Corporation. If the securities transfer instruction is rejected in the depository system, due to any issue, then such securities will be transferred to the Seller Member's depository pool account for onward transfer to the eligible shareholder. On the date of the settlement, in case of Custodian Participant orders, excess dematerialized shares or unaccepted dematerialized shares, if any, will be returned to the respective custodian depository pool account.

11.10.9 Eligible Shareholders who have tendered their demat shares in the buyback shall also provide all relevant documents, which are necessary to ensure transferability of the demat shares in respect of the tender form to be sent. Such documents may include (but not be limited to): (i) duly attested power of attorney, if any person other than the Eligible Shareholder has signed the tender form; (ii) duly attested death certificate and succession certificate/legal heirship certificate, in case any Eligible Shareholder is deceased, or court approved scheme of merger/amalgamation for a company; and (iii) in case of companies, the necessary certified corporate authorizations (including board and/or general meeting resolutions).

11.11 Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form: In accordance with SEBI's circular dated July 31, 2020 (circular no. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/ P/2020/144), shareholders holding Equity Shares in physical form are allowed to tender such shares in a buyback undertaken through the Tender Offer route. However, such tendering shall be as per the provisions of the Buyback Regulations. The procedure is as below:

11.11.1 Eligible Shareholders who are holding physical Equity Shares and intend to participate in the Buyback will be required to approach their respective Seller Member along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out before placement of the bid. Such documents will include the (a) Tender Form duly signed by all Eligible Shareholders (in case shares are in joint names, in the same order in which they hold the shares), (b) original share certificate(s), (c) valid share transfer form(s)/ Form SH-4 duly filled and signed by the transferors (i.e. by all registered Shareholders in the same order and as per the specimen signatures registered with the Company) and duly witnessed at the appropriate place authorizing the transfer in favour of the Company, (d) self-attested copy of PAN card(s) of all Eligible Shareholders, (e) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/ specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder is deceased, etc., as applicable. In addition, if the address of the Eligible Shareholder has undergone a change from the address registered in the register of members of the Company, the Eligible Shareholder would be required to submit a self-attested copy of address proof consisting of any one of the following documents: valid Aadhar card, voter identity card or passport.

11.11.2 Based on documents mentioned in paragraph 11.11.1 above, the concerned Seller Member shall place an order/ bid on behalf of the Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form who wish to tender Equity Shares in the Buyback, using the Acquisition Window of BSE. Upon placing the bid, the Seller Member shall provide a TRS generated by the exchange bidding system to the Eligible Shareholder. TRS will contain the details of order submitted like folio number, certificate number, distinctive number, number of Equity Shares tendered etc.

11.11.3 Any Seller Member/ Eligible Shareholder who places a bid for physical Equity Shares, is required to deliver the original share certificate(s) and documents (as mentioned above) along with TRS generated by exchange bidding system upon placing of bid, either by registered post, speed post or courier or hand delivery to the Registrar to the Buyback i.e., Beetal Financial & Computer Services (P) Limited at the address mentioned at paragraph 14 below) on or before the Buyback closing date. The envelope should be super scribed as "**Mayur Uniquoters Limited Buyback 2024**". One copy of the TRS will be retained by Registrar to the Buyback and it will provide acknowledgement of the same to the Seller Member/ Eligible Shareholders.

11.11.4 The Eligible Shareholders holding physical Equity Shares should note that physical Equity Shares will not be accepted unless the complete set of documents are submitted. Acceptance of the physical Equity Shares for Buyback by the Company shall be subject to verification as per the Buyback Regulations and any further directions issued in this regard. The Registrar to the Buyback will verify such bids based on the documents submitted on a daily basis and till such verification, BSE shall display such bids as 'unconfirmed physical bids. Once Registrar to the Buyback confirms the bids, they will be treated as 'confirmed bids.

11.11.5 In case any Eligible Shareholder has submitted Equity Shares in physical form for dematerialization, such Eligible Shareholders should ensure that the process of getting the Equity Shares dematerialized is completed well in time so that they can participate in the Buyback before the closure of the tendering period of the Buyback

11.11.6 An unregistered shareholder holding Equity Shares in physical form may also tender their Equity Shares in the Buyback by submitting the duly executed transfer deed for transfer of shares, purchased prior to the Record Date, in their name, along with the offer form, copy of their PAN card and of the person from whom they have purchased shares and other relevant documents as required for transfer, if any.

11.12 The Buyback from the Eligible Shareholders who are residents outside India including foreign corporate bodies (including erstwhile overseas corporate bodies), foreign portfolio investors, non-resident Indians, members of foreign nationality, if any, shall be subject to the Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulations framed thereunder, if any, Income Tax Act, 1961 and rules and regulations framed thereunder, as applicable, and also subject to the receipt/ provision by such Eligible Shareholders of such approvals, if and to the extent necessary or required from concerned authorities including, but not limited to, approvals from the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulations framed thereunder, if any.

11.13 The reporting requirements for non-resident shareholders under RBI, Foreign Exchange Management Act, 1999, as amended and any other rules, regulations, guidelines, for remittance of funds, shall be made by the Eligible Shareholders and/ or the Eligible Shareholder's broker through which the Eligible Shareholder places the bid.

11.14 Modification/cancellation of orders will only be allowed during the tendering period of the Buyback.

11.15 The cumulative quantity of Equity Shares tendered shall be made available on the website of BSE (www.bseindia.com) throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

12 METHOD OF SETTLEMENT

Upon finalization of the basis of acceptance as per the Buyback Regulations:

Contd. to next page

www.readwhere.com

ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में ओएआईएस ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) (ओरिक्स ऑटो इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की एक अनुषंगी)
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 94, मरोल को–ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (पू), मुंबई–400 059.
दूरभाष सं. 91 22 2859 5093 / 6707 0100, फैक्स : 91 22 2852 8549
ईमेल : info@orixindia.com, www.orixindia.com, सीआईएन : U74900MH2006PLC163937

परिशिष्ट–IV-A (नियम 8(6) का प्रावधान देखें)
अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना।
एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता (ओं) तथा गारंटर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण प्रतिभूत ऋणदाता अर्थात् ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "यहाँ जो कुछ भी है" आधार पर दिनांक 30.08.2024 को किया जाएगा, जो यहां इसमें निम्न तालिकाओं में वर्णितानुसार उधारकर्ताओं एवं सह–उधारकर्ताओं से ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के देय–भुगतेय यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार राशि की वसूली के लिये होगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा (धराज) यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार होंगे।

उधारकर्ताओं एवं सह–उधारकर्ताओं के नाम / बकाया राशि / मांग सूचना तिथि	संपत्ति के विवरण	आरक्षित मूल्य (आईएनआर) / धराज / बोली वृद्धि राशि
• मैसर्स बीनू ट्रेडर्स • बीनू अग्रवाल • संजय कुमार • मैसर्स संजय ट्रेडर्स रु. 2,38,00,298.76 / – 07–08–2024 के अनुसार मांग सूचना तिथि : 29–11–2022	भूतल, बिना छत के अधिकारों के, संपत्ति नंबर 3614, 3615, 3616 और 3617 का हिस्सा, क्षेत्रफल 1130 वर्ग फीट, जो मेन बाजार, बाड़ा हिंदू राव, वार्ड नंबर ग्यारह, सदर बाजार, दिल्ली में स्थित है, और **इस प्रकार घिरा हुआ है: उत्तर : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : अन्य की संपत्ति, पूर्व : अन्य की संपत्ति, पश्चिम : मुख्य सड़क।**	आईएनआर 1,10,00,000 / – (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र) धरोहर राशि जमा 10% आईएनआर 11,00,000 / – (रुपये ग्यारह लाख मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 50,000 / – (रुपये पचास हजार मात्र)
विनय कुमार पलक आनंद रु. 30,15,220.01 / – 07–08–2024 के अनुसार मांग सूचना तिथि : 22–03–2022	ऊपरी भूतल, बिना छत के अधिकारों के "उक्त तल" संपत्ति जी–29 पर निर्मित, प्लॉट संख्या 27 और 28, जिसका क्षेत्रफल 108.9 वर्ग गज है, (18.9 X 51.9) लगभग, (91 वर्ग मीटर), खसरा संख्या 513 में से, ग्राम मामूरपुर, जी–ब्लॉक, पंजाबी कॉलोनी, नरेला, दिल्ली–110040 में स्थित है और **इसकी सीमा इस प्रकार है– पूर्व : मकान संख्या जी–28, श्री प्यारे लाल, पश्चिम : गली 18 फीट, उत्तर : श्री किशोरी लाल की संपत्ति, दक्षिण : गली 15 फीट।**	आईएनआर 20,00,000 / – (रुपये बीस लाख मात्र) धरोहर राशि जमा 10% आईएनआर 2,00,000 / – (रुपये दो लाख मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 50,000 / – (रुपये पचास हजार मात्र)

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात् **https://www.orixindia.com/leasing.php** में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

हस्ता. / –
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 09–08–2024 ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 507, डलामल हाउस, जमनालाल बजाज रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021
निगमित कार्यालय : 55–56, 5वां तल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021.
कार्यालय : यूनिट नंबर 106, बेस्ट बिजनेस पार्क, प्लॉट नं. पी–2, नेताजी सुभाष प्लेस, कम सिनेमा के सम्मुख, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034

मांग सूचना

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने दिनांक 28–03–2024 को एक असाइनमेंट डीड के माध्यम से पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अन्य बातों के साथ–साथ आपके द्वारा देय ऋण को, उसके सभी अधिकारों, स्वामित्व, हितों, लाभों के साथ, आपके शीर्षकगत ऋण खाते / खातों / समझौते के संबंध में, ऋण की चुकौती के लिए सृजित अचल संपत्ति / संपत्तियों के संबंध में बनाई गई अंतर्निहित सुरक्षा / सुरक्षा हितों के साथ सौंपा है। अब यह नोटिस प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के साथ जारी किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरकर्ता, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ("पीएआरपीएल") के प्राधिकृत अधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं (ओं) से उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने का आह्वान किया गया है, जो नीचे भी दी गई हैं। उपरोक्त के संबंध में, ऋणकर्ताओं / सह–ऋणकर्ताओं / बंधककर्ताओं को एक बार फिर से नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई राशियों को, साथ ही उक्त मांग नोटिस में वर्णित व्याज सहित, नीचे उल्लिखित तारीख से लेकर भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, उक्त ऋणकर्ताओं / सह–ऋणकर्ताओं / बंधककर्ताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लेखों, यदि कोई हो, के साथ ऋण समझौते के तहत देय, का पीएआरपीएल को भुगतान करें। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा पीएआरपीएल के पास गिरवी रखा गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम / ऋण खाता संख्या	मांग सूचना तिथि एवं राशि
1.	1) मैसर्स वासुदेव फ्रेश डेयरी फार्म, इसके मालिक श्री रवि कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री रवि कुमार (उधारकर्ता), 3) श्रीमती रानी देवी (गारंटर), 4) श्री नितिन शर्मा (गारंटर), 5) श्री रामनिवास उपनाम रामकिशन पुत्र हरकिशन सिंह (गारंटर) ऋण संख्या 46088640000049 और 46080200006787 48	24.07.2024, रु. 14,23,085 / – (रुपये चौदह लाख तेईस हजार पिचासी मात्र) 22–07–2024 के अनुसार

सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण : संपत्ति का विवरण : एक मकान 150 वर्ग गज या 5 मरला 0 सरसाई, 1 / 2 भूमि का हिस्सा जिसका माप 0 कनाल 10 मरला है, जो जमाबंदी के अनुसार खेवट संख्या 835, खसरा संख्या 546 में शामिल है वर्ष 2016–2017 के लिए, जो करोरा, तहसील पुंडरी, जिला कैथल में स्थित है, जो श्रीमती रानी देवी पत्नी रामनिवास उपनाम रामकिशन के स्वामित्व में है। सीमा: पूर्वः गली, पश्चिमः नन्हा राम का मकान, उत्तर: महावीर का मकान, दक्षिण: सतपाल का मकान।

यदि उक्त उधारकर्ताओं / गारंटर उपरोक्त के अनुसार पीएआरपीएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो पीएआरपीएल अधिनियम की धारा 13 (4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी, जो पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं / ऋणकर्ताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी। अधिनियम के तहत उधारकर्ताओं / को पीएआरपीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और / या अर्थदंड का सामना करना पड़ेगा।

दिनांक : 12–08–2024
स्थान : कुरुक्षेत्र, हरियाणा

प्राधिकृत अधिकारी
पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
पेगासस 2024 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत्

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार–पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
साह बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड जिसके पंजीकृत कार्यालय का पताः **ई–5, बालाजी अपार्टमेन्ट्स, द्वारिका, सेक्टर–3, नई दिल्ली–110075** में है, के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"दिल्ली राज्य"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए **गुरुवार, 11 जुलाई, 2024** को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते **बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** में जमा करें या जमा करायें या पंजीकृत डाक से भेजें:
पंजीकृत कार्यालय का पताः ई–5, बालाजी अपार्टमेन्ट्स, द्वारिका, सेक्टर–3, नई दिल्ली–110075 (वर्तमान पता)

कृते, साह बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
ब्रिजेन्द्र कुमार साह
निदेशक,
तिथिः 10.8.2024
स्थानः नई दिल्ली
DIN: 00378917

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED
पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :– 502, टावर–ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013
सर्किल कार्यालय :– 9–बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110060

परिशिष्ट –IV–क [नियम 8 (6) तथा 9(1) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) और 9(1) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित / भौतिक कब्जा कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदार की तरफ कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित तिथियों को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	1. कर्जदार(रों) का नाम 2. बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. सुरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी 3. वृद्धि मूल्य
1.	1. श्री सतनाम सिंह ("कर्जदार") 2. श्रीमती सपना देवी 3. श्री विजय कुमार (सह–कर्जदार) ऋण खाता संख्या **LNMEAMB000022798** **रूपए 33,68,949 / –** (रूपए तेतीस लाख अड़सठ हजार नौ सौ उन्चास मात्र) 24–05–2024 तक + लागू भावी ब्याज	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि परिमाप 0 कनाल 7.5 मरला, खेवट नंबर 554 / 647, खसरा नंबर 54 / / 5, रकबा 4 कनाल 09 मरला का 15 / 178 हिस्सा, वाका रकबा अधोया मुसलमानान, तहसील बराड़ा, अम्बाला, हरियाणा–133201	1. ई–नीलामी की तिथि : 29–08–2024 (अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच) 2. ईएमडी, केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि : 28–08–2024 3. निरीक्षण की तिथि : 27–08–2024	**सुरक्षित मूल्य :** रू. 11,00,000 / – (रूपए ग्यारह लाख मात्र) **धरोहर राशि जमा :** रू. 1,10,000 / – (रूपए एक लाख दस हजार मात्र) **वृद्धि मूल्य :** रू. 10,000 / – (रूपए दस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें :– www.capriglobal.in/auction

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :–

1. सम्पत्ति "जैसी है जहां है, जो भी है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर बेची जा रही है। अतएव बिक्री किसी प्रकार की वारंटी एवं क्षतिपूर्ति के बिना की जा रही है।
2. सम्पत्ति / आस्ति के विवरण (उदाहरण के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सीमा एवं परिमाप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं तथा प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं माप भिन्न हो सकता है।
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा जारी की गई ई–नीलामी बिक्री सूचना जनसाधारण को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने हेतु एक आमंत्रण है तथा यह प्रतिभूत लेनदार की ओर से कोई वचनबद्धता अथवा अभिवेदन नहीं है और न ऐसा करता समझा जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले स्वामित्व विलेख की प्रति प्रतिभूत लेनदार से प्राप्त करने और सम्पत्ति / आस्ति के स्वामित्व के स्वामित्व एवं वर्तमान दशा तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / देयताओं की स्वतंत्र जांच / सतर्क जांच कर लेने की सलाह दी जाती है।
4. नीलामी / बोलीदान सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर अथवा ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" द्वारा होगा, जो ई–नीलामी प्लेटफार्म के जरिए नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था एवं समन्वय करेंगे।
5. बोलीदाता बोलीदान के लिए अपनी पसंद के स्थान से ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार / सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश डाउन, पावर फेल्योर इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
6. संभावित बोलीदाता ई–नीलामी के संबंध में विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोलीदान के लिए सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नंबर 079–68136880 / 68136837), श्री चिंतन भट्ट मोबाइल नंबर 9265562821 एवं 9265562818, ई–मेल : chintan.bhatt@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. इच्छुक बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए अपने नाम का पंजीकरण https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पर्याप्त अग्रिम में करवाना होगा तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड मिलते ही तत्काल इसको बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाता को एक प्रतिदेय ईएमडी, जोकि सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत है (उपरि वर्णित अनुसार) "कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से 28–08–2024 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी।
9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा गया बोली प्रपत्र (फार्मेट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) ईएमडी हेतु डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, आंचलिक कार्यालय, प्लॉट नंबर 3बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110005 को अधिकतम 28–08–2024 के अप. 03.00 बजे तक भेजा जा सकता है। सीलबंद लिफाफे पर "कर्जदार नाम" की सम्पत्ति के लिए ऋण खाता नंबर – .... (ऊपर वर्णित अनुसार) में ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु बोली" शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेंगे तथा योग्य बोलीदाताओं (जिनके द्वारा अपनी बोलियां सुरक्षित मूल्य से अधिक उद्धृत की गई हैं तथा प्रतिभूत लेनदार द्वारा विनिर्दिष्ट ईएमडी जमा की गई है) के विवरण की पुष्टि मैसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को करेंगे ताकि वे ई–नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित तिथि और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोलीदान / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति केवल उन्हीं योग्य बोलीदाताओं को दें।
11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीदान योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से आरंभ किया जाएगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार होंगे अर्थात ई–नीलामी समाप्त होने का समय अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर बोली आने पर हर बार स्वतः 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
12. एक बार बोली देने के बाद निरस्त या वापस नहीं की जा सकती है। बोलीदाता को उपलब्ध कराई गई यूजर आईडी से दी गई सभी बोलियां केवल उसके द्वारा दी गई बोली मानी जाएंगी।
13. ई–नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर, उच्चतम बोलीदाता को उसके द्वारा उद्धृत अंतिम बोली की राशि की पुष्टि तत्काल ई–मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, आंचलिक कार्यालय, कार्यालय / प्लॉट नंबर 3बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110005 तथा सेवा प्रदाता दोनों को भेजनी होगी, ताकि उसको ई–नीलामी प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके।
14. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) बोली उसके पक्ष में छूटने पर, बिक्री के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15 दिन के भीतर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डीडी / पे ऑर्डर / एनईएफटी / आरटीजीएस / चैक द्वारा जमा करनी होगी।
15. सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित राशियों का भुगतान नियत अवधि के भीतर करने में चूक की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशियां (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएंगी और सम्पत्ति दोबारा बिक्री हेतु रखी जाएगी।
16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बोली राशि की बकाया रकम चुकाने के लिए समय, एकमात्र अपने विवेकानुसार लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।
17. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 1 प्रतिशत राशि बतौर टीडीएस (बिक्री राशि से) अदा करनी होगी तथा टीडीएस सर्टिफिकेट प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा बिक्री मूल्य की पूरी राशि (1 प्रतिशत टीडीएस काटने के बाद), ईएमडी समायोजित करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के 15 कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त विचारित विस्तारित अवधि के भीतर अदा करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर जमा की गई धरोहर जमा जब्त कर ली जाएगी।
18. म्युनिसिपल / पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। बोलियां सम्पत्ति से संबंधित सभी कानूनी बकाया को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए।
19. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र उसके द्वारा पूर्ण क्रय मूल्य / बोली राशि जमा करने तथा सभी करों / प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
20. हस्तांतरण, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण हेतु लागू कानूनी प्रभार तथा अन्य अनुषंगी प्रभार नीलामी क्रेता को वहन करने होंगे।
21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही प्रास्थगित / निरस्त कर सकते हैं। ई–नीलामी बिक्री कार्यक्रम बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 से कम दिन पहले की तिथि हेतु प्रास्थगित करने की स्थिति में, यह सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी होगा तथा इसको चुनौती नहीं दी सकती है।
23. सभी बोलीदाता, जिनके द्वारा बोलियां प्रस्तुत की गई हैं, यह माना जाएगा कि वे ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें पढ़ एवं समझ चुके हैं तथा उनके अधीन बाध्य होंगे।
24. सम्पत्ति में रखी चल वस्तु (यदि कोई) इस बिक्री का अंश नहीं है।
25. **अतिरिक्त विवरण तथा पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड : श्री अमित वर्मा मोबाइल नंबर 9013255520 से सम्पर्क करें और आगे पूछताछ के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला – 77380 39346 से सम्पर्क करें।**
26. यह प्रकाशन उक्त ऋण खाते के कर्जदार / बंधकदाता / गारंटर को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा 9(1) के तहत, उपरिवर्णित तिथि / स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के संबंध में 15 (पंद्रह) दिन का कानूनी नोटिस भी है।

विशेष अनुदेश / चेतावनी : बोलीदाताओं को अन्तिम मिनटों अथवा क्षणों में बोलीदान करने की प्रवृत्ति को स्वयं के हित में त्यागना होगा। ना तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और ना ही सेवा प्रदाता बोलीदाता की ओर से किसी विफलता / कमी (विद्युत विफलता, इंटरनेट विफलता इत्यादि) हेतु उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति से बचने के क्रम में बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपेक्षित बैकअप पॉवर आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं / विकल्प तैयार रखें, ताकि वे किसी भी आकस्मिक रूकावट से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान : अम्बाला (हरियाणा), तिथि : 12–08–2024 **हस्ता / – (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड**

फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा
((भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 का विनियम 14)

टू ओशन्स स्ट्रैटेजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ प्रासंगिक

सुसंगत विवरण		
1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	**टू ओशन्स स्ट्रैटेजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	06 / 08 / 2020
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत महाराष्ट्र, मुंबई में कंपनी रजिस्ट्रार
4.	कॉर्पोरेट व्यक्ति की पहचान कॉर्पोरेट संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U73200DL2020FTC367558
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	44 बैकरी पोर्शन, द्वितीय तल रीगल बिल्डिंग नई दिल्ली, कॉनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110001
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के परिसमापन प्रारंभ तिथि	08.08.2024
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण संख्या	**श्री हितेश कोठारी** **पंजीकरण संख्याः** IBBI/IPA-002/IP N00324/2017-18/10929 1ए, सत्या अपार्टमेंट, कांदिवली एमटीएनएल बिल्डिंग के सामने, एस.वी. रोड, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई – 400067 hiteshkotharics@gmail.com/ hiteshkothariipc@gmail.com
8.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	07.09.2024

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि टू ओशन्स स्ट्रैटेजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 08 अगस्त 2024 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू कर दिया है।
टू ओशन्स स्ट्रैटेजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों से अनुरोध है कि वे 07 सितंबर, 2024 को या उससे पहले मद 7 के सामने उल्लिखित पते पर परिसमापक को अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करें। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।
अन्य सभी हितधारक व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावों का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

श्री हितेश कोठारी
IBBI/IPA-002/IP N00324/2017-18/10929
दिनांक : 12.08.2024 लिक्विडेटर
स्थान : मुंबई टू ओशन्स स्ट्रैटेजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
(Formerly Fullerton India Credit Company Limited)

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई – 400051

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के तहत)

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स, तीसरा तल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरावॉयल, चेन्नई, तमिलनाडु–600095 में है और कॉर्पोरेट कार्यालय मेकर मैक्सिटी, दसवां तल, कार्यालय नंबर 101,102 और 103, 2, नॉर्थ एवेन्यू, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र – 400051 में है, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं) से आह्वान करते हुए दिनांक 22.05.2024 को मांग नोटिस जारी किया। जिसमे (1) बालाजी स्विचगियर, (2) सचिन वर्मा, (3) शिवानी संजय (4) कैलाशवती, ऋण खाता संख्या 212220911045712 के तहत नोटिस में उल्लिखित राशि रु 35,60,879.87 / – ख्रुपये पैंतीस लाख साठ हजार आठ सौ उनहत्तर और सतासी पैसे मात्र, को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।
उधारकर्ता(ओं) द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता(ओं) और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, इस 10 अगस्त माह 2024 तारीख को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) के प्रभार के अधीन होगा, जिसके अंतर्गत 35,60,879.87 रुपये ख्पैंतीस लाख साठ हजार आठ सौ उनहत्तर और सतासी पैसे मात्र, की राशि और उस पर ब्याज शामिल होगा।
उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरणः संपत्ति के मालिक श्री सचिन वर्मा मकान नंबर 146 का वह पूरा संपत्ति टुकड़ा और पार्सल 100 वर्ग गज यानि 83.61 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 3 मंजिला बना हुआ है जिसका कुल कवर्ड एरिया 300 वर्ग गज यानि 250.81 वर्ग मीटर है। खसरा नंबर 911 में से जरारा कलां मालीवाड़ा मालीवाड़ा चौक के पास गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है।

स्थानः गाजियाबाद, दिनांकः 12.08.2024 हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी।
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 (1) और (2) के तहत, 2016)

श्रीमती नविता अग्रवाल, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की देनदार/व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण		
1.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम	**श्रीमती नविता अग्रवाल**
2.	देनदार / व्यक्तिगत गारंटर का पता	10–डी, अंडर हिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054 **यहां भी:** 24–बी, अलीपुर रोड, सिविल लाइंस, पुराने सचिवालय के सामने, दिल्ली–110054
3.	कॉर्पोरेट देनदार के देनदारों / व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में आदेश का विवरण और दिवालियापन प्रारंभ तिथि	सी.पी. संख्या (आई.बी.)–925(पी.बी.) / 2022, आदेश दिनांक 06.08.2024 (प्रतिलिपि 09.08.2024 को प्राप्त हुई)
4.	समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	**मनोहर लाल विज** **पंजीकरण संख्या :** IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269 **एएफए वैधः** 30.10.2024 **तक**
5.	समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	8 / 28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. **ईमेल** : mlvij1956@gmail.com
6.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार में उपयोग के लिए पता और ई–मेल	**एवीएम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी** 8 / 28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. **ईमेल** : pg.sunstar@gmail.com
7.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	02 सितंबर 2024
8.	प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दायर किया जाना है	**"प्ररूप–बी"** **वेब लिंकः** https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रधान पीठ ने सीपी संख्या (आईबी)–925(पीबी) / 2022 (आदेश की प्रति 09 अगस्त 2024 को प्राप्त) में अपने आदेश दिनांक 06 अगस्त 2024 के माध्यम से, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की **देनदार / व्यक्तिगत गारंटर, श्रीमती नविता अग्रवाल** की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
श्रीमती नविता अग्रवाल के लेनदारों को इसके द्वारा **02 सितंबर 2024** को या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे प्रविष्टि संख्या 6 में उल्लेखित पते पर समाधान प्रोफेशनल को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
लेनदार इलेक्ट्रॉनिक साधनों से या व्यक्तिगत तरीके से प्रमाण के साथ, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे।
दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

हस्ता / –
मनोहर लाल विज
दिनांक : 12.08.2024 **पंजीकरण संख्या :** IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269
स्थान : नई दिल्ली श्रीमती नविता अग्रवाल, पीजी टू सीडी, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 (1) और (2) के तहत, 2016)

श्री विकास अग्रवाल, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की देनदार/व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण		
1.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम	**श्री विकास अग्रवाल**
2.	देनदार / व्यक्तिगत गारंटर का पता	6–बी, राजनारायण मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054 **यहां भी:** 6–बी, जमुना रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054
3.	कॉर्पोरेट देनदार के देनदारों / व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में आदेश का विवरण और दिवालियापन प्रारंभ तिथि	सी.पी. संख्या (आई.बी.)–919(पी.बी.) / 2022, आदेश दिनांक 06.08.2024 (प्रतिलिपि 09.08.2024 को प्राप्त हुई)
4.	समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	**मनोहर लाल विज** **पंजीकरण संख्या :** IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269 **एएफए वैधः** 30.10.2024 **तक**
5.	समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	8 / 28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. **ईमेल** : mlvij1956@gmail.com
6.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार में उपयोग के लिए पता और ई–मेल	**एवीएम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी** 8 / 28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. **ईमेल** : pg.sunstar@gmail.com
7.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	02 सितंबर 2024
8.	प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दायर किया जाना है	**"प्ररूप–बी"** **वेब लिंकः** https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रधान पीठ ने सीपी संख्या (आईबी)–919(पीबी) / 2022 (आदेश की प्रति 09 अगस्त 2024 को प्राप्त) में अपने आदेश दिनांक 06 अगस्त 2024 के माध्यम से, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की **देनदार / व्यक्तिगत गारंटर, श्री विकास अग्रवाल** की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
श्री विकास अग्रवाल के लेनदारों को इसके द्वारा **02 सितंबर 2024** को या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे प्रविष्टि संख्या 6 में उल्लेखित पते पर समाधान प्रोफेशनल को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
लेनदार इलेक्ट्रॉनिक साधनों से या व्यक्तिगत तरीके से प्रमाण के साथ, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे।
दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

हस्ता / –
मनोहर लाल विज
दिनांक : 12.08.2024 **पंजीकरण संख्या :** IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269
स्थान : नई दिल्ली श्री विकास अग्रवाल, पीजी टू सीडी, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल

12.1 The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.

12.2 The Company will pay the consideration to the Company's Broker who will transfer the funds pertaining to the Buyback to the Clearing Corporation's bank accounts as per the prescribed schedule. For Equity Shares accepted under the Buyback, the Clearing Corporation will make direct funds payout to respective Eligible Shareholders. If the Eligible Shareholders' bank account details are not available or if the funds transfer instruction is rejected by RBI/ bank, due to any reason, then such funds will be transferred to the concerned Seller Member's settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.

12.3 Details in respect of shareholder's entitlement for Tender Offer process will be provided to the Clearing Corporation by the Registrar on behalf of the Company. On receipt of the same, the Clearing Corporation will cancel the excess or unaccepted blocked shares in the demat account of the Eligible Shareholder. On settlement date, all blocked shares mentioned in the accepted bid will be transferred to the Clearing Corporation.

12.4 In case the demat account of the Eligible Shareholders is held with one depository and the Clearing Member pool/ Clearing Corporation account is held with another depository, the Clearing Corporation that holds the Clearing Member pool and Clearing Corporation account of the Eligible Shareholder will cancel the excess or unaccepted shares in the depository that holds the demat account. Source depository will not be able to release the lien without a release of IDT message from target depository. Further, release of IDT message shall be sent by target depository either based on cancellation request received from Clearing Corporation or automatically generated after matching with bid accepted details as received from the Company or the Registrar to the Buyback. Post receiving the IDT message from target depository, source Depository will cancel/release excess or unaccepted blocked shares in the demat account of the Eligible Shareholder. Post completion of tendering period and receiving the requisite details viz., demat account details and accepted bid quantity, source depository shall debit the securities as per the communication/message received from target depository to the extent of accepted bid shares from Eligible Shareholder's demat account and credit it to the Clearing Corporation settlement account in target Depository on settlement date.

12.5 In relation to the Equity Shares in physical form: a) If Equity Shares in physical form tendered by Eligible Shareholders are not accepted, the share certificate would be returned to such Eligible Shareholders by registered post or by ordinary post or courier at the Eligible Shareholders' sole risk. The Company also encourages Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form to dematerialize their such Equity Shares. b) If however, only a portion of the Equity Shares in physical form held by an Eligible Shareholder is accepted in the Buyback, then the Company is authorized to split the share certificate and issue a Letter of Confirmation ("LOC") in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 with respect to the new consolidated share certificate for the unaccepted Equity Shares tendered in the Buyback. The LOC shall be dispatched to the address registered with the Registrar and Transfer Agent of the Company ("RTA"). The RTA shall retain the original share certificate and deface the certificate with a stamp "Letter of Confirmation Issued" on the face/ reverse of the certificate to the extent of the excess Equity Shares. The LOC shall be valid for a period of 120 days from the date of its issuance, within which the Equity Shareholder shall be required to make a request to their depository participant for dematerializing the Equity Shares in physical form. In case the Equity Shareholder fails to submit the demat request within the aforementioned period, the RTA shall credit the Equity Shares to a separate demat account of the Company opened for the said purpose.

12.6 In case of certain client types viz. NRI, foreign clients etc. (where there are specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out) who do not opt to settle through custodians, the funds pay-out would be given to their respective Selling Member's settlement accounts for releasing the same to the respective Eligible Shareholder's account. For this purpose, the client type details would be collected from the depositories, whereas funds payout pertaining to the bids settled through custodians will be transferred to the settlement bank account of the custodian, each in accordance with the applicable mechanism prescribed by BSE and the Clearing Corporation from time to time.

12.7 Details in respect of shareholder's entitlement for Tender Offer process will be provided to the Clearing Corporation by the Company or Registrar to the Buyback. On receipt of the same, Clearing Corporation will cancel the excess or unaccepted blocked shares in the demat account of the shareholder. On settlement date, all blocked shares mentioned in the accepted bid will be transferred to the Clearing Corporation.

12.8 In the case of inter depository, Clearing Corporation will cancel the excess or unaccepted shares in target depository. Source depository will not be able to release the lien without a release of IDT message from target depository. Further, release of IDT message shall be sent by target depository either based on cancellation request received from Clearing Corporation or automatically generated after matching with bid accepted detail as received from the Company or the Registrar to the Buyback. Post receiving the IDT message from target depository, source Depository will cancel/ release excess or unaccepted block shares in the demat account of the shareholder. Post completion of tendering period and receiving the requisite details viz., demat account details and accepted bid quantity, source depository shall debit the securities as per the communication/ message received from target depository to the extent of accepted bid shares from shareholder's demat account and credit it to Clearing Corporation settlement account in target depository on settlement date.

12.9 The Equity Shares bought back in dematerialized form would be transferred directly to the demat escrow account of the Company opened for the Buyback ("Company Demat Escrow Account") provided it is indicated by the Company's Broker or it will be transferred by the Company's Broker to the Company Demat Escrow Account on receipt of the Equity Shares from the clearing and settlement mechanism of BSE.

12.10 Eligible Shareholders who intend to participate in the Buyback should consult their respective Seller Member(s) for details of any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) etc., that may be levied by the Seller Member(s) upon the selling shareholders for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Buyback consideration received by the Eligible Shareholders in respect of accepted Equity Shares could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) and the Manager to the Buyback and Company accepts no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the Eligible Shareholders.

12.11 The Seller Member(s) would issue contract note and pay the consideration for the Equity Shares accepted under the Buyback and return the balance unaccepted Equity Shares to their respective clients/ will unblock the excess unaccepted Equity Shares. The Company's Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buyback.

12.12 The Equity Shares accepted, bought and lying to the credit of the Company Demat Escrow Account and the Equity Shares bought back and accepted in physical form will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the Buyback Regulations.

13. COMPLIANCE OFFICER

Investors may contact the Company Secretary of the Company for any clarifications or to address their grievances, if any, during office hours i.e., from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

Name: Mr. Pawan Kumar Kumawat
Designation: Company Secretary
Mayur Uniquoters Limited
Village Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Jaipur, Rajasthan, 303704
Telephone: 01423-224001
Email: secr@mayur.biz | **Website**: www.mayuruniquoters.com

14. INVESTOR SERVICE CENTRE & REGISTRAR TO THE BUY-BACK

In case of any queries, shareholders may also contact the Registrar to the Buy-back or the Investor Relations team of the Company, during office hours i.e., from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

REGISTRAR TO THE BUY-BACK:

BEETAL

Beetal Financial & Computer Services Private Limited
Beetal House, 3rd, 99, Madangir,
Behind LSC, Near Dada Sukh Das Mandir, New Delhi-110062
Tel: 011 - 29961281-83 | **Fax No.**: 011 - 29961284
Contact person: Mr. Punit Mittal
Email: beetal@beetalfinancial.com
Website: www.beetalfinancial.com
SEBI Registration Number: INR000000262 | Validity: **Permanent**
Corporate Identification Number: U67120DL1993PTC052486

15. MANAGER TO THE BUY-BACK

D&A

D AND A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED
13, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi - 110065.
Tel nos.: 011-41326121/ 40167038;
Email: investors@dnafinserv.com
Contact Person: Ms. Radhika Pushkarna / Mr. Amitkumar Gattani
SEBI Registration No. INM000011484| Validity: Permanent
CIN: U74899DL1981PTC012709

16. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Mayur Uniquoters Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Suresh Kumar Poddar	**Arun Kumar Bagaria**	**Pawan Kumar Kumawat**
Chairman and Managing Director & CEO	Whole Time Director	Company Secretary and Compliance Officer
DIN: 00022395	DIN: 00373862	M. No: ACS25377

Place : Jaipur
Date : August 09, 2024

शरद पवार ने उठाए प्रधानमंत्री मोदी के दावे पर सवाल, कहा

किसानों की आत्महत्या के मामले भाजपा शासन में बढ़े

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन पर रविवार को कटाक्ष करते हुए दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में किसानों के आत्महत्या करने के मामले दोगुने हुए हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता पवार ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बार्शी कस्बे में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है और वे कर्ज में डूब गए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय किसानों के आत्महत्या करने के मामले दोगुने हो गए हैं। राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख ने कहा कि समय की मांग है कि राज्य में सरकार बदली जाए और ऐसी सरकार स्थापित की जाए जो किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों की रक्षा करे।

पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकारों ने किसानों की मुश्किलें कम करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपनी सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया है। आप देखेंगे कि युवा रोजगार की कमी के कारण परेशान हैं। हमें सरकार बदलनी होगी। पवार ने कहा कि भाजपा अपने नारे '400 पार' के बावजूद लोकसभा चुनाव में 300 सीटें भी नहीं जीत सकी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार की पार्टियों की मदद से वह सरकार बना सकती है। समय की मांग है कि किसानों पर कर्ज का बोझ कम किया जाए, इसलिए कर्ज माफ किया जाना चाहिए।

राकांपा महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बार्शी कस्बे में एक रैली को संबोधित करते हुए राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख ने कहा कि समय की मांग है कि राज्य में सरकार बदली जाए और ऐसी सरकार स्थापित की जाए जो किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों की रक्षा करे। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा की सरकारों ने किसानों की मुश्किलें कम करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपनी सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया है।

जयपुर : कार और ट्रक की टक्कर में तीन युवकों की मौत

जयपुर, 11 अगस्त (भाषा)।

राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक ट्रक और कार की टक्कर में कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई।

थानाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि महल रोड पर एनआरआइ चौराहे के पास तेज गति से आ रही एक कार 'यू-टर्न' ले रहे ट्रक से टकरा गई, जिससे कार में सवार अमीश वाधवा (19), वेदांत अहलूवालिया (19) और विकास (20) की मौत हो गई। वेदांत लंदन के एक कालेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियां मनाने के लिए जयपुर आया था, जबकि अमीश जयपुर के एक निजी कालेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम का छात्र था।

पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एनबीसीसी प्लाजा, टॉवर II, चतुर्थ तल, पुष्प विहार, सेक्टर–5, नई दिल्ली–110017
सीआईएन : L45201DL1999PLC195937, ईमेल : complianceofficer@pncinfratech.com, वेबसाइट: www.pncinfratech.com

रु. लाख में (ईपीएस छोड़कर)

30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का सारांश

क्र. सं.	विवरण	स्टैण्डएलॉन				समेकित			
		समाप्त तिमाही (30.06.2024)	समाप्त तिमाही (31.03.2024)	समाप्त तिमाही (30.06.2023)	समाप्त वर्ष (31.03.2024)	समाप्त तिमाही (30.06.2024)	समाप्त तिमाही (31.03.2024)	समाप्त तिमाही (30.06.2023)	समाप्त वर्ष (31.03.2024)
		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	परिचालनों से कुल आय	1,75,304.50	2,35,202.67	1,86,920.02	7,72,695.81	2,19,782.09	2,62,415.15	2,11,171.90	8,73,138.16
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	56,674.69	53,512.33	21,152.46	1,13,607.19	76,800.78	53,290.32	26,177.32	1,24,874.29
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	56,674.69	53,512.33	21,152.46	1,13,607.19	76,800.78	53,290.32	26,177.32	1,24,874.29
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	42,108.63	40,234.03	15,658.86	84,979.00	57,516.74	39,589.39	18,062.17	90,942.07
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	42,178.35	40,310.25	15,726.41	85,257.87	57,595.88	39,694.60	18,150.40	91,259.76
6	समता अंश पूंजी	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में निदर्शितानुसार	-	-	-	4,73,000.58	-	-	-	5,13,351.17
8	आय प्रति अंश (रु. 2/- प्रत्येक का) (परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों के लिए)- 1. मूलभूत : 2. तरलीकृत :	16.41	15.68	6.10	33.13	22.42	15.43	7.04	35.45
		(अवार्षिकीकृत)	(अवार्षिकीकृत)	(अवार्षिकीकृत)	(वार्षिकीकृत)	(अवार्षिकीकृत)	(अवार्षिकीकृत)	(अवार्षिकीकृत)	(वार्षिकीकृत)

टिप्पणियाँ :
1. उपरोक्त सारांश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक वित्तीय परिणामा. के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् (www.bseindia.com, www.nseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट अर्थात् (www.pncinfratech.com) पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त एकल / समेकित परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गयी है और निदेशक मंडल द्वारा 10 अगस्त 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया गया था।

कृते पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड
हस्ता./-
चक्रेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 00086768)

स्थान : आगरा
दिनांक : 10 अगस्त, 2024

नहीं रहे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

लंबे समय से बीमार पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का शनिवार देर रात निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। एक पारिवारिक सूत्र ने बताया कि नटवर सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां वे पिछले कुछ हफ्तों से भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नटवर सिंह के निधन पर शोक जताया और कूटनीति व विदेश नीति में उनके योगदान की सराहना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारत की कूटनीति और विदेश मामलों में नटवर सिंह के योगदान की सराहना की।

सूत्र ने बताया कि नटवर सिंह का शनिवार देर रात निधन हो गया। पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद नटवर सिंह का जन्म 1931 में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। वह 2004-05 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व यूपीए सरकार में विदेश मंत्री थे। उन्होंने पाकिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवाएं दी थीं और 1966 से 1971 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से जुड़े हुए थे। नटवर सिंह को राष्ट्र के प्रति सेवा के लिए 1984 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था।

उन्होंने विदेश मामलों सहित अन्य विषयों पर कई चर्चित किताबें भी लिखीं, जिनमें 'द लिगेसी आफ नेहरू : अ मेमोरियल ट्रिब्यूट' और 'माई चाइना डायरी 1956-88' शामिल हैं। उनकी आत्मकथा 'वन लाइफ इज नाट इनफ' भी काफी सुर्खियों में रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि नटवर सिंह के निधन से दुखी हूं। उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में समृद्ध योगदान दिया। वे अपनी बुद्धिमत्ता के साथ-साथ बेहतरीन लेखन के लिए भी जाने जाते थे। 'कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह के निधन पर हमारी गहरी संवेदनाएं। बुद्धिजीवी और पद्मभूषण से सम्मानित व्यक्ति जिन्होंने भारत की कूटनीति और विदेशी मामलों में गहरा योगदान दिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पूर्ण और विविधतापूर्ण समृद्ध जीवन जीने के बाद उनका निधन हो गया। वे वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इतिहास पर अपनी छाप छोड़ गए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन का समाचार दुखद है। ईश्वर उनके परिजनों को यह क्षति सहने की शक्ति दें और दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें।

मराठा आंदोलनकारियों ने शरद पवार का काफिला रोका, जरांगे के समर्थन में नारे लगाए

सोलापुर, 11 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता शरद पवार को रविवार को अलग-अलग जगहों पर मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों ने सोलापुर जिले में उनके वाहन को रोककर नारेबाजी की जबकि बर्शी कस्बे में रैली को संबोधित करते समय काले झंडे दिखाए।

टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित वीडियो में देखा जा सकता है कि 'मराठा आरक्षण' के नारे लगाते हुए लोगों के एक समूह ने कुर्दुवाड़ी गांव के पास पवार की कार रोककर उनसे आरक्षण के मुद्दे पर रुख स्पष्ट करने को कहा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पवार को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं कह रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने पवार से पूछा कि आप लंबे समय से मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर अपना रुख सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बताते? इसके कुछ घंटे बाद कुछ युवक बार्शी कस्बे में पवार के रैली स्थल पर पहुंचे और आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के समर्थन में नारे लगाए।

This is only an advertisement for information purpose and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized term used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of offer dated 10th June 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchange and namely BSE Limited ("BSE") ("Stock Exchange") and the securities and Exchange Board of India ("SEBI")

SPRIGHT AGRO LIMITED

Registered Office: Office No 1216, Ship Epitom Rajpath, Rangoli Road, Off Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, Ahmedabad-380054, Gujarat, India • Contact Number: 98254 34390
Contact Person: Kanika Kumar, Company Secretary & Compliace Officer • E-mail Address: kansalliberltd@gmail.com Website: www.sprightagro.com • Corporate Identity Number: L01100GJ1994PLC117990

OUR COMPANY IS A PROFESSIONALLY MANAGED COMPANY AND DOES NOT HAVE AN IDENTIFIABLE PROMOTER

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SPRIGHT AGRO LIMITED

ISSUE DETAILS, LISTING AND PROCEDURE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 3,34,84,611 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1.00/- (RUPEES ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹13.40 (RUPEES THIRTEEN AND FORTY PAISA ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹12.40 (RUPEES TWELVE AND FORTY PAISA ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4486.94 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 15 (FIFTEEN) FULLY PAID UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON 7th JUNE, 2024 (THE 'ISSUE'). FOR FURTHER DETAILS, SEE 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 151.. THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 13.40 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.
*assuming full subscription.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company would like to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Monday, June 24, 2024, and closed on Tuesday, July 23, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, July 16, 2024. On gross basis the Issue was subscribed to the extent of 1.16 times before technical and partial rejection & withdrawal. Out of the total 3089 Applications for 38727850 Rights Equity Shares, 973 Applications for 4979094 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 2116 for 33748756 Rights Equity Shares. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalized on July 29, 2024, by the Company in consultation with BSE Limited ("BSE") and the Registrar to the Issue. The Board of Directors of the Company has, at its meeting held on July 29, 2024, approved the allotment of 3,34,84,611 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment.

1.The Breakup of valid application received through ASBA (after technical rejections) is given Below:

Category	Applications Received		Equity Share Applied For			Equity Share Allotted		
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Eligible Equity Shareholders	441	20.84	57,93,479	7,76,32,618.60	17.17	57,93,479	7,76,32,618.60	17.30
Renouncees	1,675	79.16	2,79,55,277	37,46,00,711.80	82.83	2,76,91,132	37,10,61,168.80	82.70
Total	**2,116**	**100.00**	**3,37,48,756**	**45,22,33,330.40**	**100.00**	**3,34,84,611**	**44,86,93,787.40**	**100.00**

2. Basis of Allotment :

Category	No. of Application	No. of Equity Applied for	No. of Equity Shares allotted under Rights Entitlement (A)	No. of additional Equity Shares allotted (B)	Total Shares (A+B)
Eligible Equity Shareholders	441	57,93,479	32,07,084	25,86,395	57,93,479
Renouncees	1,675	2,79,55,277	1,58,66,405	1,18,24,727	2,76,91,132
Total	**2,116**	**3,37,48,756**	**1,90,73,489**	**1,44,11,122**	**3,34,84,611**

Intimations for Allotment / refund/ rejection cases : The dispatch of allotment advice cum refund intimation and question for rejection, as applicable, to the Investors have been completed on August 9, 2024. The instructions to Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on July, 29, 2024. The Listing application was executed with BSE on August 07, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of allottees has been completed on August 8, 2024. No physical shares were rendered in the Rights Issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted/to be granted by BSE, the Rights Equity Shares Allotted in the issue is expected to commence trading on BSE on or about August 13, 2024, In accordance with the SEBI circular bearing reference SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of rights entitlement is expected to be completed on or about August 14, 2024.

INVESTORS MAYPLEASE NOTE THAT THE EQUITYSHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMR CLAUSE OF SEBI: Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 139 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange) : It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 140 of the LOF.

COMPANY DETAILS

SPRIGHT AGRO LIMITED
Registered Office: Office No 1216, Ship Epitom Rajpath, Rangoli Road Off Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, Ahmedabad-380054, Gujarat, India • Contact Number: +91 98254 34390
Contact Person: Kanika Kumar, Company Secretary & Compliace Officer
E-mail Address: kansalliberltd@gmail.com Website: www.sprightagro.com
Corporate Identity Number: L01100GJ1994PLC117990

REGISTRAR TO THE ISSUE

Skyline Financial Services Pvt. Ltd.
D-153A, First Floor,Okhla Industrial Area, Phase1, Delhi-110020 Contact Number : 011-40450193-197
Investor grievance e-mail: grievances@skylinerta.com • Website: https: www.skylinerta.com • Contact Person: Anuj Rana
SEBI Registration Number: INR000003241 • Corporate Identification Number: U74899DL1995PTC071324

Investors may contact the Registrar to the Issue, or our Company Secretary, or our Compliance Officer for any Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail ID of the sole / first holder, folio number or demat account number, serial number of the Application Form, number of the Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, see 'Terms of the Issue' on page 151 of the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Place : Ahmedabad
Date : August 12, 2024

On behalf of Board of Directors,
For, **Spright Agro Limited,**
Sd/- **Akshaykumar N. Patel** - Managing Director

Spright Agro Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a right issue of its Equity Shares and has in this regard filed a Letter of Offer dated 10th June, 2024 with Company at www.sprightagro.com, the Registrar at www.skylinerta.com the Stock Exchange. The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any state securities laws in the United States, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in a transaction exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold in 'offshore transactions' outside the United States in compliance with Regulation under the U.S. Securities Act to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.

बांग्लादेश : अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार ने कहा

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सर्वोच्च प्राथमिकता

ढाका, 11 अगस्त (भाषा)।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बैंकों में लोगों का भरोसा बहाल करने की है। अंतरिम सरकार के वित्त और योजना सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने यह बात कही। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर अहमद को वित्त और योजना मंत्रालयों का प्रभार सौंपा है। यूनुस ने शुक्रवार को अपने 16 सदस्यीय सलाहकार परिषद के विभागों की घोषणा की थी। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन पांच अगस्त को किया गया था। अहमद ने वित्त एवं योजना सलाहकार का पदभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को पत्रकारों से कहा कि सरकार की प्राथमिकता केंद्रीय बैंक के संचालन को फिर से शुरू करते हुए बैंकों में आम लोगों का भरोसा बहाल करने की है। सरकारी समाचार एजंसी बांग्लादेश संगबाद संस्था (बीएसएस) ने अहमद के हवाले से कहा, उसके बाद हम सुधार लाने पर काम करेंगे... विभिन्न कारणों से देश की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई है। हमारा लक्ष्य अर्थव्यवस्था में जल्द से जल्द नई जान डालने पर होगा। एक बार अर्थव्यवस्था ठप हो जाए तो इसे फिर से शुरू करना काफी मुश्किल हो जाता है। हम नहीं चाहते कि यह थम जाए। ढाका ट्रिब्यून अखबार ने उनके हवाले से कहा, अर्थव्यवस्था में कई तरह की समस्याएं हैं। बैंकिंग क्षेत्र, मुद्रास्फीति और कई अन्य जटिलताओं से जुड़े मुद्दे हैं। हमें सभी मोर्चों पर काम करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समय केवल कानून और व्यवस्था या सुरक्षा उपायों पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि बैंकों को खोलने, बंदरगाहों को चालू रखने पर भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र के बुनियादी संचालन को फिर से शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

> **सरकारी** समाचार एजंसी बांग्लादेश संगबाद संस्था (बीएसएस) ने अहमद के हवाले से कहा, उसके बाद हम सुधार लाने पर काम करेंगे... विभिन्न कारणों से देश की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई है। हमारा लक्ष्य अर्थव्यवस्था में जल्द से जल्द नई जान डालने पर होगा।

> **एक** बार अर्थव्यवस्था ठप हो जाए तो इसे फिर से शुरू करना काफी मुश्किल हो जाता है। हम नहीं चाहते कि यह थम जाए। अर्थव्यवस्था में कई तरह की समस्याएं हैं। बैंकिंग क्षेत्र, मुद्रास्फीति और कई अन्य जटिलताओं से जुड़े मुद्दे हैं। हमें सभी मोर्चों पर काम करना होगा।

शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटा

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

पिछले सप्ताह देश की 10 सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों में से आठ कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में संयुक्त रूप से 1,66,954.07 करोड़ रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) को उठाना पड़ा।

पिछले हफ्ते कमजोर वैश्विक रुझानों के प्रभाव में बीएसई का मानक सूचकांक 1,276.04 अंक यानी 1.57 फीसद की गिरावट पर रहा। इस दौरान देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) का बाजार पूंजीकरण 33,930.56 करोड़ रुपए घटकर 19,94,765.01 करोड़ रुपए रह गया। इस तरह रिलायंस की बीते हफ्ते शीर्ष 10 कंपनियों में से सर्वाधिक नुकसान हुआ। पिछले हफ्ते देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के बाजार मूल्यांकन में भी 30,676.24 करोड़ रुपए की गिरावट आई और यह घटकर 7,17,001.74 करोड़ रुपए रह गया।

> **पिछले** हफ्ते कमजोर वैश्विक रुझानों के प्रभाव में बीएसई का मानक सूचकांक 1,276 .04 अंक यानी 1.57 फीसद की गिरावट पर रहा। इस दौरान देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) का बाजार पूंजीकरण 33,930 .56 करोड़ रुपए घटकर 19,94,765 .01 करोड़ रुपए रह गया।

एलआइसी करेगी 1.30 लाख करोड़ रुपए का निवेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त (ब्यूरो)।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि बीमा कंपनी चालू वित्त वर्ष के दौरान शेयरों में करीब 1.30 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश करने पर विचार कर रही है। एलआईसी ने वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल-जून के दौरान शेयरों में करीब 38,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

'करदाताओं को धमकाने के बजाय मार्गदर्शन का नजरिया अपनाएं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारियों को करदाताओं के साथ बर्ताव करते वक्त 'डराने-धमकाने के बजाय सलाह देने' का नजरिया अपनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जिम्मेदार, उत्तरदायी, पारदर्शी दिखने के लिए नए सिरे से प्रयास करने चाहिए। अग्रवाल ने सुझाव दिया कि भारत में आयकर व्यवस्था के 164 वर्ष पूरे होने पर कर अधिकारियों को 'विवेकपूर्ण' दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रमुख ने हाल ही में मनाए गए 165 वें आयकर दिवस के अवसर पर एक आनलाइन वीडियो संवाद सत्र 'द चेयरमैन स्पीक्स' के जरिए अपने सहकर्मियों से बात के दौरान उन्होंने कहा कि कर विभाग में अहम परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी को अपनाया गया और इससे करदाताओं का आधार भी बढ़ा है। इसका स्वरूप 'प्रवर्तन और विरोधात्मक' विभाग से बदलकर काफी हद तक एक सेवा विभाग के तौर पर बन गया है जो गैर-हस्तक्षेपकारी कर प्रशासन के जरिए कर अनुपालन में सहायता करता है।

अग्रवाल ने कहा कि प्रत्यक्ष कर श्रेणी के तहत राजस्व बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान करीब 65 करोड़ पैन और 8.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं।

> **केंद्रीय** प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रमुख ने हाल ही में मनाए गए 165 वें आयकर दिवस के अवसर पर एक आनलाइन वीडियो संवाद सत्र 'द चेयरमैन स्पीक्स' के जरिए अपने सहकर्मियों से बात के दौरान उन्होंने कहा कि कर विभाग में अहम परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी को अपनाया गया और इससे करदाताओं का आधार भी बढ़ा है।

'सेबी के प्रस्तावित एफएंडओ मानदंडों से एक्सचेंज, ब्रोकर को नुकसान'

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

प्रतिभूति बाजार में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) कारोबार को विनियमित करने के लिए नियामक सेबी के प्रस्तावित उपायों से शेयर बाजारों और ब्रोकरों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक रपट में यह आशंका जताई गई है। हालांकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ये उपाय खुदरा कारोबारियों को नुकसान से बचाने के लिए किए हैं।

एक रपट के मुताबिक, सेबी के इन उपायों से एफएंडओ कारोबार की मात्रा में 30-40 फीसद की गिरावट आएगी। अगर इन उपायों को लागू किया गया तो खुदरा निवेशकों की संख्या में कमी आ सकती है। इसके अलावा छूट देने वाले ब्रोकर, जो खुदरा निवेशकों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, वे पारंपरिक ब्रोकरों की तुलना में अधिक प्रभावित हो सकते हैं। विकल्प वित्तीय अनुबंध होते हैं, जो धारक को अनुबंध अवधि के भीतर किसी परिसंपत्ति को तय मूल्य पर खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। सेबी के इन सात प्रस्तावों में साप्ताहिक विकल्प अनुबंधों को युक्तिसंगत बनाना, परिसंपत्तियों की स्ट्राइक कीमतों को युक्तिसंगत बनाना और अनुबंध समाप्ति के दिन कैलेंडर स्प्रेड लाभों को हटाना शामिल है।

अन्य चार प्रस्तावों में विकल्पों के खरीदारों से विकल्प प्रीमियम का अग्रिम संग्रह, सौदे करने की सीमा की दिन में कारोबार के दौरान निगरानी, लाट आकार में वृद्धि और अनुबंध समाप्ति के निकट मार्जिन आवश्यकताओं में वृद्धि शामिल हैं। जेफरीज की एक रपट के मुताबिक, साप्ताहिक विकल्प अनुबंधों की संख्या को 18 से घटाकर छह करने के सेबी के प्रस्तावित उपायों से उद्योग के प्रीमियम पर लगभग 35 फीसद प्रभाव पड़ सकता है। रपट में कहा गया कि अगर कारोबार बाकी अनुबंधों पर स्थानांतरित होता है तो समग्र प्रभाव 20-25 फीसद तक कम हो सकता है। रपट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 तक एनएसई की आय में 25-30 फीसद की कमी आ सकती है, जबकि बीएसई की आय में 15-18 पीसद की गिरावट आ सकती है। जेफरीज का यह भी मानना है कि बैंकेक्स साप्ताहिक अनुबंध को हटाने से वित्त वर्ष 2025-27 के दौरान बीएसई की प्रति शेयर आय (ईपीएस) पर 7-9 फीसद का असर पड़ सकता है। इसने आगे कहा कि बीएसई की आय में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ट्रेडिंग गतिविधि दूसरे उत्पादों पर चली जाती हैं तो यह प्रभाव कम हो सकता है।

> **एक** रपट में यह आशंका जताई गई है। हालांकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ये उपाय खुदरा कारोबारियों को नुकसान से बचाने के लिए किए हैं। एक रपट के मुताबिक, सेबी के इन उपायों से एफएंडओ कारोबार की मात्रा में 30-40 फीसद की गिरावट आएगी।

तीन वर्ष के भीतर सभी 109 किस्मों के बीज होंगे उपलब्ध

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन किसानों के लिए अहम है क्योंकि 61 फसलों की 109 किस्में जारी की गई हैं। इससे अधिक उत्पादन, अधिक आय और खर्च कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन फसलों के बीज जलवायु के अनुकूल हैं और प्रतिकूल मौसम में भी अच्छी फसल दे सकते हैं और सभी किस्में पोषण से भरपूर हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि तीन वर्षों के भीतर किसानों को सभी 109 किस्मों के बीज प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा विदेशी आम की किस्मों के आयात की फिलहाल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी किस्में अधिक उत्पादक, अधिक मनोहर और बेहतर तरीके से रखने के योग्य हैं।

हिंदुस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : कंचनजंगा, 7वां तल, 18, बाराखंभा मार्ग, नई दिल्ली-110001
सीआईएन : L31300DL1959PLC003141
वेबसाइट : www.hindusthanurban.com, दूरभाष : 011.23310001 (5 लाइन), ई-मेल : investors@hindusthan.co.in

30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में, प्रति अंश आंकड़ा छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समेकित			
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30 जून 2024 (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित	30 जून 2023 (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	14,582.81	16,071.77	10,025.32	52,825.73
2.	अवधि / वर्ष हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व)	(1,090.41)	(1,798.96)	(1,275.15)	(5,512.67)
3.	कर पूर्व अवधि / वर्ष हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक मदों के उपरांत)	(1,090.41)	(1,798.96)	(1,275.15)	(5,512.67)
4.	कर तथा आपवादिक मदों के उपरांत अवधि / वर्ष हेतु निवल लाभ/(हानि)	(801.85)	(904.91)	(906.75)	(3,579.31)
5.	अवधि / वर्ष हेतु कुल व्यापक आय [अवधि / वर्ष हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	(798.73)	(894.33)	(906.12)	(3,566.83)
6.	समता अंश पूंजी	144.29	144.29	144.29	144.29
7.	अन्य समतायें				35,438.23
8.	आय प्रति अंश रु. 10/- प्रत्येक का				
	(क) मूलभूत (रु.)	(36.69)	(37.56)	(40.37)	(153.53)
	(ख) तरलीकृत (रु.)	(36.69)	(37.56)	(40.37)	(153.53)

1 एकल परिणामों का सारॉंश निम्नानुसार है :

विवरण (एकल)	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30 जून 2024 (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित	30 जून 2023 (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित)
कुल आय	6,276.68	7,652.28	4,407.73	24,147.79
कर पूर्व लाभ	(199.60)	(596.99)	(219.42)	(1,048.02)
कुल व्यापक आय	(144.81)	(34.36)	(123.68)	(291.34)

टिप्पणियाँ :
1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी तथा निदेशक मंडल ने 10 अगस्त 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया।
2. उपरोक्त सारॉंश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 30-06-2024 को समाप्त तिमाही के समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारॉंश हैं। समाप्त तिमाही के समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, बांबे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् (www.bseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.hindusthanurban.com) पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते हिंदुस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
हस्ता./-
(दीपक केजरीवाल)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07442554

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10-08-2024

'वृहद-आर्थिक आंकड़े, तिमाही नतीजे तय करेंगे बाजार की दिशा'

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

वृहद-आर्थिक आंकड़े, कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे और वैश्विक रुझान आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार की कारोबारी धारणा को प्रभावित करेंगे। विश्लेषकों ने यह अनुमान जताया है। इसके अलावा, विदेशी निवेशकों की व्यापारिक गतिविधि भी बाजार में गतिविधियों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगी। इस सप्ताह चार दिन ही कारोबार होगा।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को शेयर बाजार बंद रहेंगे। स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट लिमिटेड में वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक प्रवेश गौर ने कहा कि इस सप्ताह सबका ध्यान वैश्विक बाजारों पर रहेगा क्योंकि हम स्थिरता की लंबी अवधि के बाद कमजोरी का असर देख सकते हैं। भारतीय इक्विटी बाजार में भी इस सप्ताह कुछ हद तक स्तर बनाए रखने की स्थिति से जूझ सकते हैं। बाजार के ऊंचे मूल्यांकन के अलावा भू-राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चे पर अप्रैल-जून तिमाही के लिए कंपनियों के वित्तीय नतीजों का अंतिम दौर इस सप्ताह खास शेयरों की दिशा तय करेंगे। इस सप्ताह हीरो मोटोकार्प और हिंडाल्को जैसी कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं।

गौर ने कहा कि संस्थागत प्रवाह भी बाजार की गतिशीलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वोडाफोन आइडिया, एनएमडीसी, आइआरसीटीसी, एसजेवीएन और पीसी ज्वेलर भी सप्ताह के दौरान अपनी तिमाही आय की घोषणा करेंगे।

मौसम चमोली जिले में रविवार को भूस्खलन के बाद राजमार्ग से मलबा हटाते कर्मचारी।

ग्राम पंचायत- नंगली किठौर वि०ख०- माछरा (मेरठ)

पत्रांक-ग्रा०पं०/2024-25 दिनांक- 09/08/2024

अल्पकालीन निविदा/ कुटेशन आमंन्त्रण सूचना

ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त/ 15 वित्त / मनरेगा/ slwm योजनान्तर्गत सरकारी विभागो मे पंजीकृत ठेकेदारो से सीलबन्द निविदाये दिनांक 11/08/24 से दिनांक 17/08/24 को 12 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र 11/08/24 से 17/08/24 को अपरान्ह 12 बजे तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा अधिकृत अधिकारी द्वारा इच्छुक ठेकेदारो की उपस्थिति मे निविदा प्रपत्र दिनांक 17/08/24 को 3 बजे खोली जायेगी। नियमानुसार धरोहर राशि एन०एस०सी०/ एफ०डी०आर० के रूप में जमा करानी होगी। जो ग्राम पंचायत- नंगली किठौर के नाम से बन्धक होगी।

क्र० सं०	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	निविदा मूल्य	धरोहर राशि	कार्य की अवधि
1	5वॉं/15वॉं वित्त	सी०सी०टाईल नवील के मकान से राशीद के मकान तक	285568	150 रू०	2 प्रतिशत	4 माह
2	5वॉं/15वॉं वित्त	सतपाल के मकान से फौजी के मकान तक सी०सी० टाईल कार्य	208642	150 रू०	2 प्रतिशत	4 माह
3	5वॉं/15वॉं वित्त	यू०टाईप नाला किशन सिंह के मकान से तालाब तक	155960	150 रू०	2 प्रतिशत	4 माह
4	5वॉं/15वॉं वित्त	ग्राम के विभिन्न स्थानों पर बैनर निर्माण	150000/BOQ	150 रू०	2 प्रतिशत	4 माह
5	5वॉं/15वॉं वित्त	रूफ टॉप सोलर पॉवर स्थापना	BOQ	150 रू०	2 प्रतिशत	1 माह

नियम व शर्ते-
1. निर्माण सामग्री कार्य लो०नि०वि० एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप होने चाहिये।
2. सम्बन्धित फर्म अथवा ठेकेदार का लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग अथवा जिला पंचायत जैसी संस्था में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
3. इच्छुक पंजीकृत ठेकदार 17.08.2024 तक किसी भी कार्य दिवस मे 12 बजे तक निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। निविदा 01 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में टेन्डर पेटी मे डाली जा सकती है तथा उसी दिन 03 बजे अपरान्ह समिति की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा खोली जायेगी। सम्बन्धित फर्म/ ठेकेदारो की निविदाये खोले जाने से पूर्व प्राक्कलन/BOQ धनराशि की दो प्रतिशत धनराशि नगद अथवा प्रतिभूति धरोहर राशि के रूप मे जमा करनी होगी।
4. प्राप्त निविदाओ की समीक्षा उपरान्त सबसे कम दरो वाली निविदा की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। तथा कार्य की माप घट व बढ़ सकती है।
5. कुटेशन/ निविदायें को निरस्त करने का अधिकार पूर्ण रूप से अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
6. अन्य नियम व शर्ते लागू। जो कार्यालय ग्राम पंचायत नंगली किठौर से कार्य दिवस मे प्राप्त कर सकते है।

ग्राम प्रधान
ग्रा०पं०- नंगली किठौर
वि०ख०-माछरा (मेरठ)

ग्राम सचिव
ग्रा०पं०- नंगली किठौर
वि०ख०- माछरा (मेरठ)

अध्ययन पिंडवाड़ा के सफल प्रयोग से आई पोषण में उन्नति

ग्रामीण भारत में समुदाय नेतृत्व से हुआ सुधार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

भारत ग्रामीण इलाकों में समुदाय-नेतृत्व वाली पोषण पहल से आहार विविधता को बढ़ावा मिल सकता है। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। राजस्थान के पिंडवाड़ा गांव में स्थानीय महिलाओं के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर की गई पहल ने पोषण के प्रति समुदाय के दृष्टिकोण को बदल दिया है। स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं ने अपने परिवारों के लिए विविध और पौष्टिक भोजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किचन गार्डन की खेती शुरू की है।

अब इन बगीचों में विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां मिलती हैं, जो संतुलित आहार में योगदान देते हैं। इस व्यवस्था ने बाजार से खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर समुदाय की (महिलाओं की) निर्भरता को कम किया है, जो अकसर कम पौष्टिक होते हैं। इस पहल ने न केवल स्वास्थ्य में सुधार किया है, बल्कि महिलाओं को अपने परिवार के पोषण पर नियंत्रण देकर उन्हें सशक्त भी बनाया है।

इसी तरह, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, स्थानीय समुदाय के नेताओं के सामूहिक प्रयास ने पारंपरिक कृषि पद्धतियों को पुनर्जीवित किया है। समुदाय ने मोटे अनाजों (श्रीअन्न) एवं दालों जैसी देशी फसलों की खेती फिर से शुरू की है, जो बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल है और इनकी खेती के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है।

ये फसलें आवश्यक पोषक तत्त्वों से भरपूर हैं और ऐतिहासिक रूप से स्थानीय आहार का हिस्सा रही हैं। समुदाय के प्रयासों ने न केवल इन पारंपरिक खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया है, बल्कि आबादी, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार भी किया है। समुदाय द्वारा की गई ये पहल ग्रामीण भारत में आहार विविधता पर हाल ही में किए गए एक अध्ययन में देखे गए व्यापक पैटर्न का हिस्सा हैं। यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी संगठन विटामिन एंजेल्स इंडिया द्वारा कई राज्यों में किए गए गुणात्मक अध्ययन में पाया गया कि मजबूत स्थानीय नेतृत्व और जमीनी स्तर की पहल वाले समुदायों ने आहार विविधता एवं पोषण परिणामों में महत्त्वपूर्ण सुधार किया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 0-5 वर्ष की आयु के लगभग 17 फीसद बच्चे कम वजन के हैं, जबकि 36 फीसद बच्चों का कद छोटा है, और छह फीसद बच्चे कमजोर (अपनी ऊंचाई के हिसाब से बहुत पतले, जो गंभीर कुपोषण का संकेत है) हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों में बौनापन, कमजोरी और कम वजन कुपोषण के प्रमुख संकेतक हैं।

> **कई** राज्यों में किए गए गुणात्मक अध्ययन में पाया गया कि मजबूत स्थानीय नेतृत्व और जमीनी स्तर की पहल वाले समुदायों ने आहार विविधता एवं पोषण परिणामों में महत्त्वपूर्ण सुधार किया है।

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 (1) और (2) के तहत, 2016)

श्रीमती साधना अग्रवाल, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की देनदार/व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्रीमती साधना अग्रवाल
2.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का पता	निवासी– 1 संगम एस्टेट, अंडर हिल रोड, परमानंद अस्पताल के पास, सिविल लाइंस, दिल्ली– 110 054; **यहां भी:** 10–डी, अंडर हिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली– 110054
3.	कॉर्पोरेट देनदार के देनदारों/व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में आदेश का विवरण और दिवालियापन प्रारंभ तिथि	सी.पी. संख्या (आई.बी.)–913(पी.बी.)/2022, आदेश दिनांक 06.08.2024 (प्रतिलिपि 09.08.2024 को प्राप्त हुई)
4.	समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	**मनोहर लाल विज** पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269 एएफए वैधः 30.10.2024 तक
5.	समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	8/28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, **ईमेल**: mlvij1956@gmail.com
6.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार में उपयोग के लिए पता और ई-मेल	एवीएम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी 8/28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, **ईमेल**: pg.sunstar@gmail.com
7.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	02 सितंबर 2024
8.	प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दायर किया जाना है	"प्रपत्र–बी" **वेब लिंक:** https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रधान पीठ, ने सीपी संख्या (आईबी)–913(पीबी)/2022 (आदेश की प्रति 09 अगस्त 2024 को प्राप्त) में अपने आदेश दिनांक 06 अगस्त 2024 के माध्यम से, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड के **देनदार/व्यक्तिगत गारंटर श्रीमती साधना अग्रवाल** के दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

श्रीमती साधना अग्रवाल के लेनदारों को इसके द्वारा **02 सितंबर 2024** को या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे प्रविष्टि संख्या 6 में उल्लिखित पते पर समाधान प्रोफेशनल के पास प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

लेनदार इलेक्ट्रॉनिक साधनों से या व्यक्तिगत तरीके से प्रमाण के साथ, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे।

हस्ता/–
मनोहर लाल विज

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

दिनांक : 12.08.2024 — पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269
स्थान : नई दिल्ली — श्रीमती साधना अग्रवाल, पीजी टू सीडी, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266,
शाखा कार्यालय : उपर तल, जीएस–ट्रेड, सेंटर, 534–536, नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर–302021

परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 का नियम 8(1) देखें)
अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि,

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय पता है : तृतीय तल, जीएस–ट्रेड, सेंटर, 534–536, नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर–302021, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 15–09–2022 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं नामतः श्री राजेश महेश्वरी, श्रीमती ज्योति महेश्वरी, मैसर्स विनायक मिनरल्स, स्वामी के माध्यम से, को सूचना में अंकित राशि रु. 84,54,100/– (रुपये चौरासी लाख चौव्वन हजार एक सौ मात्र) का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्तागण उपर्युक्त अंकितानुसार बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 10 अगस्त 2024 को, भौतिक अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 84,54,100/– (रुपये चौरासी लाख चौव्वन हजार एक सौ मात्र) तथा उस राशि तथा राशि पर नियत ब्याज एवं शुल्कों हेतु आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश : "मकान सं. 1/145, ब्लॉक नं.–1, जो कि प्रताप नगर, उदयपुर, राजस्थान–313001 में स्थित है",
जो निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– मकान सं. 1/246, पश्चिम– मकान सं. 1/244, उत्तर– 30 फुट सड़क, दक्षिण– मकान सं. 1/254

स्थान : उदयपुर — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 10–08–2024 — (आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड)

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Dr. Jasveer singh
JMIC Ludhiana — Next Date: 12-09-2024
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
COMA/98346/2022 — U/s 138 of N.I ACT
publication notice for proclamation under section 82 CRPC — Police Station: division no: 03Ldh
Chandan Kumar — Vs
M/s Shah Enterprises & others
CNR NO. PBLD03-098361-2021
Notice To: 1. M/s Shah Enterprises, Mohalla Khumran, Panani Chungi-1, Chakrota Road, Saharanpur 247001 (UP) Through its Proprietor Shahrukh 2. Sh. Shahrukh S/o Sh. Chand Mohammad Proprietor Of M/s Shah Enterprises, mohalla khumran, panani chungi-1, chakrota road, saharanpur 247001 (UP) mobile no 96373-50250
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named can't be served in the ordinary way of service, hence this proclamation under section 82 crpc is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 12-09-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and the seal of the court, for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

शमकेन मल्टीफैब लिमिटेड (परिसमापन में)

सार्वजनिक सूचना

खसरा संख्या 319, जी.टी. रोड, गांव कोटवान, तहसील चट्टा, मथुरा, उत्तर प्रदेश वाले प्लॉट के बारे में जानकारी मांगी गई है।

अधोहस्ताक्षरी, माननीय एन.सी.एल.टी., इलाहाबाद द्वारा **दिनांक 01.06.2023** के आदेश के अनुसार नियुक्त **शमकेन मल्टीफैब लिमिटेड** के मामले में परिसमापक होने के नाते, उनकी जानकारी में एक अतिरिक्त संपत्ति अर्थात, **"खसरा संख्या 319, जी.टी. रोड, गांव कोटवान, तहसील चट्टा, मथुरा, उत्तर प्रदेश (8,490 वर्ग मीटर) में भूमि" पाई गई है।**

उपर्युक्त संपत्ति के स्वामित्व/शीर्षक के बारे में किसी भी जानकारी/आपत्ति या प्रासंगिक दस्तावेजों को आमंत्रित करने के लिए जनता को नोटिस दिया जाता है। कृपया 19–08–2024 से पहले संपर्क करें, अन्यथा संपत्ति को लागू कानून के अनुसार नीलाम कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

हस्ता/–
संजय गुप्ता, परिसमापक
आईपी पंजीकृत संख्या IBBI/IPA-001/IP-P00117/2017-2018/10252
संपर्कः वसीम/राज कुमारः +91–8800865284
assetsale1@aaainsolvency.in, shamkenmultifab.cirp@gmail.com

दिनांकः 11–08–2024
स्थानः नई दिल्ली

indianexpress.com

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः नंबर 167–169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई – 600015
Email: auction@hindujahousingfinance.com
शाखा कार्यालय : ए.के. टावर, दूसरी मंजिल, 56, सुभाष रोड, मित्तल डायग्नोस्टिक के सामने, देहरादून–248001

आरएलएम– पुष्कर अवस्थी– 9453043399, आरएलएम– ब्रजेश अवस्थी– 9918301885, सीआरएम– जनेश्वर प्रसाद– 9917778324, सीएलएम– अंशिका राणा– 8755056111

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत सूचना

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से नीचे उल्लिखित कर्जदारों/गारंटरों द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में, जो नीचे उल्लिखित तारीखों पर बकाया राशि के साथ एनपीए बन गए हैं। हमने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित विस्तृत मांग नोटिस पहले ही पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा आपके बकाया देयता को पावती के साथ जारी कर दिया है, जिसे बिना डिलीवर किए वापस कर दिया गया है/पावती प्राप्त नहीं हुई। हमने 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने की आपकी शर्त के मामले में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों पर कब्जा करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। ऊपर बताए अनुसार आपके दायित्व का निर्वहन नहीं करने की स्थिति में, बैंक/प्रतिभूत लेनदार सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है और कब्जे की सूचना/नीलामी सूचना, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा विधि से आवश्यकतानुसार प्रकाशित करते समय सरफैसी अधिनियम के तहत, बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता आपकी तस्वीर भी प्रकाशित कर सकता है। विवरण यहां दिया गया है–

क्र. सं.	कर्जदारों/सह–कर्जदारों/गारंटरों का नाम तथा एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि	प्रतिभूत आस्तियों का विवरण
1.	**श्री सचिन कुमार, श्री टीना सचिन,** सभी निवासी : शिवपुरम गली नंबर 1 पनियाला रोड दुर्गा माता मंदिर के पास रुड़की, रुड़की, सेमीअर्बन, रुड़की, उत्तराखंड, भारत– 247667 **खाता सं. DL/RUK/ROKE/A000000073** ऋण खाते 06.05.2024 को एनपीए की रूप में वर्गीकृत किये गये	मांग सूचना की तिथि 24.06.2024 बकाया राशि रु. 13,08,387/– तिथि 28.05.2024 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	भूमि के भूखंड पर निर्मित एक मकान, पूर्व में 12 फीट, पश्चिम में 12 फीट, उत्तर में 42 फीट और दक्षिण में 42 फीट कुल क्षेत्रफल 504 वर्ग फीट या 46.84 वर्ग मीटर और कवर्ड एरिया 800 वर्ग फीट, खसरा नंबर 211 मिन के हिस्से से संबंधित, ग्राम शाहपुर साल्हापुर परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार– 247667 में स्थित है। सीमाएंः पूर्वः सरकारी नाली 1 मीटर चौड़ी, पश्चिमः रास्ता 16 फीट चौड़ा उत्तरः श्रीमती सुधा मंडोलो का प्लॉट, दक्षिणः श्रीमती प्रियंका की शेष संपत्ति
2.	**श्री अनिल कुमार, श्रीमती सुनीता अनिल कुमार,** सभी निवासी : गली नंबर/4 कृष्णा नगर रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड 247667, रुड़की, सेमीअर्बन, रुड़की, उत्तराखंड, भारत–247667 **खाता सं. DL/RUK/ROKE/A000000109** ऋण खाते 06.05.2024 को एनपीए की रूप में वर्गीकृत किये गये	मांग सूचना की तिथि 24.06.2024 बकाया राशि रु. 15,53,369/– तिथि 28.05.2024 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	भूमि के भूखंड पर निर्मित एक मकान, पूर्व में 36 फीट पश्चिम में 36 फीट उत्तर में 21 फीट दक्षिण में 21 फीट कुल क्षेत्रफल 756 वर्ग फीट या 70.26 वर्ग मीटर 4, मोहल्ला कृष्णानगर, ग्राम सलेमपुर राजपुतान (वर्तमान में नगर निगम रुड़की की सीमा के भीतर) परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार– 247667 सीमाएंः पूर्वः सुधीर सैनी का मकान, पश्चिमः शर्मा जी का मकान उत्तरः रास्ता 12 फीट, दक्षिणः अज्ञात की जमीन
3.	**श्री नीतीश कुमार शांडिल्य, श्री प्रीति शर्मा पत्नी–नीतीश कुमार,** श्री आनंद नकली पुत्र– नकली सभी निवासी : पुत्र– आनंद, कृष्णा नगर गली नंबर–12 सलेमपुर राजपूतान वर्तमान नगर निगम तहसील रूड़की जिला हरिद्वार, रूड़क ईई, सेमीअर्बन, रूड़की, उत्तराखंड, भारत–247656 **खाता सं. DL/RUK/ROKE/A000000233** ऋण खाते 06.05.2024 को एनपीए की रूप में वर्गीकृत किये गये	मांग सूचना की तिथि 24.06.2024 बकाया राशि रु. 17,67,065/– तिथि 28.05.2024 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	पूर्व में 15 फीट, पश्चिम में 15 फीट उत्तर में 34 फीट और दक्षिण में 34 फीट की माप वाली जमीन पर एक मकान बना है, कुल क्षेत्रफल 510 वर्ग फीट या 47.39 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1522 के हिस्से से संबंधित, मोहल्ला कृष्णा नगर गली नंबर में स्थित है। 12 गांव सलेमपुर राजपुतान (नगर निगम रुड़की की सीमा में) परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार– 247667 सीमाएंः पूर्वः रास्ता 15 फीट चौड़ा, पश्चिमः आदेश का मकान उत्तरः कपिल पाल की संपत्ति, दक्षिणः मोहित कुमार का मकान
4.	**श्री इंतेजार मकसूद, श्रीमती गुलफशा आबिद,** सभी निवासी : फरखपुर निवाड़ा सहारनपुर, सहारनपुर, सेमीअर्बन, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत – 247120 **खाता सं. DL/RUK/ROKE/A000000287** ऋण खाते 06.05.2024 को एनपीए की रूप में वर्गीकृत किये गये	मांग सूचना की तिथि 24.06.2024 बकाया राशि रु. 14,36,848/– तिथि 28.05.2024 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	एक आवासीय प्लॉट संख्या–9, भूमि का कुल क्षेत्रफल 251 वर्ग गज या 209.94 वर्ग मीटर, जिसका माप पूर्व में–57 फीट 3 इंच, पश्चिम में–57 फीट 3 इंच, उत्तर–39 फीट 6 इंच, दक्षिण–39 फीट 6 इंच, खसरा संख्या–395 का भाग, गांव– काजीपुरा, नवादा रोड, शिवपुरी स्वाद बैरून, परगना, तहसील एवं जिला सहारनपुर– 247001 में स्थित है। सीमाएंः पूर्वः किसी अन्य व्यक्ति का प्लॉट संख्या 10, पश्चिमः प्लॉट संख्या 8 सुरेश कुमार उत्तरः अन्य व्यक्ति की संपत्ति, दक्षिणः रास्ता 20 फीट चौड़ा
5.	**सुश्री गीता गीता, श्री कंवरपाल,** सभी निवासी :: नकुड रोड, ग्राम ककराला, नकुर, अर्धशहरी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश .भारत–247342 **खाता सं. DL/RUK/ROKE/A000000408** ऋण खाते 06.05.2024 को एनपीए की रूप में वर्गीकृत किये गये	मांग सूचना की तिथि 24.06.2024 बकाया राशि रु. 23,61,016/– तिथि 28.05.2024 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	83.61 वर्ग मीटर भूमि वाला एक मकान, खसरा नंबर 493, दरा राजपुरा स्वाद बैरुन तहसील और जिला सहारनपुर दार आबादी शांति नगर मोज्जमपुरा, न्यू सेतिया विहार, सहारनपुर– 247342 सीमाएंः पूर्वः प्रमोद कुमार का मकान, पश्चिमः सड़क 15 फीट चौड़ी उत्तरः दूसरों के मकान, दक्षिणः दूसरों के मकान
6.	**श्री पप्पू कुमार, श्रीमती विनीता वी,** सभी निवासी : गांव दुगचरा गंगदासपुर, सहारनपुर, शहरी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश ,भारत–247554 **खाता सं. DL/SHR/SHRP/A000000359** ऋण खाते 06.05.2024 को एनपीए की रूप में वर्गीकृत किये गये	मांग सूचना की तिथि 24.06.2024 बकाया राशि रु. 21,28,850/– तिथि 28.05.2024 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	एक आवासीय मकान डबल स्टोरी, दक्षिण दिशा में, भूमि का कुल क्षेत्रफल 570 वर्ग फीट या 52.97 वर्ग मीटर, पूर्व में –28 फीट 6 इंच, पश्चिम में –28 फीट 6 इंच, उत्तर में –20 फीट दक्षिण में –20 फीट, खसरा नंबर–42 मिन, मोहल्ला–शिवपुरम, मौजा–रहीमपुर (अंदर हदूद साइट नगर, नगर निगम रुड़की) परगना–भगवानपुर, तहसील–रुड़की, जिला में स्थित है। हरिद्वार – 247667 सीमाः पूर्वः नरदेव सिंह का मकान, पश्चिमः नवीन कुमार धीमान का बचा हुआ खाली प्लॉट उत्तरः श्रीमती मिथलेश का मकान, दक्षिणः रास्ता 15 फीट चौड़ा
7.	**श्री बाबू चौधरी, श्रीमती राजीवना राजीवना,** सभी निवासी : गंगोह सहारनपुर, सहारनपुर, शहरी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत–247001 **खाता सं. DL/SHR/SHRP/A000000376** ऋण खाते 06.05.2024 को एनपीए की रूप में वर्गीकृत किये गये	मांग सूचना की तिथि 24.06.2024 बकाया राशि रु. 12,50,230/– तिथि 28.05.2024 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	एक आवासीय भूखंड जिसका कुल क्षेत्रफल 377.64 वर्ग गज या 282.30 वर्ग मीटर है, जिसका आयाम पूर्वः 73 फीट पश्चिमः 7 फीट उत्तरः 43 फीट दक्षिणः 42 फीट है, जो गांव– नूर खेड़ी, परगना– गंगोह, तहसील–नकुड़, जिला– सहारनपुर–247001 में स्थित है। सीमाः पूर्वः उमरदीन का मकान, पश्चिमः रास्ता 6 मीटर से कम चौड़ा, उत्तरः जसवीर का मकान, दक्षिणः रास्ता 6 मीटर से कम चौड़ा

उपर्युक्त कर्जदारों/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि सरफेसी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई से बचने के लिए (1) अधिक और पूर्ण विवरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त करें और (2) ऊपर उल्लिखित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर शेष बकाया राशि ब्याज और लागत आदि का भुगतान करें।

दिनांकः 12–08–2024, स्थानः उत्तराखंड — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

VOITH

वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 113/114ए, सेक्टर–24, फरीदाबाद–121005, हरियाणा
सीआईएनः L74899HR1968PLC004895; फोनः +91 129 4292200; फैक्सः +91 129 2232072
ई-मेलः voithfabrics.faridabad@voith.com; वेबसाईटः www.voithpaperfabricsindia.com

30 जून, 2024 को समाप्त प्रथम तिमाही हेतु एकल अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ मिलियन में, यदि अन्यथा दर्शित न हो)

क्र. सं.	विवरण	30.06.2024 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित)	30.06.2023 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	491.22	479.21	1,942.91
2	कर पूर्व लाभ	137.07	129.49	487.95
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर पश्चात्)	102.61	96.64	362.94
4	अन्य व्यापक आय (कर से शुद्ध) जिन्हें तदनन्तर लाभ अथवा हानि हेतु पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(0.31)	(0.19)	(1.23)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]	102.30	96.45	361.71
6	प्रदत्त समता अंश पूँजी (अंकित मूल्य ₹ 10/– प्रति अंश)	43.93	43.93	43.93
7	सुरक्षित (पुनर्मूल्यांकन सुरक्षित के अतिरिक्त, जैसा कि बैलेंस शीट में प्रदर्शित है)			3,440.02
8	प्रति अंश आय (₹ 10/– प्रत्येक) (जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु)			
	– मूल (₹ में)	23.37	22.01	82.67
	– तरल (₹ में)	23.37	22.01	82.67

टिप्पणीः

1. उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) के पास दाखिल किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। ये वित्तीय परिणाम कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित अवलोकन के विषय स्वरुप थे, तथा 10 अगस्त, 2024 को आयोजित उनकी सम्बंधित बैठकों में अंकेक्षण समिति द्वारा पुनर्निरीक्षित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। उपरोक्त वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप, वैधानिक अंकेक्षकों की असंशोधित सीमित अवलोकन रिपोर्ट के साथ बीएसई लिमिटेड के साथ फाईल किया जा रहा है।

   इन दस्तावेजों को कम्पनी की वेबसाइट http:www.voithpaperfabricsindia.com पर 'Investors Corner' कडी पर उपलब्ध कराया जाएगा और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट http:www.bseindia.com की 'Corporate' कड़ी के अन्दर 'Corporate Filing' अनुभाग में 'Financial Result' पर उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।
2. उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानको ('इंड–एएस') के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 एवं कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

कृते **वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड**
हस्ता./–
आर कृष्णा कुमार
प्रबन्धक निदेशक
डीआईएन : 05344619

स्थानः नई दिल्ली
तिथि : 10 अगस्त 2024

प्रतिशत दर ई–निविदा आमंत्रित प्रेस नोटिस

कार्यपालक अभियंता (सी), डाक सिविल डिवीजन, नई दिल्ली भारत के राष्ट्रपति की ओर से, निम्नलिखित कार्य के लिए ऑनलाइन प्रतिशत दर (सीपीडब्ल्यूडी–7) ई–निविदाएं आमंत्रित करता हैः

एनआईटी संख्याः एनआईटी/ईईपीसीएनडी/2024–25/27 दिनांक 09.08.2024

कार्य का नामः **पीओ बिल्डिंग चाणक्यपुरी नई दिल्ली में बीपीसी में पार्सल निदेशालय कार्यालय को समायोजित करने के लिए सिविल कार्य।**

अनुमानित लागतः रु. 10199048/–
बयाना राशिः रु. 203981/–
समापन की अवधिः 180 दिन
बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समयः 29.08.2024 को 15:00 बजे तक
बोली फॉर्म और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त किए जा सकते हैं

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

और

बी–बाजार रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U52100DL2016PTC291269)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **86, ब्लॉक–एल–एक्सटेंशन, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली–110059** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **10 अगस्त 2024** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

86, ब्लॉक–एल–एक्सटेंशन, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली–110059

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
बी–बाजार रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दिनांक : 11.08.2024 — **हेमंत अग्रवाल** (निदेशक)
स्थान : दिल्ली — डीआईएन : 02242019

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6)–(ए) के मामले में
तथा

जमीरा लाइफसांइसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 111–112, प्रथम तल, एसआरएस टावर, 14/5, मैन मथुरा रोड, फरीदाबाद, सेक्टर–3, बल्लभगढ़, फरीदाबाद–121004, हरियाणा राज्य, भारत में है, के मामले में

–आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य/दिल्ली संघ सत्र से महाराष्ट्र राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 31 जुलाई, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए– 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर आवेदक कंपनी को उसके एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते, बी–2 विंग, 2रा तल, पं–दीन भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते एवं के लिये, जमीरा लाइफ साइंसेस इंडिया प्राईवेट लि.
हस्ता:/–
रविन्द्र सुधाकर डिगोरकर
निदेशक, (DIN:09658191)

तिथि: 12 अगस्त, 2024
स्थान: फरीदाबाद, हरियाणा /दिल्ली, भारत

SUERYAA KNITWEAR LIMITED

Corporate Identification Number: L17115PB1995PLC015787
Registered Office: 408, Industrial Area-A, Ludhiana-141003, Punjab, India
Tel: 0161-4619272; **Website:** www.sueryaaknitwear.com ; **Email ID:** sueryaa1995@gmail.com
Contact Number: 0161-4619272; **Website:** www.sueryaaknitwear.com; **E-mail Address:** sueryaa1995@gmail.com;

PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011

This Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement is issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer, on behalf of Mr. Shailesh Miyanbazaz, the Acquirer, for acquisition of up to 6,75,428 fully paid-up equity shares of face value of ₹10.00/- each ('Equity Shares') ('Offer Shares'), representing 26.00% of the Voting Share Capital of Sueryaa Knitwear Limited ('Target Company'), at an Offer Price of ₹10.00/- per Offer Share, payable in cash, to the Public Shareholders of the Target Company, in accordance with the provisions of Regulation 18 (7) of SEBI (SAST) Regulations ('Pre-Offer Advertisement').

This Pre-Offer Advertisement is to be read in conjunction with the: a) Public Announcement dated Friday, April 05, 2024 ('Public Announcement'), (b) Detailed Public Statement dated Wednesday, April 10, 2024, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Thursday, April 11, 2024, in Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions), Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and Daily Suraj (Punjabi) (Ludhiana Edition) ('Newspapers') ('Detailed Public Statement'), (c) Draft Letter of Offer dated Monday, April 15, 2024, filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations ('Draft Letter of Offer'), (d) Letter of Offer dated Thursday, August 01, 2024, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement and Form SH-4 Securities Transfer Form ('Letter of Offer'), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Thursday, August 08, 2024, and published in the Newspapers on Friday, August 09, 2024 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company') (the Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors and this Pre-Offer Advertisement are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirer.

Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

For capitalized terms used hereinafter, please refer to the Paragraph 1 titled as 'Definitions and Abbreviations' on page 8 of the Letter of Offer.

A. Offer Price

The Offer is being made at an Offer Price of ₹10.00/- per Offer Share, payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.

B. Recommendations of the Committee of Independent Directors ('IDC')

A Committee of Independent Directors of the Target Company comprising of Mr. Sanjay Sahni, designated as the Chairperson of the IDC, and Mr. Saurabh Tripathi, designated as a member of the IDC approved their recommendation on the Offer on Thursday, August 08, 2024, and the said was published in the Newspapers on Friday, August 09, 2024. The IDC Members are of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.

C. Other details with respect to Offer

1. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
2. The Letter of Offer has been dispatched to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on Tuesday, July 30, 2024, being the Identified Date, on Tuesday, August 06, 2024, through electronic mode to all the Public Shareholders whose e-mail addresses had been registered with the Depositories/Target Company, and through registered post to those Public Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Target Company, or whose Email Addresses are inactive.
3. The Draft Letter of Offer dated Monday, April 15, 2024, was filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations, for its Observations. In pursuance of which all the observations received from SEBI vide letter bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/RAC/DCR-2/P/OW/24116/2024' dated Friday, July 26, 2024, duly in terms of Regulation 16 (4) of the SEBI (SAST) Regulations upon submission of the Draft Letter of Offer are duly incorporated in the Letter of Offer. There have been no other material changes in relation to the Offer, as otherwise disclosed in the Letter of Offer.
4. Public shareholders should note that, following statement shall be inserted after the completion of the Paragraph B.2 of 'Risk Factors' on page 4 of the Letter of Offer, and the following statement which is in continuation of and should be in conjunction, unless otherwise specified: *"The Acquirer in terms of Regulation 23 of SEBI (SAST) Regulations, will have a right not to proceed with this Offer in the event the statutory approvals indicated above are refused. In the event of withdrawal of this Offer pursuant to the following stated circumstances, a public announcement will be made within 2 Working Days of such withdrawal, in the same Newspapers in which the Detailed Public Statement had appeared:*

(a) Statutory Approvals required for the Open Offer or for effecting the acquisitions attracting the obligation to make an Open Offer under these SEBI (SAST) Regulations having been finally refused, subject to such requirements for approval having been specifically disclosed in the Detailed Public Statement and the Letter of Offer;
(b) Acquirer, being a natural person, has died;
(c) Any condition stipulated in the Share Purchase Agreement for acquisition of Sale Shares attracting the obligation to make the Open Offer is not met for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, and such Share Purchase Agreement is rescinded, subject to such conditions having been specifically disclosed in the Detailed Public Statement and this Letter of Offer.
(d) Such circumstances as in the opinion of SEBI, merit withdrawal."

5. Please note that a copy of the Letter of Offer is also available and accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Target Company at www.sueryaaknitwear.com, the Registrar to the Offer at www.skylinerta.com, the Manager to the Offer at www.swarajshares.com, and BSE Limited at www.bseindia.com, from which the Public Shareholders can download/print the same.

D. Instructions for Public Shareholders

1. **In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form:** The Public Shareholders who are holding Equity Shares in electronic/dematerialized form and who desire to tender their Equity Shares in this Offer shall approach their respective Selling Broker indicating to their Selling Broker the details of Equity Shares that such Public Shareholder intends to tender in this Offer. Public Shareholders should tender their Equity Shares before market hours close on the last day of the Tendering Period. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.15. titled as *'Procedure for tendering Equity Shares held in Dematerialized Form'* on page 38 of the Letter of Offer.
2. **In case of Equity Shares are held in Physical Form:** As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated 3 December 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from 1 April 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated 31 July 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and intend to participate in the Offer will be required to approach their respective Selling Broker along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out, including the (i) original share certificate(s), (ii) valid share transfer form(s), i.e. Form SH-4, duly filled and signed by the transferors (i.e., by all registered shareholders in same order and as per the specimen signatures registered with the Target Company) and duly witnessed at the appropriate place, (iii) self-attested copy of the shareholder's PAN Card, (iv) Form of Acceptance duly completed and signed in accordance with the instructions contained therein, by sole/joint Public Shareholders whose name(s) appears on the share certificate(s) in the same order in which they hold Equity Shares, and (v) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder has deceased, etc., as applicable. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.14. titled as *'Procedure for Equity Shares held in Physical Form'* on page 37 of the Letter of Offer.
3. **Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer:** Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the records of Depositories on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company. Alternatively, in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by Stock Exchanges before the closure of the Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.17. titled as *'Procedure for tendering Equity Shares in case of non-receipt of Letter of Offer'* on page 39 of the Letter of Offer.

E. Status of Statutory and Other Approvals

As of date there are no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in Paragraph 7.16. titled as *'Statutory Approvals and conditions of the Offer'* on page 33 of the Letter of Offer.

F. Procedure for Acceptance and Settlement of Offer

The Open Offer will be implemented by the Acquirer through Stock Exchange mechanism made available by BSE Limited in the form of separate window ('**Acquisition Window**') as provided under the SEBI (SAST) Regulations, SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated 13 April 2015, as amended read along with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated 9 December 2016, as amended, and SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 issued by SEBI. As per SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, a lien shall be marked against the shares of the shareholders participating in the tender offers. Upon finalisation of the entitlement, only accepted quantity of shares shall be debited from the demat account of the shareholders. The lien marked against unaccepted shares shall be released. The detailed procedure for tendering and settlement of shares under the revised mechanism is specified under the Paragraph 8 titled as *'Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer'* on page 35 of the Letter of Offer.

G. Revised Schedule of Activities

Schedule of Activities	*Tentative Schedule of Activities (Day and Date)*	*ACTUAL SCHEDULE OF ACTIVITIES (DAY AND DATE)*
Issue date of the Public Announcement	*Friday, April 05, 2024*	**FRIDAY, APRIL 05, 2024**
Publication date of the Detailed Public Statement in the Newspapers	*Thursday, April 11, 2024*	**THURSDAY, APRIL 11, 2024**
Last date for filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	*Monday, April 15, 2024*	**MONDAY, APRIL 15, 2024**
Last date for public announcement for a competing offer(s)#	*Monday, May 06, 2024*	**MONDAY, APRIL 15, 2024**
Last Date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer will be received	*Wednesday, May 08, 2024*	**FRIDAY, JULY 26, 2024~**
Identified Date*	*Friday, May 10, 2024*	**TUESDAY, JULY 30, 2024**
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on the register of members on the Identified Date	*Friday, May 17, 2024*	**TUESDAY, AUGUST 06, 2024**
Last date by which a committee of the independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the Public Shareholders for this Offer	*Wednesday, May 22, 2024*	**FRIDAY, AUGUST 09, 2024**
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size	*Friday, May 24, 2024*	**MONDAY, AUGUST 12, 2024**
Last date of publication of opening of Offer public announcement in the Newspapers	*Friday, May 24, 2024*	**MONDAY, AUGUST 12, 2024**
Date of commencement of Tendering Period	*Monday, May 27, 2024*	**TUESDAY, AUGUST 13, 2024**
Date of closing of Tendering Period	*Friday, June 07, 2024*	**TUESDAY, AUGUST 27, 2024**
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders@	*Monday, June 24, 2024*	**TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024@**

Note:
~The date of being in receipt of SEBI Observation Letter.
@This action may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.
#There has been no competing offer.
**Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders to whom the Letter of Offer would be sent. All the public shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares (except the Acquirer and the promoters) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.*

H. Documents for Inspection

The documents specified under Paragraph 10 titled as 'Documents for Inspection' on page 46 of the Letter of Offer will be available for inspection at the principal place of business of the Manager to the Offer, Swaraj Shares and Securities Private Limited, located at Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering Period commencing from Tuesday, August 13, 2024 to Tuesday, August 27, 2024. Further, in light of SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2020/139 dated July 27, 2020, read with SEBI Circular SEBI/CIR/CFD/DCR1/CIR/P/2020/83 dated May 14, 2020, copies of the following documents will be available for inspection to the Public Shareholders electronically during the Tendering Period. The Public Shareholders interested to inspect any of the following documents can send an email from their registered email-ids (including shareholding details and authority letter in the event the Public Shareholder is a corporate body) with a subject line ["Documents for Inspection - SUERYAAKNI Open Offer"], to the Manager to the Open Offer at takeover@swarajshares.com; and upon receipt and processing of the received request, access can be provided to the respective Public Shareholders for electronic inspection of documents.

The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Pre-Offer Advertisement (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company) and undertakes that he is aware of and will comply with his obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Offer. The Acquirer will be responsible for ensuring compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

This Pre-Offer Advertisement will also be accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Target Company at www.sueryaaknitwear.com, the Registrar to the Offer at www.skylinerta.com, the Manager to the Offer at www.swarajshares.com, and BSE Limited at www.bseindia.com.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

SWARAJ

Swaraj Shares and Securities Private Limited
Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai - 400093, Maharashtra, India
Telephone Number: +91-22-69649999
Email Address: takeover@swarajshares.com
Investors Grievance Email Address: investor.relations@swarajshares.com
Website: www.swarajshares.com
Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee/Ms. Pankita Patel
SEBI Registration Number: INM00012980
Validity: Permanent
Date: Saturday, August 10, 2024
Place: Mumbai

On behalf of the Acquirer
Mr. Shailesh Miyanbazaz
Sd/-

आर प्रज्ञानानंद को टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

सेंट लुई, 11 अगस्त (भाषा)।

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद यहां शुरू हो रहे सेंट लुई रेपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भिड़ेंगे।

हाल के टूर्नामेंट में प्रदर्शन में थोड़ी गिरावट के बावजूद प्रज्ञानानंद ग्रैंड शतरंज टूर की अंतिम तालिका में पोडियम पर जगह बनाना चाहेंगे। इससे उन्हें बोनस नकद पुरस्कार राशि भी मिलेगी। अब तक के समग्र टूर परिणामों में तीसरे स्थान पर चल रहे प्रज्ञानानंद के पास अपनी स्थिति सुधारने के लिए लगातार दो टूर्नामेंट हैं।

वह रेपिड एवं ब्लिट्ज टूर्नामेंट के तुरंत बाद वह सिंकफील्ड कप में हिस्सा लेंगे जहां उनके साथ हमवतन और विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश भी चुनौती पेश करेंगे। रोमानिया के बुखारेस्ट और क्रोएशिया के जाग्रेब में दो लगातार जीत के साथ पिछले साल के टूर विजेता अमेरिका के फैबियानो करुआना 22.25 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा 17.58 अंक के साथ दूसरे,

शतरंज

जबकि प्रज्ञानानंद 16.25 अंक के साथ तीसरे पायदान पर हैं। गुकेश भी उनसे बहुत पीछे नहीं हैं। वह 14.25 अंक जुटाकर चौथे स्थान पर हैं लेकिन उनके लिए समस्या यह है कि उनके पास केवल एक ही प्रतियोगिता बची है जबकि शीर्ष तीन खिलाड़ी सभी चार प्रतियोगिताओं में खेलेंगे।

यहां रेपिड एवं ब्लिट्ज टूर्नामेंट में रूस के इयान नेपोमनियाची, फ्रांस के मैक्सिम वाचियेर-लाग्रेव, उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव और अमेरिका के वेस्ली सो जैसे खिलाड़ी एक बार फिर नजर आएंगे। अन्य तीन प्रतिभागी वाइल्ड कार्ड धारक हैं, जिनमें लेवोन अरोनियन, हिकारू नाकामुरा और लेनियर डोमिन्गुएज की अमेरिकी तिकड़ी शामिल है।

कांगो के धावक मुलांबा डोपिंग जांच में दोषी पाए गए

पेरिस, 11 अगस्त (एपी)।

पेरिस ओलंपिक के उद्‌घाटन समारोह के लिए कांगो के ध्वजवाहकों में से एक फर्राटा धावक डोमिनिक लास्कोनी मुलांबा को एनाबालिक स्टेरायड के इस्तेमाल का दोषी पाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय जांच एजंसी (आइटीए) ने रविवार को यह जानकारी दी। आइटीए ने कहा कि 100 मीटर फर्राटा दौड़ में प्रतिस्पर्धा करने वाले मुलांबा ने जो नमूना दिया था उसकी जांच में प्रतिबंधित पदार्थ 'स्टैनोजोलोल मेटाबोलाइट' की पुष्टि हुई है। इस 22 साल के एथलीट को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और वह रविवार को समापन समारोह में भाग नहीं ले पाएगा। पेरिस ओलंपिक में डोपिंग का यह चौथा मामला है।

ओलंपिक चैंपियन इमाने खेलीफ ने उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

पेरिस, 11 अगस्त (एपी)।

ओलंपिक मुक्केबाज चैंपियन इमाने खेलीफ ने पेरिस ओलंपिक के दौरान अपनी लिंग जांच के झूठे दावों के साथ आनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ फ्रांस में कानूनी शिकायत दर्ज की है। उनके अधिवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।

खेलीफ शुक्रवार को महिला वेल्टरवेट वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल कर अपने देश अल्जीरिया के लिए बड़ी हस्ती बन गई। अधिवक्ता नबील बौदी ने कहा कि आनलाइन नफरत फैलाने वाले पोस्ट और भाषण से निपटने के लिए पेरिस अभियोजक के कार्यालय में शुक्रवार को शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें खेलीफ को निशाना बनाकर 'गंभीर साइबर उत्पीड़न' का आरोप लगाया गया था। उन्होंने इसे खेलीफ के खिलाफ 'महिला द्वेषपूर्ण, नस्लवादी और लिंगवादी अभियान' बताया। अब यह अभियोजकों पर निर्भर है कि वे जांच शुरू करें या नहीं।

टी20 में आस्ट्रेलिया ने भारत को सात विकेट से दी शिकस्त

ब्रिसबेन, 11 अगस्त (भाषा)।

ताहिला मैकग्रा की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत आस्ट्रेलिया महिला 'ए' टीम ने रविवार को यहां तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत 'ए' को सात विकेट से हरा कर श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। आस्ट्रेलिया ने पहले दो मैच क्रमशः पांच रन और आठ विकेट से जीते थे।

भारत के 121 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए आस्ट्रेलिया ने ताहिला की 22 गेंद में आठ चौकों और दो छक्कों से नाबाद 51 रन की पारी के बदौलत सिर्फ 13.5 ओवर में तीन विकेट पर 121 रन बनाकर जीत दर्ज की। ताहिला ने तेज गेंदबाज शबनम शकील की गेंदों पर लगातार तीन चौके लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। ताहिला ने चार्ली नाट (19) के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 रन भी जोड़े।

उज्बेकिस्तान के मुख्य कोच को पड़ा दिल का दौरा

ब्रिटेन के अभ्यास स्टाफ ने बचाया

पेरिस, 11 अगस्त (एपी)।

उज्बेकिस्तान के मुख्य मुक्केबाजी कोच तुलकिन किलिचेव को पेरिस ओलंपिक में अपनी टीम के पहले स्वर्ण पदक का जश्न मनाने के बाद ब्रिटेन के अभ्यास स्टाफ के दो सदस्यों ने दिल का दौरा पड़ने से बचाया।

उज्बेकिस्तान की टीम ने पेरिस खेलों में पांच स्वर्ण पदक जीते जो 20 वर्षों में किसी भी ओलंपिक टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस तरह किलिचेव के मुक्केबाजों ने अपने कोच को जश्न मनाने का मौका दिया जो पेरिस के एक अस्पताल में भर्ती हैं। बखोदिर जलोलोव ने अपना दूसरा सुपर हैवीवेट स्वर्ण पदक जीतने के बाद कहा, 'किलिचेव एक कोच या पिता से कहीं अधिक हैं।' उन्होंने कहा, 'उन्होंने हमें पाला है। उन्होंने हमें शिक्षित किया है। उन्होंने हम तक खेल भावना पहुंचाई है।'

फ्लाईवेट वर्ग में हसनबाय दुसमातोव के गुरुवार को उज्बेकिस्तान का पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद किलिचेव बीमार पड़ गए। ग्रेट ब्रिटेन मुक्केबाजी के अनुसार टीम के डाक्टर हरज सिंह और फिजियोथेरेपिस्ट राबी लिलीस ने किलिचेव को जानलेवा संकट में पाया। उन्होंने कोच को सीपीआर दिया और लिलीस ने डिफाइब्रिलेटर (हृदय गति सामान्य करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन) का भी इस्तेमाल किया।

जलोलोव ने कहा, किलिचेव पिछले दो दिन से टीम के संपर्क में हैं और उनके मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। जलोलोव शनिवार रात पोडियम पर चढ़ने वाले उज्बेकिस्तान के पांच पेरिस ओलंपिक चैंपियन में से आखिरी थे।

सेबस्टियन आइओसी का अध्यक्ष बनने पर करेंगे विचार

पेरिस, 11 अगस्त (एपी)।

विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन को ने रविवार को कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के अध्यक्ष के रूप में थामस बाक की जगह लेने के लिए होने वाली दावेदारी पर गंभीरता से विचार करेंगे। ओलंपिक के इस पूर्व स्वर्ण पदक विजेता से जब रविवार को पूछा गया कि क्या वह आइओसी अध्यक्ष के रूप में थॉमस बाक की जगह लेने के लिए अपना नाम आगे बढ़ाएंगे तो उन्होंने कहा, 'बेशक, मैं इस पर विचार करुंगा।'

लंदन ओलंपिक 2012 के आयोजन की देखरेख करने वाले सेबेस्टियन को लंबे समय से बाक के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है। बाक ने शनिवार को 2025 में पद छोड़ने की घोषणा कर सबको चौंका दिया था।

सेबेस्टियन हालांकि 67 साल के है और आईओसी अध्यक्ष के लिए संभावित चुनाव में यह उनके खिलाफ जा सकता है। सेबेस्टियन ने ओलंपिक में ट्रैक स्पर्धाओं के समापन पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मैंने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि अगर मौका मिला तो मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा।' उन्होंने कहा, 'अब मौका आ गया है और मुझे इसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है।'

खबर कोना

बांग्लादेशी नागरिक रुड़की से पकड़ा गया

देहरादून, 11 अगस्त (संवाददाता)।

हरिद्वार जनपद के रुड़की में सेना के क्षेत्र के आसपास संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह चोरी छिपे पहचान बदलकर रुड़की में रह रहा था। गिरफ्तार किया गया रहीमुल बांग्लादेश का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार शनिवार की रात रुड़की सिविल लाइन कोतवाली स्थित ढंडेरा क्षेत्र में लोगों ने एक दुकान पर एक संदिग्ध व्यक्ति देखा। बोलचाल के आधार पर शक होने पर लोगों ने संदिग्ध के संबंध में पुलिस को सूचना दी।

कोलकाता में रविवार को एक केंद्र पर नीट-पीजी की परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी।

एमआइ-17 केदारनाथ से वापस, क्षतिग्रस्त रास्तों को ठीक करने का काम तेज

देहरादून, 11 अगस्त (संवाददाता)।

केदारनाथ में बचाव अभियान पूरा होने के बाद वायुसेना के एमआइ17 हेलिकाप्टर को रविवार को वापस भेज दिया गया जबकि अतिवृष्टि और बादल फटने से क्षतिग्रस्त रास्तों को ठीक करने का काम युद्धस्तर पर जारी है। अधिकारियों ने यहां बताया कि केदारनाथ में स्वेच्छा से रुके 78 लोगों को एमआइ17 हेलिकाप्टर के जरिये सुबह गुप्तकाशी पहुंचाया गया जिनमें स्थानीय दुकानदार, साधु-संत, घोड़ा-खच्चर चालक आदि शामिल थे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में नीचे लाने के लिए अब कोई व्यक्ति शेष नहीं है और बचाव अभियान के पूरा होने के साथ ही एमआई-17 हेलिकाप्टर को विदा कर दिया गया है। उनके मुताबिक, बचाव अभियान में मदद कर रहे वायु सेना के चिनूक हेलिकाप्टर को भारी मशीनों को पहुंचाने के लिए अभी रोका गया है। मौसम के ठीक होते ही केदारनाथ में बड़ी मशीनों को पहुंचाकर चिनूक को भी रवाना कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि केदारनाथ मार्ग पर 31 जुलाई को अतिवृष्टि और बादल फटने के कारण क्षतिग्रस्त रास्तों को ठीक करने का काम युद्धस्तर पर जारी है।

राजस्थान : भारी बारिश से मकान ढहा, पिता-पुत्र की मौत

जयपुर, 11 अगस्त (भाषा)।

राजस्थान के करौली जिले में रविवार तड़के भारी बारिश के कारण एक मकान ढह जाने से उसके मलबे में दबकर 40 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके बेटे की मौत हो गई तथा दो अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शहर के डोलीखर मोहल्ले में उस समय हुई, जब परिवार के लोग अपने घर में सो रहे थे। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण मकान ढहने उसके मलबे में दबकर दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। करौली जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. रामकेश मीणा ने बताया कि घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

पंजाब : नदी में वाहन बहा; एक परिवार के नौ की मौत, दो लापता

चंडीगढ़/धर्मशाला, 11 अगस्त (ब्यूरो)।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर हादसा।

भारी बरसात के बीच रविवार को पंजाब में जिला होशियारपुर से करीब 34 किलोमीटर दूर हिमाचल और पंजाब की सीमा पर जैजों में पानी से लबालब बरसाती नदी में एक एसयूवी वाहन के बह जाने से एक ही परिवार में नौ सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक को बचा लिया गया है और दो लापता हैं। एसयूवी वाहन में कुल 12 लोग सवार थे। पंजाब सहित अन्य इलाकों में रविवार को भारी बारिश के कारण यह नदी उफान पर है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिवार के दस सदस्य एक इनोवा एसयूवी वाहन चालक को साथ लेकर हिमाचल प्रदेश के मेहतपुर के समीप देहरा से एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पंजाब में नवांशहर के मेहरोवाल की दिशा में जा रहे थे।

दरअसल, पंजाब के होशियारपुर, जलंधर और नवांशहर सहित कई स्थानों पर रविवार को भारी बरसात हुई। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान सुरजीत, परमजीत कौर, स्वरूप चंद, बिंदर, शिन्नो, भावना, अंजू और हरमीत के रूप में की गई है और यह सभी देहला के निवासी थे। दुर्घटना के चश्मदीदों ने तत्काल एक जेसीबी मशीन की सहायता से मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। उन्होंने हालांकि, कार में फंसे एक व्यक्ति को किसी तरह बाहर निकाल लिया था, जबकि अन्य कार सवार पानी के तेज बहाव में कार के दरवाजे टूट जाने के कारण बाहर बहकर जान गंवा बैठे। बचाए गए व्यक्ति को उपचार के लिए जैजों के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराने लेकर जाया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने एनडीआरएफ के दल को बुलाकर मौके पर बचाव अभियान शुरू कराया। हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी है।

होशियारपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरिंदर लांबा ने बताया कि जान गंवाने वाले सभी लोग एक ही परिवार के हैं जो एक शादी में शामिल होने के लिए पंजाब आ रहे थे। तेज बारिश के कारण पानी सड़क पर आ गया था जिसके तेज बहाव में पीड़ितों का वाहन बहाव के साथ बह गया। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार से निकाले गए दीपक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों लापता लोगों की तलाश शिद्दत से की जा रही है।

निर्भया फंड से चल रही योजनाएं नहीं रुकेंगी, तेजी से होगा न्याय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

निर्भया **योजना के तहत केंद्र सरकार ने बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाओं से जुड़े मामलों के तेजी से निपटारे के लिए एक विशेष योजना लागू की थी।**

महिला सुरक्षा के लिए बनी रही निर्भया फंड से संचालित योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार आबंटित धनराशि और इन योजनाओं को पूर्ण करने का समय बढ़ा दिया है। हाल ही में संसद सत्र के दौरान एक रपट में केंद्र सरकार ने यह जानकारी है। निर्भया फंड की मदद से केंद्र सरकार देशभर में महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है ताकि सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में महिला सुरक्षा का बेहतर बंदोबस्त किया जा सके।

निर्भया योजना के तहत केंद्र सरकार ने बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाओं से जुड़े मामलों के तेजी से निपटारे के लिए एक विशेष योजना लागू की थी। इसके तहत मई 2024 तक देश भर के तीस राज्यों में 410 विशेष पाक्सो न्यायालयों समेत कुल 755 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) काम कर रहे हैं। इनकी मदद से कुल 253000 मामलों को निपटाया गया है। यह योजना में सरकार ने दांडिक विधि (विधेयक) अधिनियम 2018 के तहत अक्तूबर 2019 में की गई थी। इस योजना के लिए निर्भया फंड से मिलने वाले केंद्रीय हिस्से 1207.24 करोड़ के साथ 1952.23 करोड़ किया गया है। अब यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस मद में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए प्रतिवर्ष एफटीएससी की अनुशंसित कुल लागत 82.31 लाख रुपए है। दावा है कि योजना के विस्तार से महिला सुरक्षा और यौन समेत अन्य हिंसा के मामलों में तेजी से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। इसी रपट में केंद्र सरकार ने बच्चों से संबंधित मामलों के लिए गठित अदालतों की जानकारी भी दी है। बताया गया है कि देश भर में ऐसे मामलों के निपटारे के लिए कुल 755 अदालत काम कर रही हैं, जबकि ऐसी विशेष अदालतों की संख्या 410 है।

केंद्र सरकार ने महिला सक्तिकरण के लिए नारी अदालत की कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत जल्द ही असम और जम्मू कश्मीर में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। यह पहल सबल योजना के तहत होगी। यह ग्राम पंचायत स्तर की योजना है। इसमें महिलाओं के कानूनी अधिकारों और हकों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाएगा। इस अदालत में छोटी प्रकृति के मामले जैसे उत्पीड़न, विध्वंस, अधिकार या हकों में कटौती जैसे मामलों की सुनवाई होगी। केंद्र सरकार मिशन शक्ति के तहत संबल और सामर्थ्य योजनाएं तैयार की है।

कोचीन हवाईअड्डे पर बम होने की बात कहने पर यात्री गिरफ्तार

कोच्चि, 11 अगस्त (भाषा)।

सीआइएएल **ने कहा कि बीडीडीएस द्वारा जांच पूरी करने के बाद वहां कोई भी गड़बड़ी या खतरा नहीं पाया गया, जिसके बाद कुमार को मामले में आगे के जांच के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।**

केरल के कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान बम संबंधी टिप्पणी करने के आरोप में मुंबई जाने वाले एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया।

कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (सीआइएएल) ने रविवार को कहा कि मनोज कुमार (42) ने सामान की जांच करने वाले काउंटर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के अधिकारी से 'डरा देने वाली' टिप्पणी की थी। मनोज कुमार रविवार सुबह एअर इंडिया की फ्लाइट से कोचीन से मुंबई जाने वाला था। सीआइएएल ने एक बयान में कहा, 'विमान में चढ़ने से पहले सुरक्षा जांच के दौरान कुमार ने सीआइएसएफ अधिकारी से पूछा, 'क्या मेरे बैग में कोई बम है?' यात्री की इस बात से वहां लोगों में तुरंत चिंता व्याप्त हो गई जिसके बाद हवाईअड्डा सुरक्षा दल ने त्वरित कार्रवाई की।' हवाईअड्डा प्राधिकरण ने कहा कि बम खोज एवं निरोधक दस्ते ने यात्री केबिन और सामान की पुनः जांच की। सीआइएएल ने कहा कि बीडीडीएस द्वारा जांच पूरी करने के बाद वहां कोई भी गड़बड़ी या खतरा नहीं पाया गया, जिसके बाद कुमार को आगे के जांच के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।

बीटीएसी ने कहा कि बम की सूचना विश्वसनीय नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने सुरक्षा के लिए स्थिति की जांच की। सीआइएएल ने बताया कि बीटीएसी ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली, जिससे विमान समय पर रवाना हो गया।

रैली

पुणे में रविवार को मराठा आरक्षण समर्थक रैली के दौरान उमड़ी भीड़।

उद्धव ने भगवा विचारधारा छोड़ दी, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी : भाजपा

मुंबई, 11 अगस्त (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को शिवेसना (उद्धव) के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि उन्होंने 'भगवा' विचारधारा छोड़ दी है और छत्रपति शिवाजी महाराज की 'विरासत से खुद को दूर' कर लिया है। उन्होंने कहा कि जनता उद्धव ठाकरे को माफ नहीं करेगी।

इससे एक दिन पहले, ठाणे में शिवसेना(उद्धव) कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली के आगे झुक गए हैं। उन्होंने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है, जो राज्य से नफरत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके 'वाघ-नख' हैं। उन्होंने 'वाघ-नख' का जिक्र ऐतिहासिक लड़ाइयों में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार के एक प्रतीकात्मक संदर्भ में किया। जब केंद्रीय गृह मंत्री ने ठाकरे पर औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख होने का आरोप लगाया था, तो इसके जवाब में पिछले महीने ठाकरे ने अमित शाह को 'अहमद शाह अब्दाली' करार दिया था। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में बावनकुले ने कहा कि औरंगजेब फैन क्लब के नेता उद्धव ठाकरे ने ठाणे जाकर भाजपा को राम मुक्त बनाने के बारे में खूब शोर मचाया, लेकिन यह आपके लिए इस जीवनकाल में संभव नहीं होगा। उन्होंने ठाकरे के आवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया, जहां मुसलिम समुदाय के सदस्यों ने लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी को वोट देने के बाद वक्फ बोर्ड के प्रति उनके समर्थन की कमी पर सवाल उठाया था।

'उद्धव के काफिले पर हमला मनसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी का परिणाम'

मुंबई, 11 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले को रविवार को कार्यकर्ताओं की नाराजगी का परिणाम करार दिया। राज ठाकरे ने कहा कि कुछ लोगों ने उनके काफिले पर सुपारियां फेंकी थीं, जिसकी शिवसेना (उद्धव) ने निंदा नहीं की, जिससे कुंठा में मनसे कार्यकर्ताओं ने उद्धव के काफिले को निशाना बनाया।

मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं ने शनिवार शाम को ठाणे में शिवसेना (उद्धव) के नेता उद्धव ठाकरे के काफिले पर टमाटर और गोबर फेंका था। दरअसल एक दिन पहले ही बीड जिले में कुछ लोगों ने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारियां फेंकी थीं। अधिकारियों ने उद्धव के काफिले पर हमला करने के संबंध में मनसे के 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि पुलिस ने बाद में मनसे के 54 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद दो प्राथमिकी दर्ज कीं।

राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि बीड में शिवसेना-यूबीटी के जिला प्रमुख द्वारा घटना की निंदा नहीं किये जाने के कारण मनसे कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की।

उपचुनाव में सभी सीट पर प्रत्याशी उतारेगी बसपा : मायावती

लखनऊ, 11 अगस्त (भाषा)।

बसपा की अध्यक्ष मायावती ने रविवार को एलान किया कि निकट भविष्य में राज्य की 10 रिक्त विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी।

मायावती ने लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक समीक्षा बैठक में उपचुनाव लड़ने की घोषणा की। अमूमन उपचुनावों से दूर रहने वाली बसपा ने इस उपचुनाव को पूरे दमखम से लड़ने का फैसला किया है। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में रिक्त हुई 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनावों के लिए अभी चुनाव की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसे लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। खासकर सत्तारूढ़ भाजपा और उसकी सरकार द्वारा इसे (उपचुनाव) प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेने के कारण इन उपचुनावों में लोगों की रुचि काफी बढ़ी है। बसपा ने भी इन उपचुनावों में सभी सीट पर उम्मीदवार उतारने और पूरे दम से लड़ने का फैसला किया है।

बसपा प्रमुख ने इस बयान की प्रति अपने आधिकारिक एक्स खाते पर भी साझा की है। उन्होंने आग्रह किया कि चूंकि बसपा गरीबों, वंचितों और पीड़ितों की पार्टी है तथा दूसरे दलों की तरह यह बड़े पूंजीपतियों और धन्नासेठों के सहारे और इशारे पर नहीं चलती है, इसलिए इसके समर्थक पूरे तन-मन-धन से सहयोग कर पार्टी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 403 सीटों में मात्र एक सीट और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह सफाया होने के बाद बसपा की उम्मीदें उपचुनावों पर टिकी हैं।

महिलाओं, बच्चों के पोषण, सुरक्षा से संबंधित योजनाओं पर ध्यान दें राज्य : केंद्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

अन्नपूर्णा **देवी ने बैठक के दौरान मंत्रालय की योजनाओं को बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों और रणनीतिक योजना के महत्त्व पर जोर दिया।**

महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा और उनके पोषण से संबंधित मंत्रालय के तीन अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

उन्होंने शनिवार को विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभागों के मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों व उपराज्यपालों के साथ बैठक के दौरान यह अपील की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सभी प्रमुख योजनाओं को मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के तहत वर्गीकृत किया गया है। अन्नपूर्णा देवी ने बैठक के दौरान मंत्रालय की योजनाओं को बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों और रणनीतिक योजना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों को तीनों कार्यक्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देवी ने इन मामलों पर राज्यों से नियमित रपट मांगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे प्रयासों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। राज्यों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है, जिससे न केवल अलग-अलग राज्यों के विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हमारे देश की समग्र प्रगति को भी गति मिलेगी। यह प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में वर्तमान परियोजनाओं, विकासात्मक उपलब्धियों और भविष्य की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। इनका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की बेहतर प्रगति सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'आंगनवाड़ियों' को 'सक्षम आंगनवाड़ियों' में उन्नत करना चाहिए।

अस्तित्व में आने के 15 साल बाद भी संकट बरकरार | चिंताजनक | कानून मंत्रालय ने दी मानसून सत्र में संसद को दी जानकारी

खाली पद और वित्तीय संकट से जूझ रहे ग्राम न्यायालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

कानून मंत्रालय **ने संसद में 'कुछ अध्ययनों' का हवाला देते हुए कहा कि इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना में धीमी प्रगति के मुख्य कारणों में कई राज्यों में 'न्यायाधिकारियों' के पदों को न भरना, सरकारी अभियोजकों, नोटरी की अनुपलब्धता और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कमी शामिल है।**

किफायती और त्वरित न्याय सुलभ कराने की परिकल्पना के साथ शुरू किए गए 'ग्राम न्यायालय' आज मानव संसाधन की कमी और वित्तीय संकट के कारण अपने उद्देश्य को पूरा करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। कानून मंत्रालय ने हाल में संपन्न मानसून सत्र में संसद को बताया कि अब तक 15 राज्यों द्वारा 481 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 10 राज्यों में 309 शुरू हो चुके हैं।

विधि आयोग ने 1986 में नागरिकों को उनके द्वार पर ही किफायती और त्वरित न्याय सुलभ कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। इसके वर्षों बाद, दो अक्तूबर 2009 में गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 लागू हुआ। अधिनियम में जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के अवसरों से वंचित न रह जाए। कानून मंत्रालय ने संसद में 'कुछ अध्ययनों' का हवाला देते हुए कहा कि इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना में धीमी प्रगति के मुख्य कारणों में कई राज्यों में 'न्यायाधिकारियों' के पदों को न भरना, सरकारी अभियोजकों, नोटरी की अनुपलब्धता और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कमी शामिल है।

सरकार ने कहा कि ग्राम न्यायालयों की वर्तमान स्थिति के लिए ग्राम न्यायालयों का सीमित आर्थिक अधिकार क्षेत्र, अपर्याप्त कर्मचारी, राज्यों से अपर्याप्त वित्तीय सहायता, राज्य प्राधिकारियों की अनिच्छा और सामुदायिक जागरूकता की कमी अन्य कारण हैं। कई राज्यों में पंचायत स्तर पर काम करने वाली ग्राम न्यायालयों की अपनी समानांतर प्रणालियां हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र एकमुश्त उपाय के रूप में गैर-आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए हर ग्राम न्यायालय को 18 लाख रुपए प्रदान करता है और इन न्यायालयों के आवर्ती व्यय का 50 फीसद वहन करता है, जो पहले तीन वर्षों के दौरान प्रति न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपए की सीमा के अधीन है।

उपराज्यपाल माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे, नई यज्ञशाला का उद्घाटन

जम्मू, 11 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की और मुख्य भवन में एक नई 'यज्ञशाला' का उद्घाटन भी किया।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान जम्मू-कश्मीर की शांति, समृद्धि और प्रगति की प्रार्थना की। यज्ञशाला भवन का निर्माण धार्मिक रीति-रिवाजों को बढ़ाने के लिए किया गया है।

नवनिर्मित यज्ञशाला मुख्य भवन के अटका क्षेत्र के नीचे पुराने स्नान घाट के पास स्थित है जिसमें 1600 वर्ग फुट में फैले पांच हवन कुंड हैं।

www.readwhere.com

खबर कोना

पदक तालिका

देश	सोना	चांदी	कांस्य	कुल
अमेरिका	40	44	42	126
चीन	40	27	24	91
जापान	20	12	13	45
आस्ट्रेलिया	18	19	16	53
फ्रांस	16	26	22	64
नीदरलैंड	15	7	12	34
ग्रेट ब्रिटेन	14	22	29	65
द कोरिया	13	9	10	32
जर्मनी	12	13	8	33
इटली	12	13	15	40
कनाडा	9	7	11	27
भारत	0	1	5	6

पेरिस के ला डिफेंस एरेना में कांस्य पदक मुकाबले में हंगरी के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के मैक्स इरविंग एक्शन में।

'ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी का पड़ेगा सकारात्मक असर'

दुबई, 11 अगस्त (भाषा)।

विश्व कप विजेता आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि चार साल बाद आयोजित होने वाले लास एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी इस खेल के लिए एक बड़ी सकारात्मक बात होगी। क्रिकेट की 128 वर्षों के ओलंपिक में वापसी हो रही है। इससे पहले क्रिकेट को एकमात्र बार 1900 ओलंपिक में दो टीमों ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच खेला गया था। इसका स्वर्ण पदक ब्रिटेन की टीम ने जीता था। पोंटिंग ने 'आइसीसी रिव्यू' के हवाले से कहा कि यह हमारे खेल के लिए केवल एक सकारात्मक बात हो सकती है। मैं पिछले 15 या 20 वर्षों में विभिन्न समितियों का हिस्सा रहा हूं।

चीन ने ओलंपिक में तीन सौवां स्वर्ण पदक जीता

पेरिस, 11 अगस्त (एपी)।

चीन ने टेबल टेनिस की महिला टीम स्पर्धा का खिताब जीतकर ओलंपिक इतिहास में देश का 300वां स्वर्ण पदक जीता। चीन ने महिला टीम स्पर्धा के फाइनल में जापान को 3-0 से हरा कर लगातार पांचवां स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले शुक्रवार को पुरुष टीम ने यह उपलब्धि हासिल की थी। दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी सुन यिंगशा ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी ने मेहनत की। दक्षिण कोरिया ने जर्मनी पर 3-0 की जीत के साथ कांस्य पदक जीता, जो 2008 में बेजिंग खेलों के बाद टीम स्पर्धा में उसका पहला पदक है। टेबल टेनिस में चीन प्रमुख शक्ति है, जिसने पेरिस में पांचों ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते।

भारत का छह पदक के साथ ओलंपिक में अभियान समाप्त

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का अभियान छह पदक (एक चांदी और पांच कांस्य) के साथ समाप्त हुआ। भारत ने तोक्यो ओलंपिक 2020 में एक सोना, दो चांदी और चार कांस्य समेत सात पदक जीते थे। तब भारत पदक तालिका में 48वें पायदान पर था।

लेकिन इस बार भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक में 71वें पायदान पर खिसक गई है। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हाकी, जूडो, तैराकी, सेलिंग, निशानेबाजी, कुश्ती, टेबल टेनिस और टेनिस में भारतीय एथलीटों भाग लिया।

नीरज चोपड़ा को लगातार दूसरा ओलंपिक पदक : नीरज चोपड़ा ने पेरिस में 89.45 मीटर भाला फेंका, जहां वे दूसरे पायदान पर रहे और भारत को चांदी के रूप में पांचवां पदक दिलाया। चोपड़ा ने तोक्यो 2020 में स्वर्ण जीत कर इतिहास रचा था और पेरिस 2024 में रजत पदक अपने नाम कर भारत के पांचवें दो बार के ओलंपिक पदक विजेता बन गए।

निशानेबाजी में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं मनु भाकर : ओलंपिक में भारत को पहला कांस्य पदक मनु भाकर ने दिलाया। यह पदक मनु ने महिला दस मीटर एअर पिस्टल की व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता। मनु ने एक और पदक जीता, जो कांस्य के रूप में आया। मनु ने दूसरा पदक दस मीटर एअर पिस्टल मिश्रण टीम स्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ जीता था। इससे पहले नार्मन प्रिचर्ड ने पेरिस 1900 के ओलंपिक में पुरुषों में दो सौ मीटर और पुरुषों में दौ सौ मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता था। वे भारत के लिए एक ओलंपिक में दो पदक जीतने वाले पहले एथलीट थे।

स्वप्निल कुसाले ने पहला कांस्य जीता : भारत को तीसरा पदक स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में कांस्य के रूप में दिलाया। स्वप्निल इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे।

निशानेबाजी में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन : निशानेबाजी में भारत के पदकों की संख्या तीन है। भारत ने इससे पहले कभी भी ओलंपिक संस्करण में एक खेल में तीन पदक नहीं जीते। पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लंदन 2012 ओलंपिक में आया था, जब निशानेबाजी में भारत ने दो पदक जीते थे। साथ ही पचास मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भारत का यह पहला ओलंपिक पदक रहा।

बावन साल बाद हाकी में लगातार दो पदक जीते : भारतीय पुरुष हाकी टीम ने कांस्य पदक मैच में एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्पेन को 2-1 से हराया और ओलंपिक में कांस्य जीता। तोक्यो में भी भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था, जिससे म्यूनिख 1972 के बाद से 52 साल में पहली बार हाकी में भारत ने लगातार दो ओलंपिक पदक जीते। साथ ही भारत ने हाकी में 13वां पदक भी हासिल किया।

एक चांदी और पांच कांस्य पर जमाया कब्जा

सबसे कम उम्र के पदकधारी बने अमन

भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य जीता। उन्होंने कांस्य मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से मात दी। साथ ही ये भारत का ओलंपिक की कुश्ती में आठवां पदक भी रहा। सुशील कुमार और रवि कुमार दहिया ने क्रमशः लंदन 2012 और तोक्यो 2020 में रजत पदक जीते। बाकी छह पदक कांस्य हैं। अमन सहरावत ने 21 साल और 24 दिन की उम्र में यह कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने पीवी सिंधु के कीर्तिमान को भी तोड़ दिया। सिंधु ने जब रियो 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीता था तब उनकी उम्र 21 साल, एक महीना और 14 दिन थीं।

विनेश पर फैसला कल

भारत पदक तालिका में बढ़ोतरी कर सकता है। पहलवान विनेश फोगाट ने खेल पंचाट में पदक दिए जाने की अपील की हुई है, जिसका फैसला मंगलवार (13 अगस्त) को आना है। अगर फैसला विनेश के हक में आता है तो वे चांदी जीतने वालीं देश की पहली महिला पहलवान बन जाएंगी।

विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित

निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को मिला ओलंपिक आर्डर

पेरिस, 11 अगस्त (भाषा)।

भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके 'विशिष्ट योगदान' के लिए प्रतिष्ठित ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया।

बेजिंग 2008 ओलंपिक खेलों में दस मीटर एअर राइफल स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल करके भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता बने बिंद्रा को यहां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के 142वें सत्र के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया। बिंद्रा ने कहा कि जब मैं छोटा था तो ये ओलंपिक रिंग्स ही थे, जिन्होंने मेरे जीवन को अर्थ दिया।

उन्होंने कहा कि दो दशक से अधिक समय तक अपने ओलंपिक सपने को पूरा करने में सक्षम होना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। खिलाड़ी के तौर पर अपने करिअर के बाद ओलंपिक आंदोलन में योगदान देने की कोशिश करना मेरे लिए बहुत बड़ा जुनून रहा है। यह मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। आइओसी खिलाड़ी आयोग के उपाध्यक्ष 41 वर्षीय बिंद्रा ने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें और भी अधिक मेहनत करने और ओलंपिक आंदोलन में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा।

वर्ष 1975 में स्थापित ओलंपिक आर्डर ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह ओलंपिक आंदोलन में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। बिंद्रा ने सिडनी 2000 से पांच ओलंपिक में हिस्सा लिया। उन्होंने पहली बार एथेंस 2004 में अपनी छाप छोड़ी जब उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एअर राइफल के फाइनल में जगह बनाई। बीजिंग 2008 में उन्होंने चीन के गत चैंपियन झू किनान को हरा कर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने रियो 2016 में भी फाइनल में जगह बनाई लेकिन चौथे स्थान पर रहे। बिंद्रा 2018 से आइओसी खिलाड़ी आयोग का हिस्सा हैं।

अद्भुत प्रदर्शन

ओलंपिक आर्डर से सम्मानित अभिनव बिंद्रा (दाएं)।

बिंद्रा ने कहा, जब मैं छोटा था तो ये ओलंपिक रिंग्स ही थे, जिन्होंने मेरे जीवन को अर्थ दिया। दो दशक से अधिक समय तक अपने ओलंपिक सपने को पूरा करने में सक्षम होना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी।

ताइवान की मुक्केबाज लिन यू टिंग ने स्वर्ण पदक जीता

पेरिस, 11 अगस्त (एपी)।

ताइवान की लिन यू-टिंग ने पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी टूर्नामेंट के दौरान संयमित और शांत रहने की लड़ाई लड़ी और अपने खेल का समापन स्वर्ण पदक के साथ किया। वह तब भी संयमित रहीं जब ऐसा लग रहा था कि दुनिया के अधिकांश लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और उनके अस्तित्व की प्रकृति पर ही सवाल उठा रहे हैं।

यू-टिंग ने फाइनल में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को 5-0 से हरा कर अपने देश के लिए पहला ओलंपिक मुक्केबाजी स्वर्ण पदक जीता। इस फ्लाईवेट मुक्केबाज ने अपना सोशल मीडिया बंद कर दिया, अपना अभ्यास जारी रखा और एक के बाद एक शानदार जीत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जब उन्होंने पोडियम पर अपने गले में स्वर्ण पदक के साथ खड़े होकर ताइवान का राष्ट्रगान सुना तो यू-टिंग भावुक हो गईं। यू-टिंग ने शनिवार रात अपने भार वर्ग में वर्चस्व स्थापित किया। एक दिन पहले इमान खेलीफ के बाद उन्होंने भी रिंग के अंदर और दुनिया भर में उनके नारीत्व के बारे में गलत धारणाओं का शानदार जवाब दिया।

अद्भुत प्रदर्शन

मुक्केबाज यू-टिंग ने फाइनल में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को 5-0 से हरा कर अपने देश के लिए पहला ओलंपिक मुक्केबाजी स्वर्ण पदक जीता।

मान्ट्रियल में नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में रूस के आंद्रे रुबलेव इटली के जानिक सिनर के खिलाफ शाट खेलते हुए।

मुकाबला

'भविष्य में मुख्य कोच कोई भारतीय होना चाहिए'

मार्केज ने कहा, स्पेन के अलावा मैंने भारत में सबसे ज्यादा समय बिताया

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

भारतीय फुटबाल टीम का मुख्य कोच बनना मनोलो मार्केज के लिए सपना सच होने जैसा है लेकिन रविवार को इस स्पेनिश खिलाड़ी ने कहा कि भविष्य में अगर कोई भारतीय ही राष्ट्रीय टीम को कोचिंग दे तो बेहतर होगा।

भारत के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में रविवार को मार्केज ने कहा कि स्पेन के अलावा मैंने भारत में सबसे ज्यादा साल बिताए हैं। बहुत समय पहले मैंने सोचा था कि मैं राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनना चाहूंगा और अब मैं यहां हूं। यह सपना सच होने जैसा है।

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) ने जुलाई माह में इगोर स्टिमक की जगह 55 वर्षीय मार्केज को तीन साल के लिए राष्ट्रीय पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। मार्केज 2024-25 सत्र के दौरान एफसी गोवा के मुख्य कोच के तौर पर अपनी भूमिका जारी रखेंगे। वह क्लब और राष्ट्रीय टीम दोनों की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मार्केज ने कहा कि भविष्य में राष्ट्रीय टीम का कोच एक भारतीय होना चाहिए क्योंकि वह देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को जानता है। इसलिए आने वाले वर्षों में भारतीय फुटबाल का लक्ष्य यही होना चाहिए। वह 2020 से भारत में हैं। उन्होंने हैदराबाद एफसी के साथ तीन सत्र और एफसी गोवा के साथ एक सत्र (2023-24) बिताया है।

फुटबाल

मार्केज का पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट तीन टीमों का इंटर कांटिनेंटल कप होगा, जिसकी मेजबानी भारत तीन से नौ सितंबर तक हैदराबाद में करेगा। टूर्नामेंट में सीरिया और मारीशस अन्य दो टीमें हैं। इसके बाद वह नौ से 15 अक्तूबर तक वियतनाम में खेली जाने वाली वीएफएफ तीन देशों की सीरीज में टीम का मार्गदर्शन करेंगे। इसमें मेजबान वियतनाम और भारत के अलावा लेबनान शामिल है।

सौरव गांगुली ने कहा, विनेश फोगाट रजत पदक की हकदार

कोलकाता, 11 अगस्त (भाषा)।

भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने रविवार को पहलवान विनेश फोगाट को अपना समर्थन देते हुए कहा कि वह पेरिस ओलंपिक में 50 किग्रा फ्रीस्टाइल फाइनल में जगह बनाने के बाद कम से कम रजत पदक की हकदार हैं।

भारत की 29 साल की इस पहलवान को ओलंपिक महिला पचास किलोग्राम कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य करार दिया गया था। इससे विनेश का ओलंपिक चैंपियन बनने का सपना टूट गया और उन्होंने कश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। गांगुली ने एक कार्यक्रम के इतर रविवार को कहा कि मैं सटीक नियम नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं कि जब वह फाइनल में पहुंची तो उसने ठीक से क्वालीफाई किया होगा। उसे गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया था या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वह कम से कम रजत पदक की हकदार है।

विनेश की जगह फाइनल में क्यूबा की पहलवान युस्नेलिस गुजमान लोपेज उतरीं, जो सेमीफाइनल में उनसे हार गई थीं। भारतीय पहलवान ने खेल पंचाट (सीएएस) में दायर अपनी अपील में लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक दिए जाने की मांग की है। खेल पंचाट द्वारा इस पर 13 अगस्त तक कोई फैसला सुनाने की उम्मीद है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी विनेश का समर्थन करते हुए कहा था कि भारतीय पहलवान की अयोग्यता, 'तर्क और खेल भावना के खिलाफ' है।

टिप्पणी

रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा | भाला फेंक स्पर्धा | मेरी मां हमेशा दिल से बात करती है

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलना मेरा सपना

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद वह जल्द ही भारत में अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते दिखेंगे।

नीरज ने पेरिस में 89.45 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर तक भाला फेंककर ओलंपिक कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 88.54 मीटर के थ्रो से तीसरे स्थान पर रहे। स्पर्धा में जूलियन वेबर, याकूब वाडलेच और जूलियस येगो जैसे कुछ शीर्ष खिलाड़ी भी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। नीरज ने रविवार को प्रशंसकों के साथ आयोजित एक बातचीत सत्र के दौरान कहा कि भारत में अन्य अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मेरा सपना है। उम्मीद है कि भारत में जल्द ही एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी और मैं ऐसा कर पाऊंगा। तोक्यो में स्वर्ण के बाद पेरिस में रजत पदक के साथ लगातार दूसरा ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज ने कहा कि वह अपने खेल के कुछ क्षेत्रों पर काम करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि मैं अब एक नए सत्र में प्रवेश कर रहा हूं इसलिए मेरे पास अभ्यास विधियों या तकनीक को बदलने के लिए इतना समय नहीं है। लेकिन मुझे कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की उम्मीद है, खासकर भाला फेंकने की लाइन में। नीरज ने कहा कि भाला फेंकने का सही कोण ताकि मुझे अपने थ्रो में अधिक शक्ति मिले। मैं निश्चित रूप से इस पर काम करूंगा।

भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि पेरिस खेलों में शारीरिक रूप से सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं होने के बावजूद वह फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि शरीर काफी अच्छी स्थिति में नहीं था। लेकिन जब अरशद ने वह थ्रो किया मैं अपना सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाया क्योंकि मेरे दिमाग में यह विचार था कि मुझे सर्वश्रेष्ठ थ्रो करना है क्योंकि प्रतिस्पर्धा पहले से ही बहुत कठिन हो गई थी। नीरज और नदीम की माताएं एक-दूसरे के बेटे पर स्नेह बरसाकर सोशल मीडिया पर छा गईं।

नीरज ने कहा कि मां हमेशा अपने दिल से बात करती हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मां, वह अपनी शादी से पहले और बाद में हमेशा एक गांव में रहीं। वह सोशल मीडिया और इस तरह की चीजों से परिचित नहीं हैं। वह अक्सर अपने दिल से बात करती हैं। लेकिन वह समझती हैं कि खिलाड़ियों के परिवार, यहां तक कि अलग-अलग देशों के लोग भी उनके प्रति क्या महसूस करते हैं।

सिफान हसन ने जीती पेरिस ओलंपिक की महिला मैराथन

पेरिस, 11 अगस्त (एपी)।

सिफान हसन ने रविवार को यहां पेरिस खेलों में ओलंपिक कीर्तिमान के साथ महिला वर्ग की मैराथन रेस जीत ली। उन्होंने दो घंटे, 22 मिनट और 55 सेकंड का समय निकालकर ओलंपिक कीर्तिमान बनाया और टिग्स्ट असेफा को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। यह सिफान हसन का पेरिस ओलंपिक में तीसरा पदक है।

उन्होंने 5,000 और 10,000 मीटर का भी कांस्य पदक जीता है। असेका को रजत और कीनिया की हेलेन ओबिरी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सिफान हसन इस तरह छह ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने तोक्यो ओलंपिक में 5,000 मीटर और 10,000 मीटर रेस जीती थी, जबकि 1500 मीटर में तीसरे स्थान पर रही थीं।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 41, अंक 268
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com